खण्ड-250, अंक-7
मंगलवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1886
(4 अगस्त, 1964 ई0)

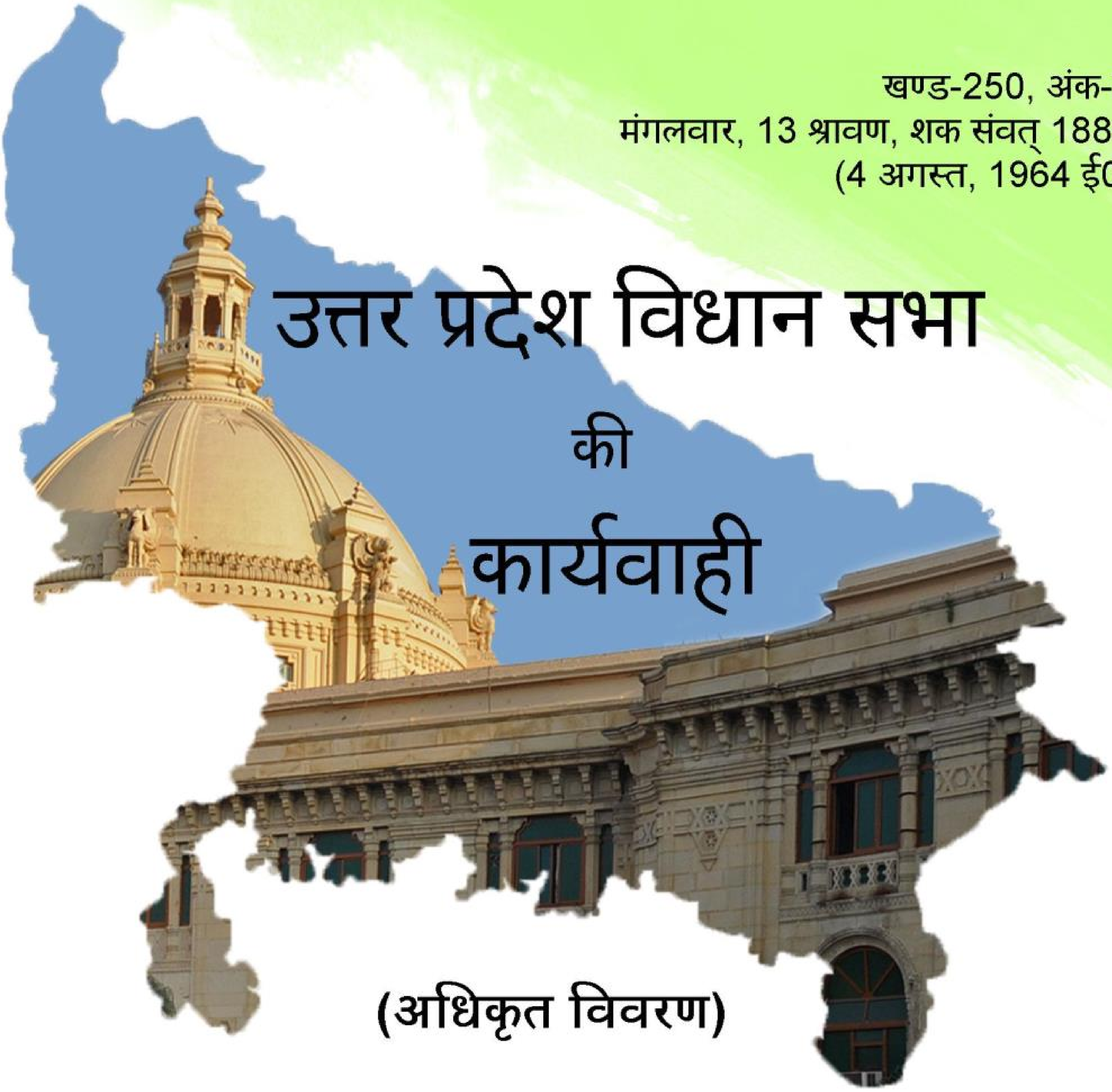

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 250 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

विधान सभा

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराज सिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम [illegible] पाठक, श्री
रामपा[illegible] त्रिवे[illegible], श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्या[illegible], श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रसादसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री

सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—शिक्षा उप-मंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ४ अगस्त, १९६४

अतपसूचित तारांकित प्रश्न

आगरा मेडिकल कालेज की पी० एम० टी० परीक्षा में जूलोजी का पर्चा आउट हो जाना

**१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) तथा श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा मेडिकल कालेज की सन् १९६४ की पी० एम० टी० परीक्षा के चार पत्रों में से एक पर्चा परीक्षा से पूर्व आउट हो गया था ? यदि हां, तो वह कैसे हुआ और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

७ जुलाई, १९६४ को जब कि आठ बजे के बाद जूलोजी का पर्चा छात्रों को बट चुका था कुछ प्रतिष्ठित सज्जनों द्वारा प्रिन्सिपिल की जानकारी में कुछ ऐसी संदेहात्मक परिस्थितियां लायी गयीं जिससे कि जूलोजी की जो परीक्षा हो चुकी थी उसे रद्द करना उचित समझा गया और यह तय किया गया कि इस पर्चे में दुबारा परीक्षा ली जाय । यह परीक्षा २७ जुलाई, १९६४ को हो गई है । इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन-सी परिस्थितियां थीं संदेहात्मक जो प्रिन्सिपल की जानकारी में लायी गयीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जब बायोलोजी का पर्चा बट चुका था तो वहां के कमिश्नर ने प्रिन्सिपल को यह सूचना दी कि उनके पास एक पेपर की टाइप की हुई कापी पहले से आ गयी है, इसलिये पर्चा मुकाबले के लिये भेज दिया जाय । वह पर्चा वहां भेजा गया और मुकाबला करने से मालूम हुआ कि वह वही था । इसी से सन्देह हुआ कि पर्चा पहले से आउट हो गया है ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

उस पर्चे की सही प्रतिलिपि एक दिन पहले उप मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त को दे दी गयी थी और उन्होंने उस पर्चे को कमिश्नर के पास भेजा था, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष--

इससे आपका क्या मतलब है, वह तो कहते हैं कि कमिश्नर के पास एक प्रतिलिपि पहुंची थी, उन्होंने उस पर कार्यवाही की ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

इस बात की क्या कोई जांच की गयी कि उस पर्चे को आउट करने में किन-किन लोगों का हाथ था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इसके लिये हमने होम डिपार्टमेन्ट से प्रार्थना की है कि वे इसकी जांच करें ।

श्री बनवारीलाल विप्र---

आगरा शहर में एक गिरोह ऐसा सक्रिय है कि जो इस काम को करता है और विद्यार्थियों से ४-५ हजार रुपये लेकर उनको पर्चे आउट कराता है, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

होम डिपार्टमेंट इसकी जांच करेगा । उसके सामने ऐसी बातें भी आ सकती हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

अगर यह बात सही है कि एक दिन पूर्व पर्चे की एक कापी माननीय शिवप्रसाद गुप्त को दे दी गयी थी तो फिर दोबारा वह पर्चा क्यों बांटा गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

प्रिन्सिपल को सबसे पहले सूचना तब मिली जब कि वह पर्चा बट चुका था ।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)---

शेष ३ पर्चे भी आउट थे और वहां के पर्चे प्रतिवर्ष आउट रहते हैं । वहां पर एक दल सक्रिय है जो इस काम को करता है और काफी रुपयों का लेन-देन करता है । क्या सरकार को उसकी पूर्ण जानकारी है ? साथ ही वहां के प्रिन्सिपल एक लिस्ट बना कर संबंधित परीक्षकों के पास भेजते हैं कि वे अधिक नम्बर देकर विद्यार्थियों को पास करें । यदि सरकार को इन बातों के जानकारी है तो मैं जानना चाहता हूं कि उसने इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वह पर्चा ७ तारीख को आउट हुआ था । बाकी ३ पर्चे पहले ही हो चुके थे । अगर उसके पहले वाले पर्चे आउट होने की सूचना कमिश्नर महोदय को होती तो वे जरूर उसके लिये भी ७ तारीख को प्रिन्सिपल से कहते । मगर सरकार के इल्म में ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही थी ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

कमिश्नर साहब को परचा कब मिला और उन्होंने प्रिन्सिपल साहब को कब सूचना दी ? किस तारीख को ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

६ तारीख की १० बजे के करीब रात में कमिश्नर को मिला और ७ तारीख को जब परचा परीक्षा के लिये बंट चुका तब उन्होंने प्रिन्सिपल को सूचना दी । इससे पहले शिकायत नहीं की ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या बंटने से पहले परचा शिव प्रसाद जी ने कमिश्नर को दे दिया था ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

जी हां । जब लड़के परचा लिख रहे थे तो कमिश्नर ने प्रिन्सिपल को सूचना दी कि मेरे पास असली परचा भेज दीजिये । जिससे मैं मुकाबला कर के देख लूं कि क्या बात है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि इससे पहले भी परचा पकड़ा गया था जिस पर गुप्त जी को ऐतबार नहीं हुआ और दोबारा परचा देने पर उनको इत्मीनान हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जवाब दे दिया है कि इससे पहले कोई शिकायत नहीं की ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरी सूचना है कि ६ तारीख को कमिश्नर ने प्रिन्सिपल को फोन किया, तो फिर ७ तारीख को उसी परचे पर कैसे इम्तहान हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह बात बिलकुल गलत है कि ६ तारीख को कमिश्नर ने प्रिन्सिपल से बात की । मेरे खयाल में कमिश्नर साहेब ने कुछ गलती की है । परचा मिलते ही उन्हें प्रिन्सिपल को कांटैक्ट करना चाहिये था । यह उनकी खामी हुई जिसकी वजह से लड़कों को परेशानी हुई ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बहुत पहले से वह परचा आउट होने की खबर माननीय शिवप्रसाद गुप्ता जी को मिली और उन्होंने प्रापर अथारिटी के पास न भेजकर कमिश्नर के पास क्यों भेज दिया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह माननीय शिवप्रसाद गुप्त जी से मालूम कर लें ।

बलरामपुर तहसील में टेस्ट वर्क मजदूरों को पैसा न मिलना

**२—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को इसकी सूचना है कि गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में चलने वाले मथुरा, बलिया तथा महाराजगंज टेस्ट वर्क में ग्रामीणों को गत सप्ताह से मजदूरी नहीं दी गयी तथा बहुत कहने पर जहां धन वितरण करने लोग गये हैं वहां भी घोर अव्यवस्था व्याप्त है तथा कई दिनों से हजारों लोग पड़े हैं परन्तु धन नहीं मिल रहा है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में मार्च सन् ६४ में टेस्ट वर्क आरम्भ हुये। इस सम्बन्ध में शासन ने अब तक जिलाधीश को ४,७०,००० रु० की धनराशि टेस्ट वर्क पर व्यय करने का आदेश जारी कर दिया है। अभी तक जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार २,२७,२९२ रु० ४ न० पै० का वितरण १८ जुलाई सन् १९६४ को हो चुका था और मथुरा, बलिया, महाराजगंज टेस्ट वर्क चल रहे हैं। टेस्ट वर्क्स में काम करने वालों की संख्या में एकाएक वृद्धि हो जाने के कारण और कर्मचारियों की कमी के कारण पूरा रुपया जिस शीघ्रता से बांटा जाना चाहिये था, नहीं बंट सका है।

**३--श्री सुखदेवप्रसाद (अनुपस्थित) तथा सरदार बलदेवसिंह--

यदि हां, तो पूरी स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा समस्या के निदान के लिये क्या किया जा रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सरकार ने स्थिति पर ध्यान दिया है। जिसके फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता एवम् जिलाधीश ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है और मजदूरी का भुगतान बड़ी तेजी से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिलाधीश गोंडा को आदेश दे दिया गया है वे शीघ्र ही टेस्ट वर्क्स पर पहुंच कर जिन लोगों का भुगतान होना शेष है उनके भुगतान का शीघ्रातिशीघ्र प्रबंध करें तथा इस बात को देखें कि यदि वहम पर इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई है तो उसका शीघ्र ही निदान करें।

खाद्य स्थिति

**४--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी वार्ता केन्द्रीय खाद्य मंत्री से जुलाई के तीसरे सप्ताह में खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में क्या क्या हुई तथा उस वार्ता की प्रगति क्या हुई?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

दिनांक २४ जुलाई को देहली में केन्द्रीय खाद्य मंत्री से उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति, विदेशी गेहूं की आवश्यकता तथा बन्दरगाहों से गेहूं तुरन्त भेजे जाने के विषय में बातचीत हुई जिसके फलस्वरूप बम्बई तथा कलकत्ता पोर्ट से प्रदेश को ९० वैगन प्रतिदिन भेजने का आश्वासन दिया गया।

**५--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को खाद्यान्न की कमी किस माह में महसूस हुई तथा कुल कितनी?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

राज्य में खाद्यान्न की कमी नवम्बर, १९६३ से प्रतीत होने लगी थी परन्तु विशेष कमी २३ मार्च से पंजाब से इस प्रदेश में गेहूं लाने पर रोक लग जाने के पश्चात् हुयी। कमी की मात्रा कम से कम लगभग १,७६,००० मीट्रिक टन प्रति माह है।

खाद्य समिति के विचाराधीन विषय

**६--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई Food Advisory Committee की घोषणा २४ जुलाई, सन् १९६४ को की गयी है? यदि हां, तो उस कमेटी में कौन-कौन लोग हैं तथा उस कमेटी का Terms of reference क्या है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां। मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर संलग्न सूची में दिये गये १८ सदस्यों की एक सर्वदलीय खाद्य समिति का गठन हुआ और समिति के Terms of reference निम्नलिखित हैं :—

(१) राज्य की खाद्य स्थिति पर दृष्टि रखना और सरकार को खाद्य नीति पर परामर्श देना।

(२) प्रदेश में खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति, बाजार भाव तथा उसके यातायात पर विचार करना।

(३) खाद्यान्नों के वितरण पर सरकार को सुझाव देना

(४) प्रदेश में समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कदम उठाने में राज्य सरकार को सुझाव देना।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६१६ पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

माननीय सुब्रामनियम जी का कहना है कि १२५ वैगन रोज उन्होंने सप्लाई किया। यह उनका पब्लिक स्टेटमेंट है और हमारे खाद्य मंत्रीजी का कहना है कि ९० वैगन उन्होंने हमको देने का आश्वासन दिया था। तो इन १० दिनों में उनको कितने वैगन प्राप्त हुए?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

शायद इसमें कुछ भ्रम है। मैंने यह कहा था कि जब उन्होंने ४० वैगन देने के लिये कहा था तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में ७ वैगन का औसत पड़ा। दूसरे सप्ताह में २० वैगन के करीब औसत हुआ। उसके बाद जब मैं गया तो उन्होंने ४० के बजाय ८० देने को कहा। २५ तारीख को ७९ वैगन बम्बई से और ५ कलकत्ते से चले। २६ तारीख को १२५ बम्बई से और ५ कलकत्ते से, २७ को ८७ बम्बई से और १४ कलकत्ते से, २८ को ५७ बम्बई से और ९ कलकत्ते से, २९ को १०२ बम्बई से और १४ कलकत्ते से, ३० तारीख को ६९ बम्बई से और कलकत्ते से कुछ नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आपको प्राप्त कितने हुए?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो ३६६ वैगन चले वे प्राप्त हुए।

श्री शिवचरण—

क्या हमारे खाद्य मंत्री ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री को कोई आधार बताया जिसके बेसिस पर गल्ले का एलाटमेंट हो?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमने कहा कि आबादी और प्रोडक्शन के बेसिस पर हमें अलाट करें। उन्होंने अब तक कीमतों पर कर रखा था। अब शायद हमारी बात पर विचार करेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा—

जिलों में फूड एडवाइजरी कमेटियों में विधान सभा के सदस्यों को क्या अधिकार सरकार ने दे रखे हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह आप अलग से पूछ लीजियेगा ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जो गल्ला केन्द्र से प्राप्त हुआ उसका वितरण हुआ या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वितरण कर रहे हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या केन्द्रीय खाद्य मंत्री से यह भी कहा गया कि हमारा वितरण का तरीका दोषी है ? उसकी जगह दूसरा वितरण का तरीका अपनाने की ओर सरकार ने ध्यान दिया ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

डिस्ट्रीब्यूशन से केन्द्रीय खाद्य मंत्री से कोई ताल्लुक नहीं है । यह तो हमारी जिम्मेदारी है । उसके लिये मैंने कल बतला दिया है ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

उत्तर प्रदेश में बार्डर पर ५ मील के बैल्ट में खाद्यान्न की मूवमेन्ट पर रोक है, क्या सरकार उसे हटाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

५ मील के अन्दर नहीं रोका गया है । कारीडोर एरिया में जाने के लिये हमारा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । एक मात्रा में जा सकता है । बाद को वह और ढीला कर दिया है । वहां की आवश्यकता के लिये तो भेजते ही हैं ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

केन्द्रीय खाद्य मंत्री से इस विषय पर भी चर्चा हुयी कि शहरी क्षेत्रों के ढंग पर देहाती क्षेत्रों के लोग और विशेषकर खेतिहर मजदूरों के लिये भी राशन कार्ड चालू करने की व्यवस्था की जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यद्यपि इसका कोई संबंध केन्द्रीय खाद्य मंत्री से नहीं है, मगर मैंने इस बात के लिये स्वयं विचार किया है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी ने इस समस्या को भी उनके सामने रखा था कि देहातों में गल्ला बहुत कम जा रहा है ? यदि हां, तो देहातों में गल्ला पहुंचाने के लिये किन बातों पर विचार किया गया और फिर क्या कदम उठाया गया है जिससे वहां गल्ला पहुंच सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमने उनसे कहा कि देहातों को हम कुछ अन्न नहीं दे रहे हैं और उनको इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है । मेरा अनुमान यह है कि देहातों में करीब ३० प्रतिशत आबादी ऐसी है जो गरीब व भूमिहीन हैं और हम चाहते हैं कि उनको देने के लिये हमको एक लाख टन गल्ला दिया जाय । लेकिन १ लाख टन गल्ला देना उन्होंने स्वीकार नहीं किया । लेकिन हम ६ किलोग्राम प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से देहात के इन निम्न श्रेणी के गरीब लोगों को गल्ला देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर गया है कि देहातों में जो प्रधान लोग हैं वे अपनी पार्टी के लोगों को ही गल्ला दिलवाते हैं, गरीब लोगों को गल्ला नहीं मिलता, इसलिये वे शहरों की ही भांति देहातों में भी ५ आदमियों की एक कमेटी बनवाने की कृपा करेंगे जो गल्ले के बटवारे की देखभाल कर सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसके लिये हम समुचित प्रबन्ध कर रहे हैं कि अन्न का एक दाना भी इधर से उधर न जाय।

श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हर गांव सभा को कितने राशन कार्ड्स दिये जायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जिले की खाद्य परामर्शदात्री समिति जो सुझाव देगी कि किसको कितना अन्न दिया जाय उसी के अनुसार कार्यवाही होगी ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

जिन पंचायती अदालतों में अभी तक सस्ते गल्ले की दूकानें नहीं खुली हैं वहां आपके आदेश के अनुसार कोई दूकान नहीं खुल सकती, तो क्या इस प्रकार का कोई नया आदेश देंगे कि जहां पंचायत अदालतों के अन्दर दूकानें नहीं हैं वहां दूकानें खोली जांय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जब तक अन्न की कमी है, पंचायत अदालतों में दूकानें बन्द रहेंगी, मगर जहां नयी दूकान खोलने की आवश्यकता होगी वहां खाद्य सलाहकार समिति के सुझाव पर अवश्य खोली जायंगी ।

श्री शिवचरण---

एक पंचायत अदालत में अब तक जहां एक ही दूकान है और जिस की आबादी ६-६ हजार और ८-८ हजार तक है, क्या माननीय मन्त्री जी वहां ३-४ दूकानें खुलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जिन पंचायत अदालतों में बड़े-बड़े लोग हैं और जिनके बड़े-बड़े फार्म्स हैं वहां दूकानें खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन जगहों पर दूकानें खोली जायेंगी जहां कि जरूरत है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी देहात के जिन पंचायत अदालतों के क्षेत्र में अभी तक सस्ते गल्ले की दूकानें नहीं खुली हैं, वहां दूकानें खुलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जिले की खाद्य सलाहकारी समिति जो चाहेगी, वह हम करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी का कहना है कि नवम्बर के महीने में गल्ले की कमी मालूम हुई उसके बाद मई के महीने में फसल तैयार हुई, तो मई महीने के बाद जून में अपना गल्ला यू० पी० से बाहर जाने से रोकने के लिए बफर स्टाक क्रिएट करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया जिस से अपने यहां अन्न की कमी पूरी की जा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जनवरी के बाद, फरवरी, मार्च, अप्रैल में गेहूं का भाव २० रु० से २४ रु० मन तक था। उसके बाद जून में भाव चढ़ा तो हम ने गवर्नमेंट आफ इन्डिया को लिखा कि हम अपने यहां से चना व अपना कोर्स ग्रेन्स को बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। मगर वे इस पर किसी तरह से रजामन्द नहीं हुए। और दूसरे दो स्टेट्स--राजस्थान व मध्य प्रदेश ने इस सम्बन्ध में कुछ जबरदस्ती करनी चाही तो उनसे उन्होंने वापस ले लिया।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस फूड क्राइसिस में हरदोई से जो ४०० टन गल्ला लिया है आप ने उस को वहां के कोटे के अतिरिक्त आप अभी वापस कर पाये या नहीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

एक न्याय पंचायत क्षेत्र में १ दूकान खोलने की बात कही गयी, लेकिन आबादी कहीं ८,००० है कहीं १५,००० है, तो क्या जहां आबादी अधिक है वहां एडीशनल दूकानें खोलने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने अर्ज किया कि नयी व्यवस्था के अनुसार खाद्य समिति को अधिकार होगा कि वह जिस तरह से चाहे अपने यहां गल्ले का वितरण करे।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि देहातों में जो दूकानें हैं उन में इतनी कम मात्रा में अनाज दिया जा रहा है कि उससे दूकानदार की उदरपूर्ति नहीं हो सकती, ८-१० बोरे देने से उसका काम नहीं चल सकता तो क्या मन्त्री जी ऐसा कोई उपाय करेंगे जिस से उस की उदरपूर्ति हो जाय और वह बेईमानी की तरफ न जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसीलिए तो यह चीज खाद्य समिति के विचार के लिए छोड़ी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कमेटी के जो ४ टर्म्स आफ रिफ्रेंस बताये गये हैं उन को देखने से ऐसा मालूम होता है कि यह एडवाइजरी कमेटी है जो देखेगी कि राज्य में भाव बढ़ें तो उसके बारे में सुझाव देंगे, खाद्यान्न के स्टाक्स की स्थिति देखेंगे और बाजार भावों को देखेंगे और यातायात के साधनों को देखेंगे लेकिन यह कोई स्थायी सल्यूशन नहीं है कि प्राइसेज क्यों बढ़ीं, क्या मन्त्री जी अशोक मेहता कमेटी की तरह इस कमेटी के टर्म्स आफ रिफ्रेंस भी बढ़ाकर स्कोप को बढ़ायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वह कमेटी अगर मांग करेगी तो बढ़ा देंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

विभिन्न विरोधी दल के लोगों ने इस समिति से इस्तीफा दे दिया है इस लिए यह कमेटी अब सरकारी कमेटी ही रह गयी है तो क्या सरकार उसके टर्म्स आफ रिफ्रेंस को बढ़ाकर उस में ऐसे एकानामिस्ट्स और टेक्निकल लोगों को रखेगी जो पूरी खाद्य समस्या पर अपनी राय दे सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब इस में कोई और पार्टी नहीं है तो गवर्नमेंट का तो सभी रिफ्रेंस है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

फूड एडवाइजरी कमेटी के टर्म्स आफ रिफ्रेंस में खाद्यान्न की कमी का प्रश्न तो है ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं जैसे साबुन, दियासलाई, आदि तो क्या मन्त्री जी जीवन की आवश्यक सामग्री है, जिनकी कीमत बराबर बढ़ती जा रही है, उस सारे प्रश्न को उस समिति को देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस कमेटी में सभापति के परामर्श से सब कुछ बहस की जा सकती है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह इस्तीफा देने वाले कौन-कौन व्यक्ति हैं और किस-किस ने किन-किन कारणों से इस्तीफा दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्री उग्रसेन जी का इस्तीफा २६ जुलाई को, श्री शारदाभक्तसिंह जी का २७ को और श्री बलवानसिंह जी का भी २७ जुलाई को आया है, जो उनके इस्तीफे में बड़ी-बड़ी बातें थीं वह तो कल मुख्य मंत्री जी ने यहां बता दी थीं। उस के सदस्यगण यह हैं :—

माननीय मुख्य मन्त्री, चेयरमैन, मिनिस्टर फार ऐग्रीकल्चर, मिनिस्टर फार रेवेन्यू, मिनिस्टर फार जस्टिस, मिनिस्टर फार पब्लिक हेल्थ ऐण्ड मेडिकल । ये तो इसमें हैं। मगर कमेटी के माननीय सदस्य जो हैं वे इस प्रकार हैं :—चीफ मिनिस्टर, श्री चरण-सिंह, श्री जगमोहनसिंह, श्री शारदाभक्तसिंह, श्री बलवानसिंह, डा० एच० जे० फरीदी, श्री उग्रसेन, श्री जेड० ए० अहमद, श्री भानुप्रतापसिंह, श्री भगवानसहाय, श्री फूलसिंह, श्री गेंदासिंह, श्री नवलकिशोर व श्री शिवराजसिंह और चीफ सेक्रेटरी ये तो आफिशियल्स में से, सेक्रेटरी फूड ऐण्ड ऐग्रीकल्चर, आदि ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

यह कमेटी तो सर्वदलीय न होकर एक पक्षीय कमेटी हो गयी है तो इसको कोई उपयोगिता नहीं रही, तो क्या मंत्री जी इसको समाप्त कर देंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री को बुलाया नहीं गया ।)

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री कृष्णानन्दराय—

[१८ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये ।]

कानपुर बस स्टेशन की इमारत

*३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में बस स्टेशन के लिए भवन बनाने की योजना सरकार द्वारा कब स्वीकार की गयी थी और अब तक उस के न बनवाने का क्या कारण है ? यह भवन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)--

यह योजना नवम्बर, १९६१ में स्वीकार की गयी थी। भवन अब तक न बन सकने का कारण मुख्य रूप से यह है कि नहर विभाग से अभी तक भूमि प्राप्त नहीं हो सकी है। अभी निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि बस स्टेशन कब तक तैयार हो जावेगा।

जौनपुर जिले में नलकूप

४--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के रामनगर, रामपुर, मड़ियाहूं, बरसठी, विकास क्षेत्र में कितने नलकूप कार्य कर रहे हैं तथा वे कहां-कहां लगे हैं ?

विद्युत् उप-मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

जौनपुर जिले के रामनगर, रामपुर, मड़ियाहूं, तथा बरसठी विकास क्षेत्रों में क्रमशः १२, २३, ४ तथा २४ नलकूप कार्य कर रहे हैं। जिन स्थानों में यह नलकूप लगे हैं उसका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये लत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६१७ पर)

*५--श्री जगन्नाथ राव--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के रामनगर व मड़ियाहूं विकास क्षेत्र में कितने नलकूप कहां-कहां लगवाने की योजना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इन ब्लाकों में तीसरी योजना के शेष काल में और नलकूप लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नवरिया और धरमपुर विकास क्षेत्रों में कितने क्षेत्रों की सिंचाई हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

धरमपुर विकास क्षेत्र में जो सिंचित क्षेत्र है वह २६५ एकड़ है।

श्री जगन्नाथ राव--

मैं धरमपुर और नवरिया के बारे में पूछ रहा हूं कि वहां पर कितनी सिंचाई हुई ।

श्री अध्यक्ष--

ये केवल यह बता सकते हैं कि एक नलकूप में कितने क्षेत्र की सिंचाई करने की आशा है।

श्री रघुनाथसिंह--

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने ५वें प्रश्न के उत्तर में बताया रामपुर और मड़ियाहूं में कोई योजना नहीं है तो क्या इन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं या धनाभाव के कारण कोई योजना नहीं है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस योजना में नहीं है क्योंकि इतना रुपया नहीं है। अगली जो योजना बनेगी उस में विचार कर रहे हैं और जैसे-जैसे सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे, क्षेत्र बढ़ाये जायंगे। अब इस योजना में नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय योजना में उतने क्षेत्र में जहां नलकूपों की बात थी वे पूरे हो चुके हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जितनी व्यवस्था थी वह समाप्त हो गयी और कोई नयी व्यवस्था इस योजना में नहीं है। चौथी जो योजना है उसमें विचार कर लिया जायगा।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पटेल आयोग ने जो जिले बताये उस में जिला जौनपुर भी है और इन ४ जिलों में सिंचाई के लिए काफी रुपया सरकार को दिया है तो उस रुपये में क्या आप जौनपुर में और ट्यूबवेल और दूसरा साधन लगवाने की सोच रहे हैं, या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

जो पटेल आयोग ने सिफारिशें की हैं उनमें अधिकतर मेसनरी वेल्स के लगाने की हैं। यह काम प्लानिंग डिपार्टमेंट के हाथ में है। वे इसको देखेंगे।

श्री जगन्नाथ राव---

जो रुपया पटेल आयोग ने स्वीकृत किया है और केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को दिया है उसमें नलकूप लगाने के लिए भी है तो उस रुपये का इस्तेमाल किया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं किया गया है तो कब किया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मेरी सूचना यह है कि इन ब्लाकों में कोई नये नलकूप बनाने की योजना नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव---

क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि नेवड़िया के अन्दर नलकूप की मशीन इतनी खराब हो गयी है कि ६ घंटे से अधिक वह काम नहीं कर सकती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जरूर करानी चाहिए। अगर आप लिख कर भेज देंगे तो और जल्दी हो जायगी।

माताटीला बांध से बिजली

*६---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि माताटीला बांध से झांसी व उसके आस-पास के क्षेत्रों में कब तक बिजली जनता को उपलब्ध होगी व इस समय जिन रेटों पर बिजली झांसी की जनता को दी जा रही है उसमें माताटीला की बिजली पहुंचने पर प्रति यूनिट क्या कमी होगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

माताटीला बिजली घर से झांसी व उसके आसपास के क्षेत्रों में सन् १९६५ के आरम्भ में बिजली देने की आशा है। माताटीला बिजली घर से बिजली देने के रेट बन रहे हैं और अभी तै नहीं हो पाये हैं।

श्री लखपतराम शर्मा--

माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि ६४ के प्रारम्भ में बिजली जगह-जगह पहुंचा दी जायगी ? यदि यह सत्य है तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

माताटीला बिजलीघर ६५ और ६६ के बीच में बनने वाला था। हमने बड़ा प्रयास किया और कोशिश की कि ६४ से दिसम्बर तक एक मशीन चल जाय जिसकी कि आशा भी है। इसलिये मैंने यह कहा कि ६५ के प्रारम्भ में यह प्रारम्भ हो जायगा और जो इसका टाइम था उससे करीब-करीब डेढ़ वर्ष पहले।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

झांसी जिले के कौन-कौन से ऐसे मुख्य गांव हैं जिन्हें ६५ में बिजली दे दी जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

तालबेहट को ६५ में मिल जायगी। बाबीना में दे दी। जो-जो गांव नजदीक लाइन के पड़ते जायंगे उनको बिजली दे दी जायगी।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

इस योजना में कितना काम हो चुका है और बुन्देलखण्ड में इस योजना के आसपास कितने जिलों को इसके द्वारा बिजली दी जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

माताटीला से बुन्देलखंड के बहुत से इलाकों में बिजली दी जायगी जिसमें झांसी, बांदा तथा हमीरपुर होंगे। जैसे-जैसे हमारी लाइन बनती जायगी बिजली देते जायेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माताटीला का जो पहले प्रारूप बना ४ करोड़ ४२ लाख का उसमें कहा गया था कि ६१ में झांसी नगर को बिजली दे दी जायगी तो उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैं पहले भी बतला चुका हूं और फिर माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बतला दूं कि फारेन एक्सचेंज नहीं मिला। इसी कारण से इतनी जल्दी नहीं दे सके।

श्री विजयसिंह--

माताटीला में बिजली का कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है जिसके लिये देर लगने की संभावना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने कहा, प्रगति जोरों पर है और मुझे आशा है कि दिसम्बर, ६४ तक माताटीला की एक मशीन चल जायगी और बिजली देना प्रारम्भ हो जायगा।

*७-८--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

[१८ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*९--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

[हटा दिया गया।]

लखनऊ में नोटरीज

*१०--श्री बसन्तसिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ में पब्लिक नोटरीज के पदों के बढ़ाने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

जी हां। लखनऊ में दो नोटरी (Notary) के पदों के अलावा एक तीसरे नोटरी की नियुक्ति की स्वीकृति शासन ने दे दी है।

श्री बसन्तसिंह--

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि वर्तमान आवश्यकता को देखते हुये तीन नोटरीज की संख्या कम है ? क्या इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)--

जी हां, इस पर भी खयाल किया जायगा।

फुलसन्दा में बस स्टैन्ड की आवश्यकता

*११--श्री बसन्तसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर के फुलसन्दा ग्राम (जो कोतवाली-नहटौर बस मार्ग पर स्थित है) से कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त ग्राम में स्थायी बस स्टैन्ड बनाने के लिये निवेदन किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

इस विषय में एक पत्र प्रधान प्रबन्धक, बरेली को प्राप्त हुआ था। फुलसन्दा ग्राम पहले से ही फेयर स्टाप है। वहां पर यात्रियों का आवागमन इतना नहीं है कि वहां बस स्टैन्ड बनाया जाये। इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री बसन्तसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्तमान आवागमन कितना है और कितने आवागमन पर स्थायी स्टैंड कायम कर देते हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

इसके एक्जेक्ट फीगर्स तो नहीं हैं लेकिन यह बता सकता हूं कि इतना आवागमन नहीं है जिस से वहां बस स्टेशन कायम किया जाय और सेल्फ सफीसेंट हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह पूछा था कि कितना आवागमन हो जिससे बस स्टेशन बनाने के लिये पर्याप्त समझा जाय।

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इतना होना चाहिये जिस से बस स्टेशन का मेंटीनेन्स हो जाय।

श्री बसन्तसिंह--

श्रीमन्, मंत्री जी स्वयं भी स्पष्ट नहीं हैं तो क्या वे इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये विचार करेंगे कि कितना आवागमन चाहिये और कितना है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अध्यक्ष महोदय, थोड़े मार्जिन का सवाल होता यानी ४०-५० यात्रियों की वजह से नहीं हो पाता तब तो जांच की जाती, लेकिन बहुत कम है। एक स्टेशन के माने हैं कि एक क्लर्क, एक चौकीदार और अन्य स्टाफ वहां रहे तो इतना खर्चा नहीं निकल सकता है, इसलिये जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, मंत्री जी को पता नहीं है कि कितने यात्री वहां चढ़ते उतरते हैं तो वे कैसे कह रहे हैं कि वहां बस स्टेशन की जरूरत नहीं है? वे इसका पता लगाकर इस पर विचार करने की कृपा करेंगे?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इसके एक्जेक्ट फिगर्स के लिये नोटिस की जरूरत होगी। सूचना जो मंगाई गयी थी और अधिकारियों ने जो दी है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बस स्टेशन तीन प्रकार के होते हैं। अ वर्ग, ब वर्ग, और स वर्ग, इनके लक्षण क्या हैं और स वर्ग का बस स्टेशन बनाने में उन्हें क्या आपत्ति है?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अभी तक हम किसी प्रकार का बस स्टेशन वहां बनाने की स्थिति में नहीं हैं।

*१२-१३--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित) तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

[१८ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

सिटी बस सर्विस के किराये में वृद्धि

*१४--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ तथा अन्य सिटी बस सर्विस के किराये की दरों में जो वृद्धि दिनांक १६ जून, १९६४ से की गई है उसकी रूप-रेखा क्या है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

लखनऊ में १६ जून, १९६४ से पहले सिटी बस सर्विस में २ मील का किराया १० नये पैसे तथा ४ मील का १९ नये पैसे था परन्तु इस तिथि के बाद मैट्रिक प्रणाली जारी करने के कारण १० पैसे केवल ३ किलोमीटर के रक्खे गये थे और १९ पैसे केवल ६ किलोमीटर तक के। चूंकि २ मील ३.२ किलोमीटर के बराबर है अतः इसका किराया १९ पैसे कर दिया गया था। इसी प्रकार ४ मील जो कि ६.४ किलोमीटर के बराबर है किराया २५ पैसे किया गया था। किन्तु २२ जून, १९६४ से किराये की दो और नयी दरें शुरू की गयी हैं।

३.४ कि० मी० का किराया १३ पैसे।

६.७ कि० मी० का किराया २२ पैसे।

*१५--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वृद्धि करने का क्या कारण है? जब कि कुछ समय पूर्व यातायात कर में वृद्धि द्वारा दरों में वृद्धि की जा चुकी है?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

किरायों में यह तब्दीली मैट्रिक प्रणाली में किराए बदलने के कारण हुयी। पहली वृद्धि यात्री कर में हुयी थी।

*१६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या परिवहन मंत्री जनता की यातायात सम्बन्धी असुविधाओं को ध्यान में रखते हुये दरों की पूर्व प्रचलित व्यवस्था ही पुनः लागू करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

ऐसा करना संभव नहीं है। क्योंकि मैट्रिक प्रणाली में जो दरें निश्चित की गयी हैं उनको समाप्त करके पूर्व प्रचलित व्यवस्था पुनः लागू करना उचित नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी पहले के किराये बढ़ाने के आधार को बतायेंगे जिसको असेम्बली ने नामंजूर किया था उसी के आधार पर किराया क्यों बढ़ाया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्रीमन्, प्रश्न साफ नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

किराया बढ़ाने का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो यह कहते हैं कि मैट्रिक प्रणाली में चूंकि तब्दीली किया है इसलिये किराया बढ़ा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, यहां पहले एक बिल पास हुआ था उसके हिसाब से पहले किराया बढ़ाया गया और फिर अब दोबारा उसके अतिरिक्त यह और यह बढ़ाया गया है, ऐसा क्यों है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह ठीक है कि पहले अधिनियम जो है उसके प्राविजन्स के कारण बढ़ा है और अब मैट्रिक प्रणाली लागू करने की वजह से बढ़ाना पड़ा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बार-बार जो किराया रोडवेज का बढ़ाया जा रहा है उसका आधार क्या है, क्या परिवहन विभाग का विकास हो रहा है, कार्यकर्ताओं को कुछ विशेष सुविधायें देने का प्रश्न सामने है या क्या बात है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह सही है कि किराया बढ़ाने का उद्देश्य आमदनी बढ़ाने से होता है लेकिन यहां वह उद्देश्य नहीं था। यहां मैट्रिक प्रणाली में बदलने से फ्रैक्शन हो जाते हैं इसलिये उनको इन दरों पर परिवर्तित कर दिया गया है।

श्री रामचरण शाह--

जब विधान सभा ने यह पास किया था इससे ज्यादा किराया नहीं बढ़ेगा तो फिर मैट्रिक प्रणाली में बदलते समय क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि इससे किराया दोबारा बढ़ जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो मैट्रिक प्रणाली में बदलने से हो गया।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)--

क्या मिनिस्टर साहब १, २ और ३ मीटरों के हिसाब से बसों का किराया रखेंगे न कि डेढ़ मीटर से ३ मीटर ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

पहले ही ३ से ४, ४ से ६ और ६ से ७ मीटरों तक का हिसाब रखा गया है।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहले जो किराया निश्चित किया गया था वह माइलेज के हिसाब से था और उस पर पांच परसेंट बढ़ाया गया था और ५ परसेंट और दोबारा फिर ५ परसेंट अर्थात् १५ परसेंट तक किराया कर देने का अधिकार सरकार ने लिया। तो जब सरकार ने १५ परसेंट किराया बढ़ा लिया फिर इस दूसरी प्रणाली पर जाने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

मैट्रिक प्रणाली लागू करना हमारे लिये लाजिमी हो गया इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमें उसके लिये मजबूर कर दिया।

कुंवर श्रीपालसिंह--

इस परिवर्तन में घटाना बढ़ाना दोनों हो सकता था तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान घटाने की तरफ क्यों नहीं गया, बढ़ाने की ही तरफ क्यों गया ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो सरकारी नीति के विरुद्ध है।

श्री लखपतराम शर्मा--

माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह है कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में जितनी भी गाड़ियां हमारे यहां चलती हैं उनमें से कोई ओवरलोड होती है तो उसका चालान होता है, तो क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह भी है कि सरकारी बसें जो चलती हैं वह रोज ओवर लोड रहती हैं और उनके दरवाजे पर लोग खड़े रहते हैं जिससे जनसुरक्षा नहीं होती है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न बिलकुल ठीक है, लेकिन इससे इसका मतलब नहीं है।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

जिन-जिन जगहों में सरकारी बसें टोल टैक्स देकर जाती हैं वहां किराया पहले से दुगुना हो गया है, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह प्रश्न तो सिर्फ सिटी बस के लिये था और वैसे सारे सूबे में मैट्रिक प्रणाली अभी बदल भी नहीं सके हैं। अभी तक तो यह बदलाव सब जगह हुआ नहीं है।

पूर्वी जिलों की बाढ़ के संबंध में केन्द्रीय मंत्री के सुझाव

*१७---श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में जून माह के द्वितीय सप्ताह में केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मंत्री डाक्टर के० एल० राव साहब आये थे उन्होंने पूर्वी जिलों के बाढ़ नियन्त्रण हेतु कोई "कारपोरेशन" बनाने हेतु सुझाव दिया है ? यदि हां, तो सरकार उस संबंध में क्या करने पर विचार कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री जी ने पूर्वी जिलों में बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई कारपोरेशन बनाने का सुझाव नहीं दिया। अतः इस संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*१८---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गांवों को ऊंचा करने की योजना को नियन्त्रित ढंग से बनाकर उन पर आदर्श गांवों का निर्माण कराने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और यह कब तक लागू होगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इस संबंध में केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री जी ने कुछ सुझाव दिये हैं जिन पर विचार हो रहा है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय लिया नहीं जा सका है। इस योजना के लागू करने का समय निर्धारित करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन से मुख्य-मुख्य सुझाव हैं जिनके ऊपर प्रान्तीय सरकार विचार कर रही है जो कि केन्द्र के मंत्री ने दिये थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

एक तो सुझाव यह था कि जमीन ऊंची कर दी जाय और उसमें नये सिरे से मकान बनाये जायं जिससे यह न हो कि बीच में कोई गड्ढा हो जाय और बच्चों वगैरह के गिरने की परेशानी पैदा हो। दूसरा एक यह भी था कि फ्लड को रोकने के लिये पानी के बड़े-बड़े फ्लड डिटेंशन रिजर्वायर्स बनाये जांय जैसे जलकुम्भी आदि। तीसरी चीज यह थी कि फ्लड की फोरकास्टिंग की जाय। यह काफी मुश्किल प्रासेस है। इसमें यह देखते हैं कि कितनी बारिश हुई और उस बारिश के अनुसार कितना फ्लड आयेगा इसकी फोरकास्टिंग का पहले से इन्तजाम किया जाय। यह भी था कि इसके नक्शे बनाये जायं हर गांव के, जिससे कि जो जहां बसना चाहे बसे।

श्री जगन्नाथ राव---

केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने जो सुझाव पूर्वी जिलों के बाढ़ नियंत्रण के लिये दिये थे, उनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैंने तो कहा इस पर हम गौर कर रहे हैं। लेकिन फ्लड के सिलसिले में पहले प्लान में कुछ काम हुआ और दूसरे प्लान में भी हुआ जिनमें करीब १० करोड़ रुपया खर्च हुआ। साढ़े ६ करोड़ रुपया इस प्लान में भी खर्च करने का इरादा है और एक माटस्र प्लान सारे उत्तर प्रदेश का हम बना रहे हैं जो १५० से २०० करोड़ का होगा जिसमें बहुत बड़ी स्कीम है।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि करीब ५ साल हो गये सरकार ने एक वादा किया था जिसका जिक्र अभी मंत्री जी ने किया कि गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के लिये एक बहुत बड़ा प्लान सरकार बना रही है, जो ६२ करोड़ का होगा और उसको सेन्ट्रल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के पास भेजा जायगा मंजूरी के लिये तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई जिसके लिये सरकार पांच साल से वादा करती आ रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह ६६ से बढ़कर १०० करोड़ हो गया और अब वह १५० करोड़ होने जा रहा है। सवाल यह है कि वह रुपया मिले तो काम चले। मैं समझता हूं कि एक स्कीम इसकी बना ली है, वह काफी बड़ी स्कीम है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखला दूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आपकी इस बाढ़ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत एक योजना गोरखपुर मलानी बांध को मदनपुर गायघाट तक ले जाने की है ? वह है या नहीं ? अगर है तो वह कब से चालू होगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। मालूम करके बतला सकता हूं।

अनुरुद्ध पाण्डेय, ए० जी० एम०, रोडवेज के विरुद्ध जांच

*१९--श्री दयाराम शाक्य--

क्या परिवहन मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि अनुरुद्ध पांडेय, ए० जी० एम० रोडवेज के खिलाफ इटावा की पुलिस द्वारा कोई भ्रष्टाचार की प्रारम्भिक जांच के बाद हाल में सी० आई० डी०, यू० पी० से जांच का अनुरोध किया गया है ? अगर यह सत्य है तो यह गुप्तचर विभाग द्वारा जांच होने में क्यों देर हो रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जी नहीं।

*२०--श्री दयाराम शाक्य--

क्या इन ए० जी० एम० के खिलाफ २१ अप्रैल, १९६४ को डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा कोई विभागीय जांच भी इसी तरह के आरोपों पर हुई थी ? उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जी हां। जांच की रिपोर्ट पर गौर किया जा रहा है।

श्री दयाराम शाक्य--

जो जांच पुलिस के द्वारा हो रही है उसमें प्राइमाफेसी केस साबित हुआ है या नहीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

पुलिस के पास सरकार ने कोई केस इन्वेस्टीगेशन के लिये नहीं भेजा था। पुलिस ने खुद ही कागनिजेन्स लिया होगा। वह रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है और न सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है।

श्री दयाराम शाक्य--

क्या पुलिस को अपने विभाग के द्वारा यह सूचना मिली है जिस पर जांच हो रही है या विभाग के किसी व्यक्ति के द्वारा यह शिकायत पुलिस को दी गई है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

किसी गुम नाम शिकायत पर पुलिस ने यह कार्यवाही की है ऐसा मालूम पड़ता है।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह अनुरुद्ध पांडेय जी० ए० जी० एम० इस वक्त काम कर रहे हैं या कार्य से अलग कर दिये गये हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

वह इस वक्त भी काम कर रहे हैं और कानपुर में हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पांडेय जी के खिलाफ कौन से आरोप थे जिनकी जांच कराने की बात कही गई है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह सार्वजनिक हित में नहीं होगा कि जो आरोप लगाये गये हैं उनका खुलासा यहां पर किया जाय क्योंकि उसमें २, ३ तरह की जांच का कार्य चल रहा है, तो उसमें इसका असर पड़ सकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

एक तो पुलिस गुमनाम के पत्र पर जांच कर रही है और दूसरे विभाग भी जांच कर रहा है और फिर उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं जिनका बताना जनहित में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी अविलम्ब उनको मुअत्तल करने पर विचार करेंगे जिससे जांच अच्छी तरह से हो सके ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यदि जांच में यह बात पाई जायगी कि उनके खिलाफ आरोप सही है तो जरूर उनको ससपेन्ड किया जायगा।

बुलन्दशहर जिले की उस्तरा माइनर में सिंचाई

*२१--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि गंगा नहर डिवीजन बुलन्दशहर में माइनर उस्तरा में पानी की अत्यन्त कमी रही है जिसके कारण कृषकों की फसलों को अधिक हानि पहुंची है और पहुंच रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी नहीं, ऐसा नहीं है।

*२२--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि माइनर उस्तरा ऐसे क्षेत्र की सिंचाई करती है जिसमें कि काली नदी की बाढ़ से हर वर्ष नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस माइनर को ठीक ढंग से चलाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

पिछले १० वर्षों के रिकार्ड देखने से ज्ञात होता है कि केवल पिछले साल इस माइनर पर कुल १० एकड़ के लगभग रकबा बाढ़ ग्रस्त हुआ था किन्तु इससे फसल को कोई हानि नहीं हुई।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा कि उस्तरा माइनर मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीनों में कितने कितने हफ्ते चला ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो मेरे पास सूचना नहीं है कि मार्च, और अप्रैल में कितना चला, लेकिन ३ साल और इस साल की सूचना मेरे पास है। उसकी जितनी क्षमता थी उससे बहुत अधिक सिंचाई हुई है। अगर आप कहेंगे तो मैं एकरेज पढ़ दूंगा।

बाढ़ नियंत्रण योजनायें

*२३—श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष सरकार द्वारा वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ से बचाव के लिये क्या-क्या निरोधात्मक साधन निश्चित किये गये हैं ? क्या इस दृष्टि से कोई योजना पूरे प्रदेश के लिये बनाई गई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं, इस वर्ष की वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ से बचाव के लिये कोई विशेष बाढ़ निरोधक योजना अलग से पूरे प्रदेश के लिये निश्चित नहीं की गई है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार अनेकों बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

*२४—श्री कृष्णपालसिंह—

यदि हां, तो वह क्या है ? इसकी जिलानुसार सूचना क्या सरकार देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णपालसिंह—

मेरा प्रश्न दूसरा था और उसका सही उत्तर नहीं दिया गया है। तो यदि उत्तर न हो तो इसे पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि जो पहले था वही आज भी है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी एक लम्बी सूची है। यदि इजाजत हो तो पढ़ दूं।

श्री कृष्णपालसिंह—

आप उसकी कापी मुझे दे दें कृपा कर, या मैं उनके कमरे में जाकर देख लूं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं कापी दे दूंगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

बाढ़ नियंत्रक कार्यवाही के अन्तर्गत क्या सरकार कोई डिवीजन आदि बना कर इन जिलों में काम करने का विचार कर रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सोच रहे हैं और स्कीम ऐसी है कि जिसमें ब्राडकास्ट हो सके, उसकी सूचना वायरलेस से मिल सके कि बाढ़ आने वाली है। अगर साधन होंगे तो वह सब किया जायगा।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी को पता है कि प्रदेश में एक बाढ़ डिवीजन खुला था जिसको सरकार ने बन्द कर दिया? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसे पुनः जीवित कर रहे हैं? आपके सिंचाई के इंजीनियर तो बाढ़ की डिफिनीशन भी नहीं जानते।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मेरे जिले सहारनपुर में गोयला नदी से बड़ा नुकसान होता है। उसके लिये पी० डब्लू० डी० ने आश्वासन भी दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उस बारे में मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने जबाब में कहा था कि जो काम चल रहे हैं, वह चलते रहेंगे।

प्रतापगढ़ जिले में रोडवेज बस की चोरी

*२५--कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि जिला प्रतापगढ़ के ग्राम दाउतपुर से सरकारी परिवहन विभाग की यू० पी० सी० ६२३२ नं० की बस चोरी चली गई? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है तथा उस मामले में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां। किन्तु यह बस २९-६-६४ को मिल गई है। इस चोरी के संबंध में विभाग तथा पुलिस द्वारा जांच हो रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरा विवरण दिया जा सकेगा।

*२६--कुंवर श्रीपालसिंह--

[६ अगस्त, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

शाहजहांपुर बस स्टेशन इंचार्ज, श्री रिजवी का स्थानान्तरण

*२७--श्री मन्नालाल (जिला खीरी), श्री सुखलाल, (जिला इटावा), श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर), श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित) तथा श्री सुखदेव प्रसाद (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मंत्री २५ फरवरी, १९६४ के प्रश्न संख्या २० के क्रम में कृपया बतायेंगे कि श्री रिजवी, बस स्टेशन इंचार्ज शाहजहांपुर का ट्रान्सफर दिनांक २२ मार्च, १९६४ तक के लिये रोका गया था? यदि हां, तो उसके बाद उनके रोकने का क्या कारण है?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां, श्री रिजवी के पिता तथा पत्नी की कठिन रोगावस्था व बच्चों की परीक्षा के समय की निकटता के कारण कुछ समय के लिये उनका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया था।

*२८--श्री मन्नालाल, श्री सुखलाल, श्री शारदानन्द, श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित) श्री सुखदेवप्रसाद (अनुपस्थित)--

क्या मंत्री जी को पता है कि श्री रिजवी के बजाय गरीब हरिजन कन्डक्टर कन्हैयालाल का ट्रान्सफर किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन--

श्री कन्हैया लाल का ट्रान्सफर प्रशासकीय कारणों से किया गया। श्री रिजवी का भी ट्रान्सफर हो गया है।

*२९-३१--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

[६ अगस्त, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या ५८-६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३२-३३--श्री ब्रह्मदत मायर--

[हटा दिये गये।]

देवरिया जिले में राप्ती बांध की मरम्मत

*३४--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला में राप्ती के बायें किनारे पर से पराछी तक के टूटे बांध की मरम्मत के लिये क्या जिलाधीश देवरिया ने रुपया मांगा है? यदि हां, तो कितना रुपया दिया गया है? क्या मरम्मत का काम प्रारम्भ हो गया है, और क्या वर्षा आरम्भ होने के पूर्व बांध के मरम्मत हो जाने की संभावना है? यदि नहीं, तो देरी का कारण क्या है?

श्री गिरधारीलाल--

पहला भाग--जी हां।

दूसरा भाग--बांध की मरम्मत के लिये १,०७,६०० रु० की मंजूरी दी गई है।

तीसरा भाग--जी हां।

चौथा भाग--वर्षा तो आरम्भ हो गई है और बांध की मरम्मत का कार्य भी जारी है।

दिनांक २०-७-६४ तक ४० से ४५ प्रतिशत मिट्टी का काम पूरा हो चुका था।

पांचवां भाग--पर्याप्त संख्या में श्रमिकों के उपलब्ध न होने के कारण वांछित गति से बांध की मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिले के सिंचाई विभाग में पुराने ओवरसियर

१--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के सिंचाई विभाग में कितने ऐसे इंजीनियर व ओवरसियर हैं जो तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल--

इंजीनियर तो कोई ऐसा नहीं है। हां, एक ऐसा ओवरसियर अवश्य है।

छितौनी बांध को बड़ी गंडक से खतरा

२--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को कोई ऐसी सूचना है कि छितौनी बांध पर भैंसहा तथा हनुमानगंज गांव के निकट जो देवरिया जिले में पड़ता है, बड़ी गंडक का कटाव बहुत जोरों से है जिससे बांध को खतरा उत्पन्न हो गया है, यदि हां, तो सरकार ने अब तक रोक थाम हेतु कौन-कौन-सी कार्यवाही की तथा उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--जी हां । बांध को खतरा पैदा हो गया था।

द्वितीय भाग--बड़ी गंडक के कटाव को रोकने के लिए बोल्डरों को तार के क्रेट (crate) में नदी में डालकर छोटे-छोटे स्पर spur बनाये गये, जिससे कटाव बन्द कर दिया गया। बन्धे में जो कटाव हो गया था उसकी मरम्मत भी बंधे को Set back करके कर दी गई है। मिट्टी का कार्य अभी तक चालू है । उपरोक्त कार्य पर अब तक दो लाख रुपये व्यय हो चुके हैं ।

कोलअसला परगना में नलकूप

३--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव रामनगर, बूंची के परगना कोलअसला, तहसील व जिला वाराणसी में तथा उसके आस-पास सिंचाई की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार रामनगर में एक ट्यूबवेल लगाने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

जिला वाराणसी के परगना कोलअसला स्थित रामनगर ग्राम तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों की सिंचाई के लिये तीन नलकूप सिसवां, मदनपुर तथा बड़ागांव नामक ग्रामों में लगे हुए हैं । इनके अतिरिक्त एक नया नलकूप टिकरी में भी लगाया जा रहा है और एक दूसरा नलकूप रामनगर ग्राम में भी बनाने का विचार है ।

४--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं० २३६/१ शिवदासपुर, वाराणसी के संबंध में मडुआडीह के बैजनाथ, बृजमोहन आदि २० किसानों ने एक प्रार्थना-पत्र एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, नलकूप विभाग, वाराणसी को २९ अप्रैल, १९६३ को रजिस्ट्री द्वारा भेजा था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--प्रार्थना-पत्र पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई:--

(१) कच्ची नाली की मरम्मत के संबंध में सरकार द्वारा यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि नलकूप की कच्ची गूलों की मरम्मत, रख-रखाव आदि विभाग द्वारा किया जाय ।

(२) ब्लाक के पास त्रिमुहानी के उत्तर में पक्की नाली की कुछ ईंटें खुल गई थीं जो ठीक करा दी गई हैं।

(३) त्रिमुहानी पर पटरों का इन्तजाम कर दिया गया है और पक्की नालियों की सफाई बराबर हर वर्ष की जाती है ।

(४) प्रार्थना-पत्र में नलकूप में कम होने की शिकायत की गई थी जो ठीक नहीं पाई, गई, क्योंकि नलकूप २५,००० गैलन प्रति घंटा पानी देता है ।

(५) प्रार्थना-पत्र में बार-बार लाइन कट जाने की शिकायत की गई थी । जब कभी भी बिजली की लाइन कट जाती है तो उसकी सूचना विद्युत् विभाग को दे कर ठीक करा दी जाती है ।

५—श्री ऊदल—

क्या सेवापुरी रोड की तरफ जाने वाली नाली ब्लाक के पास त्रिमुहानी से कच्ची है और वह पक्की नहीं बनाई गई ? क्या नाली के त्रिमुहानी पर पटरी नहीं पड़ी है और नाली की सफाई भी नहीं होती ? क्या ट्यूबवेल का पानी बहुत कम हो गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, सेवापुरी रोड की तरफ जाने वाली नाली ब्लाक के पास त्रिमुहानी से कच्ची है, इसको पक्की करने का कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है। त्रिमुहानी पर पहले पटरे नहीं थे परन्तु अब दे दिये गये हैं । पक्की नाली की सफाई प्रति वर्ष होती है । नलकूप २५,००० गैलन प्रति घंटा पानी दे रहा है जो कमांड को देखते हुए कम नहीं है ।

६—श्री ऊदल—

यदि हां, तो क्या सरकार दूसरी बोरिंग कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता ।

रजबहा किठौर में पानी की कमी

७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री १० मार्च, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्र० सं० ७ व ८ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि रामगंगा योजना के पूरा होने के पश्चात् ऊपर गंगा नहर में पानी उपलब्ध हो सकेगा और क्या सरकार उस समय रजबहा किठौर की क्षमता को बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

यह सही है कि रामगंगा योजना के पूरा होने के पश्चात् ऊपर गंगा नहर को अब के मुकाबले में अधिक जल मिलेगा किन्तु चूंकि रामगंगा योजना के पूर्ण होने में काफी समय है, अभी यह नहीं बताया जा सकता कि किन-किन रजबहों की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी या कौन से नये रजबहे लगाये जा सकेंगे ।

८-१०—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[हटा दिये गए ।]

जवाहरनगर पुरसारी ग्राम को बिजली

११—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि ग्राम जवाहरनगर पुरसारी विकास क्षेत्र जैथरा, जिला एटा के ५० गज दूरी पर ही नलकूप हैं, तथा गांव की आबादी

डेढ़ हजार के लगभग होने के साथ-साथ काफी मात्रा में मकान पक्के हैं जहां विद्युत् कनेक्शन लगेंगे ? यदि हां, तो सरकार विद्युतीकरण १९६४ ही में सम्मिलित कर उक्त ग्राम को बिजली प्रदान करने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--

यह ग्राम विद्युतीकरण के लिए छांट लिया गया है और इसका विद्युतीकरण १९६५ के अंत तक हो जाने की आशा है ।

सदन की बैठक के संबंध में जानकारी

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--

ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेता विरोधी दल का सुझाव मानकर सरकार इस सदन को इस सप्ताह के अंत में बंद करने जा रही है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ।

विधान सभा सदस्य के प्रति कथित पाकिस्तानी नागरिक होने का आरोप

श्री अमजद अली (जिला आजमगढ़)--

कल आपने कहा था कि मुझे मौका मिलेगा । मेरे बारे में बात कही गई थी ।

श्री अध्यक्ष--

आपको जो कहना है, संक्षेप में कह दीजिए ।

श्री अमजद अली--

मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेरा बयान हो जाने के बाद दूसरों को भी समय देंगे कि उसका वे उत्तर दे सकें ? किस्सा यह है कि इसके पीछे एक आपसी दुश्मनी की बात है.....

श्री अध्यक्ष--

क्या कहना है आपको, कृपया अब संक्षेप में कहें ।

श्री अमजद अली--

कहना यह है कि एक साहब अब्दुल हसीब साहब हैं । उनके दो लड़के हैं । एक साहब पाकिस्तान चले गये हैं सन् १९५० से पहले और दूसरे साहब यहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपने दरख्वास्त दी है कि नहीं ?

श्री अमजद अली--

न मैंने दरख्वास्त दी है और न मैं वहां गया हूं और न मैंने कोई एलाटमेंट कराया है । एलाटमेंट आर्डर पढ़ने से ही सिर्फ नहीं हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

तो न आपने दरख्वास्त दी, न एलाटमेंट आपके नाम हुआ, और न आप जाना चाहते हैं ?

[श्री अध्यक्ष---]

जब यह प्रश्न सदन के सामने आया, उसी समय मैंने यह कहा था कि जो फोटो आपके (श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी से) पास है, उसको माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दें ताकि वह उसको देख कर और माननीय सदस्य को बुलाकर इस संबंध में जांच करा लें। तो कृपा कर उनको वहां भेज दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

नहीं साहब आप वहां थे। आप के पत्र के फोटो हैं।

श्री अमजद अली---

जिन तारीखों को कहा जाता है कि मैं वहां था, उन तारीखों को मैं कचहरी में था। मेरी हाजिरी वहां है। आप देखना चाहें तो देख लें। अध्यक्ष महोदय, आप मेरी हाजिरी कचहरी में देख सकते हैं कि मैं उन तारीखों को कचहरी में मौजूद था।

श्री अध्यक्ष---

यह बहस यहां नहीं होगी। मैं आप से यह नहीं पूछना चाहता।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

आप की व्यवस्था के अनुसार श्रीमन्, मैं उन्हें माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज दूंगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आप सन् १९५० में पाकिस्तान गये थे कि नहीं और गये थे तो कितने दिन रहे थे ?

श्री अमजद अली---

मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं यहां मौजूद था और वहां नहीं गया था। मेरे खिलाफ कुछ लोगों से मुकदमा चल रहा था, इसी से यह सब कुछ किया गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

यहां जो मेरे पास फोटोग्राफ का एक्सट्रेक्ट है इसमें माननीय अमजद अली साहब के सिगनेचर हैं और आप के यहां जो रजिस्टर है उसमें भी उनके सिगनेचर्स रहते होंगे, आप उनसे मिला सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि १९५० में जब अमजद अली साहब पाकिस्तान गये थे तो वहां कितने दिन तक रहे थे ?

श्री अमजद अली---

मैं वहां नहीं गया था, मैं बराबर कचहरी में हाजिर था। मैं बिलकुल नहीं गया। यह दुश्मनी की वजह से है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, इनसे लिखित ले लिया जाय और माधोप्रसाद जी भी लिख कर दे दें, उसकी जांच हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों को सरकार द्वारा न मानने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब मेरे पास ३-४ कामरोको प्रस्ताव आये हैं....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

एक हमारा भी प्रस्ताव है अध्यापकों के बारे में। उनमें बड़ा असन्तोष है वेतन की असमानता, महंगाई आदि के कारण। वे बराबर अधिकारियों से मिलते भी रहे। मेरा निवेदन है कि उसको आप स्वीकार कर लें, यह बहुत जरूरी है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

टीचर्स की समस्या के बारे में हमारा भी एक कामरोको प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय रघुनाथसिंह का है, एक माननीय बसन्तसिंह का है, एक माननीय जेड० ए० अहमद, माननीय चन्द्रजीत यादव, माननीय ऊदल का है। यह तीन हैं टीचर्स के बारे में....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

एक हमारा भी कामरोको प्रस्ताव है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

हमारा नियम ५२ का है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया सब बैठिये। मैं निवेदन कर दूं। कामरोको प्रस्ताव में आवश्यक यह है कि उसमें कोई हाल ही की घटित घटना हो। प्रत्येक सूचना में यह है कि कई वर्षों से उनकी मांग हो रही है और उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। तो यह कोई हाल की तो घटना है नहीं। इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्रदेश के किसानों, मजदूरों आदि की मांगों को स्वीकार न किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब एक माननीय उग्रसेन, माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय राधेश्याम, माननीय काशीनाथ तथा कई माननीय सदस्यों का है, जिसमें कई मांगें बतायी गयी हैं। उसमें ९ मांगें हैं जिनके लिये कहा गया है कि वे पूरी नहीं हुई हैं और इस वजह से कामरोको प्रस्ताव पर विचार किया जाय। कारण उसका यह है कि जिस समय खाद्य समस्या के सम्बन्ध में हमारे देश की हालत ऐसी है और विशेष रूप से कीमतों के बारे में, इस पर विचार होना चाहिये। इसमें आगे कहा गया है कि हमारे यहां भुखमरी की हालत है, कीमतें बहुत ऊंची हो गयी हैं और ऐसी दशा में जो गिरफ्तारी हुई है और जिस प्रकार से वसूली हो रही है, वह नहीं होनी चाहिये।

मैंने कामरोको प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार किया है कि कल ही इस विषय में विचार कर के पूरी बहस समाप्त हुई है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अनशन करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्दर माननीय काशीनाथ मिश्र, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री दौलतलाल, श्री चन्द्रबलीसिंह व श्री शिवचरण का है, जिसको मैंने स्वीकार किया है। पढ़कर सुना देता हूं। वह इस प्रकार है--

"गोरखपुर शहर में कदम-कदम पर बन्दूकधारी पुलिस तैनात है, भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के तीन छात्र नेताओं, सर्वश्री कल्पनाथ राय, लालता सिंह और दिनेशचन्द्र की गिरफ्तारी और विश्वविद्यालय के प्रांगण के अन्दर भूख हड़ताल पर बैठे हुये छात्र नेता की दयनीय चिन्ताजनक हालत से शहर में एक अजीब तनाव की स्थिति पैदा हो गयी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधीन सतीशचन्द्र डिग्री कालेज, बलिया के भूतपूर्व अध्यक्ष छात्र नेता का निष्कासन और गोरखपुर में छात्रों की गिरफ्तारी एवं भूख हड़ताल ने सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में क्षोभ और असन्तोष का वातावरण पैदा कर दिया है। गोरखपुर तथा पूर्वी जिलों में किसी भी समय विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है जिससे नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त तथा उपद्रवजनक हो सकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सम्बद्ध मंत्री महोदय और इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

जिन लोगों का मैंने ऊपर अभी नाम पढ़ा, सब का इसी विषय पर है।

तो माननीय मंत्री जी इस पर कब बयान देंगे ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

सोमवार को दे दूंगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मैंने भी एक बरेली के सम्बन्ध में एक दिया था कि वहां ४०-५० आदमी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं, तो उस पर भी आप कोई निर्णय दे दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर माननीय मंत्री से आप यथाशीघ्र वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, सोमवार के बजाय आप शुक्रवार को वक्तव्य दे दें।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों को सरकार द्वारा न मानने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, आपने मुझे आश्वासन दिया था, तो मुझे सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

सुन लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यापकों का सवाल सारे प्रदेश में ऐसा है.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने रूल आउट कर दिया है उसे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

लेकिन फिर भी हमारी आपकी सहानुभूति उनके साथ है, नियम विरुद्ध होते हुये भी बहुत-सी चीजें प्रदेश में हो रही हैं जिनको सुनना पड़ता है और कहना पड़ता है....

श्री अध्यक्ष—

यह बिलकुल गलत है, जहां तक इस सदन का सवाल है यहां आप का हमारा कर्त्तव्य है कि कोई काम या बहस यहां नियम विरुद्ध न हो....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह मामला ऐसा है कि नियम विरुद्ध हो तब भी आप को हमें मौका देना चाहिये ।

(व्यवधान)

बहुत बार आप ने रूल आउट करने के बाद फिर विचार किया है ऐसा मैं दिखा दूं तो क्या होगा, खेर साहब ने भी ऐसा किया है और आपने भी किया है, यह भी ऐसी परिस्थिति है....

श्री अध्यक्ष—

इस पर अब कोई बहस नहीं होगी, वह विषय खत्म हो गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण सवाल पर....

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर कोई बात नहीं होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हम मजबूर हैं । यह प्रश्न हजारों अध्यापकों से सम्बन्धित है, आप हमारी बात उनके विषय में नहीं सुन सकते और हम उनकी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इजाजत नहीं देते । ऐसी हालत में हम मजबूर हैं कि इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें । अध्यापकों के हजारों प्रतिनिधि आये हुये हैं उनके विषय में घंटा, आधा घंटा, १५ मिनट ही आप कहने देते तो उनको कुछ सान्त्वना मिल जाती....

श्री अध्यक्ष—

मेरी मजबूरी है, नियम में मैं इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अगर मजबूरी है तो हम अपने दल के साथ २ मिनट के लिये वाक-आउट करते हैं ।

(संयुक्त सोशलिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, सारे प्रदेश से मास्टर आये हैं, उनकी समस्यायें हैं, मेरी आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप उनके बारे में कुछ कहने का यहां मौका दें।

श्री अध्यक्ष--

जो मेरी समझ में नियम के अन्दर नहीं आता, उसको मैं नहीं ले सकता।

श्री जेड० ए० अहमद--

तो हम भी सदन से वाक-आउट करते हैं।

(साम्यवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

अध्यक्ष महोदय, शिक्षकगण के सम्बन्ध में हमने भी एक प्रस्ताव दिया था, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, प्रदेश के कोने-कोने से शिक्षकगण इकट्ठा हुये हैं। हम उन्हें उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे भी नहीं दे सके हैं। समान कार्य के लिये समान वेतन न देकर उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

भाषण का समय नहीं है। आप भी जाना चाहें तो जायं।

श्री बसन्तसिंह--

यह शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सरकार के सामने उनकी मांगें और उनके कष्टों को रखना चाहते थे, लेकिन आप उसके लिये भी इजाजत नहीं दे रहे हैं। आप मन्त्री महोदय के पास यह प्रस्ताव स्टेटमेंट के लिये ही भिजवा सकते थे, आप इसे स्वीकार भी कर सकते थे। आप किसी भी बात की इजाजत नहीं दे रहे हैं, इसलिये विरोध में हम भी ५ मिनट के लिये वाक-आउट करते हैं।

(जनसंघ दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रघुनाथसिंह--

आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप मुझे सुनेंगे। यह क्या मजाक है कि आपने स्वयं कहा कि मुझे अवसर देंगे लेकिन अब आप नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो आप को सुनने को तैयार हूं।

श्री रघुनाथसिंह--

मैंने अपने कामरोको प्रस्ताव में बताया है कि पिछली १९ तारीख को अध्यापकों ने सामूहिक अनशन किया और आज यहां हजारों की संख्या में आये हैं। आज राज्यशाह की आप निन्दा करते हैं किन्तु सामन्तशाही जमाने में चक्रवर्ती राजा लोग अध्यापकों और शिक्षकों की आवश्यकता को जानने के लिये गुरुकुलों में उनसे परिचय करने के लिये निकलते थे और उनकी हालत को सुधारते थे। परन्तु आज हम शांतिमय तरीके से चाहते हैं कि सदन में शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं उनको सुना जाय तो आप बहस की या वक्तव्य की इजाजत नहीं दे रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी कम से कम ४, ५ सीढ़ी लांघ कर उनके बीच जाकर उनकी जरूरतों को तो समझ लेते? उन की समस्यायें बहुत-सी हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप इसकी इजाजत दे देते। मेरा दल तो चला गया और अब आपके इजाजत न देने पर आप के निर्णय के विरुद्ध सख्त एतराज करके मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रघुनाथ सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह अध्यापकों का मसला इतना अहम है कि इसके बारे में इस तरह का रुख अपनाया जाय इसको हम बरदाश्त करने को तैयार नहीं हैं। इसलिये हम भी अपने दल के साथ ५ मिनट के लिये इस निर्णय के खिलाफ सदन का त्याग करते हैं।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

मैं भी टीचर्स की सहानुभूति में त्याग करता हूं।

(स्वतंत्र दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

यह टीचर्स का प्रश्न है, आप को नियम ५२ में इस को स्वीकार करना चाहिये था, लेकिन आपने इजाजत नहीं दी। आपको इस पर विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिये था। कम से कम वक्तव्य के लिये तो आप भेज ही सकते थे। इस निर्णय के विरुद्ध हम भी अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना के संबंध में संकल्प

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी ३ अगस्त १९६४, की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण तथा उत्तर प्रदेश लोक-सेवा-आयोग के १९५९–६० के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :

(१) उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण। (२) उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण। (३) उत्तर प्रदेश कौनियल ग्रांफिटग विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।	एक दिन
(४) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण। (५) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५९–६० के प्रतिवेदन पर चर्चा।	तीन दिन

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण तथा उत्तर प्रदेश लोक-सेवा-आयोग के १९५९-६० के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित समय से सहमत है :

(१) उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

(२) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।

(३) उत्तर प्रदेश कौनियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।

(४) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण।

(५) उत्तर प्रदेश लोक-सेवा-आयोग क १९५९-६० के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि माननीय बंशीधर जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, बरेली में जो रबर फैक्ट्री है वहां पर पुलिस के अधिकारी उन किसानों की गिरफ्तारियां करते हैं जो वहां पर जाकर हल चलाते हैं बावजूद इसके कि वे लगान दे रहे हैं। फैक्टरी वाले उनसे कहते हैं कि यह जमीन उनकी है । हालांकि न तो उन किसानों के नाम खारिज हुए हैं और खेतों पर अभी तक किसानों का ही कब्जा है । वहां पर जिला अधिकारियों ने दफा १४४ भी लगा रखी है ।

श्री अध्यक्ष---

आपकी शिकायत यह है कि वे लोग अपने खेतों पर जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होती है। यह लोकल प्रशासकीय काम है। पुलिस गिरफ्तार करती है । आपके आवेदन से विदित होता है कि लैन्ड एक्वीजीशन के अन्तर्गत कुछ कार्यवाही हुई है । अब उनके नाम खारिज हुए हैं या नहीं, उसके लिए आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि लैन्ड एक्वीजीशन में यह सब हो रहा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

पर लैन्ड एक्वीजीशन के अन्तर्गत उनको (किसानों) को तो सूचना होनी चाहिये । उन्हें कोई सूचना नहीं है । इसका डायरेक्ट संबंध सरकार से है । सैकड़ों आदमी वहां पर गिरफ्तार किये जा रहे हैं और हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष---

इसको समझिये कि अगर लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत पुलिस कोई कार्यवाही करती है तो वह विषय कामरोको प्रस्ताव या नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं आ सकता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, गोरखपुर में आपने एक बात पर कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष--

जो मेरी समझ में आया वह मैंने कर दिया।

उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३†

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में पशुओं की बहुत बड़ी संख्या है और वे ऐसे पशु हैं जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बनाने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकते जो हमारे यहां पशु हैं, उनमें इतनी उत्कृष्ट क्षमता नहीं है जो अच्छे नस्ल के सांड़ हों और गायों में दूध देने की क्षमता नहीं होती है। हमारे यहां जो सांड़ विद्यमान हैं वह इतने तन्दुरुस्त नहीं हैं और उनमें प्रजनन की इतनी उत्कृष्ट क्षमता नहीं है, जो अच्छे सांड़ पैदा कर सकें तथा अच्छी नस्ल की गायें हमारे यहां हो सकें। कमजोर नस्ल के जो पशु और गायें हैं उनमें संक्रामक बीमारी भी होती है, जिसकी वजह से हमारे पशुओं की नस्ल में जो सुधार होना चाहिये वह नहीं हो पाता है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बजाय तरक्की करने के खराब होती जा रही है।

(इस समय १२ बजकर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुए।)

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और जहां कृषि होती है वहां पशुओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस उद्देश्य से कि इस प्रदेश के पशुओं की नस्ल में सुधार हो, अच्छे नस्ल के सांड़ और गायें हों, यह विधेयक लाया गया है। जो बेकार सांड़ है उनको बधिया किया जाय, यह इसका उद्देश्य है। अच्छे नस्ल के सांड़ों को अनुमोदित करके उनका प्रचलन यहां प्रारम्भ किया जाय। छोटे कद के सांड़ों में उत्कृष्ट किस्म की प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। इसलिये ऐसे सांड़ों को रखने से हमारे यहां अच्छे नस्ल की गायें और सांड़ तैयार नहीं हो सकते हैं। इसीलिय यह विधयक लाया गया है और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय सदन इस पर विचार करेगा। जिस क्षेत्र में यह अधिनियम लागू किया जायगा उसमें जिन सांड़ों की प्रजनन की उत्तम क्षमता नहीं है उनको बधिया किया जायगा और पशुपालन विभाग के जो पशुपालक अधिकारी हैं उनके जरिये से बाकायदा नोटिस होगा और उसके जरिये से जिन गांवों में निम्न श्रेणी के सांड़ होंगे, उन गावों में वह स्वयं जाकर निरीक्षण करेगा और उस निरीक्षण के बाद यह तय करेगा कि वह सांड़ उस इलाके के लिये उपयुक्त है या नहीं। हमारे यहाँ सांड़ों के लिये जो नियम बने हुये हैं और जिस क्षमता के सांड़ हमारे यहां के पशुधन में सुधार के लिये आवश्यक हैं अगर उस तरह का सांड़ नहीं है तो उसको बधिया कर दिया जायगा। अगर कोई व्यक्ति उस नोटीफिकेशन के बाद उस नियम का पालन नहीं करता है, जो इस अधिनियम के मुताबिक आचरण नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और उस पर अर्थदंड भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो चिन्ह राज्य सरकार की ओर से मुकर्रर होगा और जो प्रमाणित सांड़ होंगे उन पर वहां वह चिन्ह अंकित किया जायगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो गलत चिन्ह या ऐसे चिन्ह को जो उपयुक्त नहीं हैं उन सांड़ों पर लगायेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और उसको १०० रुपये तक का अर्थदंड देना पड़ेगा। यह व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है। मुझे उम्मीद है कि सदन इस विधेयक पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इसे पारित करेगा।

†२० दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

*श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन में प्रस्तुत कर दे।

प्रस्तुत विधेयक जिस भावना से प्रस्तुत किया गया है उसका मैं आदर करता हूं, परन्तु मैं यह समझता हूं कि प्रस्तुत विधेयक से मूल समस्या का हल नहीं होगा, वह और बिगड़ेगी। जहां तक पशुओं की नस्ल में सुधार का संबंध है उसमें सांड़ महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन केवल अच्छे सांड़ों से ही पशुओं की नस्ल का सुधार हो जाय ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुमान है कि हमने अच्छी नस्ल की दूध देने वाली गाय पंजाब से मंगायी, लेकिन जितना दूध वे पंजाब में देती थी, उसके अनुपात में वह दूध यहां कई गुना घट गया। इससे हमें सोचना पड़ता है कि और दूसरे भी कारण हैं जिससे कि नस्लें कालान्तर में गिर जाया करती हैं और सबसे बड़ा कारण चारे की समस्या है। चाहे कितनी ही अच्छी नस्ल का पशु हो यदि उसके पालन-पोषण के लिये जितना अच्छा नरिशमेंट चाहिये नहीं मिल पायेगा, तो उस नस्ल में सुधार नहीं हो सकता। इसलिये आवश्यक है कि जब हम पशुओं की नस्ल के सुधार के संबंध में चर्चा कर रहे हों और विधेयक ला रहे हों तो उन समस्त बातों पर विचार किया जाय जिनसे नस्ल के सुधार का संबंध होता है। गांव का कोई भी व्यक्ति सांड़ नहीं पालता। माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर सांड़ वैसे ही छोड़े जाते हैं कोई उनको पालते नहीं वे किसानों के खेत में चले जाते हैं और चरते हैं। यह कैसे सम्भव होगा, जैसा विधेयक में लिखा है कि पालने वाले को नोटिस दी जायगी और अगर अच्छी नस्ल का न हुआ तो उसको बधिया बनाया जायेगा, इससे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिये अवश्य मौका मिल जायगा। जैसा हर जगह हो रहा है कि अधिकारियों से जब किसी चीज को प्रमाणित कराया जाता है तो वे रिश्वत लेकर प्रमाणित कर देते हैं, वैसे ही यहां पर भी होगा। मैं तो यह समझता हूं कि सरकार अच्छे सांड़ों का प्रबन्ध करे, उनके लिये अच्छे चारे का प्रबन्ध करे और तीन-तीन मील के रेडियस में एक प्रजनन केन्द्र स्थापित करे जो कि वहां के पशुओं की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो और जिस क्षेत्र में सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे, वहां पर इस अधिनियम को लागू करे अन्यथा और अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी कि सरकार तो इतने सांड़ों का प्रबन्ध कर नहीं सकेगी और वहां पर जो घटिया किस्म के सांड़ आज काम कर रहे हैं उनको बधिया कर देगी। तो जब तक सरकार इसके लिए आल्टरनेटिव नहीं दे देती है तब तक सरकार उन क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू न करे।

दूसरी बात इसमें जो सजायें रखीं गई हैं, मैं तो यह कहूंगा कि इतनी कठोर सजाएं बड़े अपराधों के लिए भी नहीं होती हैं। सजा को इसमें इतना बढ़ा दिया गया है जबकि बहुत मामूली सजा रखी जानी चाहिये थी, क्योंकि कोई आदमी अपने हित में ऐसा नहीं करता। सांड़ उसके किसी निजी काम में नहीं आता है, न वह खेती के काम में आता है न किसी और काम में आता है। वर्तमान विधेयक से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और नस्ल में सुधार नहीं हो सकेगा। मैं यह कह रहा था कि जब तक प्रजनन केन्द्र इतने व्यापक रूप से स्थापित न कर दिये जायं कि सरकार सबकी आवश्यकता को पूरा कर सके तब तक यह विधेयक लाना इसके मूल उद्देश्यों को समाप्त करना होगा और इससे नस्लें अच्छी नहीं होंगी, बल्कि और भी खराब होंगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब नस्ल सुधार के ऊपर एक विधेयक लाया जा रहा है तो इसकी परिधि विस्तृत की जाय और एक कमेटी को यह सुपुर्द किया जाय, जहां पर सब प्रकार से इस पर विचार-विमर्श हो सके, क्योंकि मेरा अपना अनुभव यह है कि जब यहां माननीय सदन में विचार होता है और एक दल विशेष की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस दल के सब लोग उसके समर्थन में ही कहते हैं चाहे उसमें उसके मूल उद्देश्यों के विरुद्ध भी बातें हों, लेकिन कमेटी में यह बात नहीं होती। वहां खुले दिल से विचार होता है, इसलिये जब यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो वहां सभी प्वाइंट्स पर विचार होगा।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज जो प्रजनन कन्द्र हैं और वहां पर जो सांड़ पाले जाते हैं वे बड़े दुर्बल-कार्य होते हैं और उनको ठीक नरिशमेंट नहीं मिलता है। डी० एल० ओ० या संबंधित अधिकारी उनके मेंटिनेंस के खर्चे में से अपने लिये बचाकर रख लेते हैं और इससे सांड़ों के लिये चारे का प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं हो पाता है। ऐसे कमजोर सांड़ सरकार अगर अपने प्रजनन केन्द्रों में रखेगी तो नस्ल और भी खराब होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मानवीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो तीन विधेयक आज के लिए रखे गये हैं इनमें कितना-कितना समय किस-किस के लिए होगा यह नहीं बताया गया है, केवल यह कह दिया गया कि इन तीनों के लिए एक दिन होगा।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य बोल लें तो समय निर्धारित हो जायगा।

श्री बसन्तसिंह--

इस विधेयक में और भी कमी है कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कोई दायित्व नहीं रखा गया है। सांड़ को बधिया कराने की पूरी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों पर होनी चाहिये और रजिस्टर के लिए भी कहा गया है कि जो अनुमोदित सांड हैं उनका रजिस्टर पशुधन अधिकारी रखेगा या रखवायेगा, जबकि यह पशुधन अधिकारी का कर्त्तव्य होना चाहिये कि वही रजिस्टर मेन्टेन करे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनका निराकरण होना आवश्यक है और इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको प्र बर समिति के सुपुर्द किया जाय।

*श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृषि मंत्री को बधाई देता हूं इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए। मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये और इसमें जो माननीय राजेन्द्र सिंह आदि का संशोधन है, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह निर्विवाद तथ्य है जिसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे देश के अन्दर पशुओं की संख्या जितनी है उसके अनुपात में दूध हमको नहीं मिलता है। इस देश में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन अधिकांश में उनका पोषण और सुन्दर नस्ल न होने के कारण उनका उतना प्रयोग नहीं होता है, उनसे उतना दूध नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिये। कृषि मन्त्री जी ने यह प्रस्ताव किया है कि वह सांड़ जो बहुत खराब है, जिनसे खराब बच्चे पैदा होते हैं उनको बधिया कर दिया जाय। यह बहुत सुन्दर प्रस्ताव है। यह आज देखने को मिलता है और यह कहा जाता है कि पशुओं के लिये चारा नहीं है, चारे की कमी है। इसमें दोष किसका है। दोष पालने वालों का है, वे भोजन का प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं। उसका परिणाम होता है कि जितना दूध उनसे मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पाता है। मैं देखता हूं कि गांव और शहरों के अन्दर इस तरह के आवारा सांड़ बहुत घूमते दिखाई देते हैं। कुछ अच्छे किस्म के सांड़ों से तो जरूर अच्छी नस्ल के बच्चे मिलते हैं, लेकिन अधिकतर खराब सांड़ होते हैं तो उनसे खराब बच्चे ही प्राप्त होते हैं। इसलिये यह समाज के हित में है कि ऐसे सांड़ों को बधिया कर दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बद्रीप्रसाद पाण्डेवाल]

हमारे मित्रों का वह तरीका है कि कोई भी प्रस्ताव आये या विधेयक आवे उसको प्रवर समिति में भेजने की बात करते हैं। यह दलील दी जाती है कि वहां पर ठीक विचार हो सकता है और समिति अच्छा विचार कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक विवाद का नहीं है। इसमें प्रदेश की जनता का हित है। यह इतना सुन्दर है कि इसका सब तरफ से समर्थन होना चाहिये। हमारे प्रदेश में आज आवारा पशु बहुत घूमते फिरते हैं जो कृषि का नुकसान करते हैं। सरकार ने गोसदन खोल दिये हैं, लेकिन जनता उन सदनों का उतना उपयोग नहीं करती है जितना करना चाहिये। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि पशुपालन विभाग के कर्मचारियों से इस काम को कराया जाय कि जो आवारा पशु घूमते हैं उनको गोसदन में भेज दिया जाय। ग्राम की जनता इस चीज को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। वह अपने यहां से दूसरे गांव में उनको भेज देती है। आप कृषि विभाग के अफसरों को इसका आदेश दें कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कहें कि जहां पर आवारा पशु पाये जायें उनको गोसदन में भेज दिया जाय ताकि कृषि का नुकसान न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं यह चाहता हूं, अब इन तीनों विधेयकों के लिये समय का बटवारा कर लिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

इस पर १२॥ बजे से बहस शुरू हुई है तो पशुधन सुधार विधेयक के लिये २ घंटा और शोरा नियंत्रण विधेयक के लिये २ घंटा और कानियल ग्राफ्टिंग के लिये आधा घंटा दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है। पहले वालों के लिये २, २ घंटा और आखिरी के लिये आधा घंटा। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

ठीक है। इस समय के अन्दर उनके संशोधन भी आ जायंगे।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस पशुधन सुधार विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जहां तक इस विधेयक के पीछे भावना है वह बहुत अच्छी है और काबिले तारीफ है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हमारे मवेशी इस प्रदेश में बहुत खराब हालत में हैं। वे कमजोर हैं, ज्यादा दूध नहीं देते और उनमें सुधार की जरूरत है और इसी भावना से इस बिल को लाया गया है। इस बिल में अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ बातों का जिक्र नहीं है। बहुत-सी बातें ओवरलुक कर दी गयी हैं। कुछ बायोलाजिकल फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हमारे पशुओं में सुधार नहीं हो सकता। आप भले ही कितने सांड़ गांवों में भेज दें, लेकिन जब तक उनका हर तीसरे साल स्थानान्तरण नहीं किया जाता उनकी नस्ल में सुधार नहीं हो सकता। अगर एक सांड़ अपने ही वंश की गाय को गाभिन करता रहता है तो उससे नस्ल खराब होती है। मुझे अफसोस है कि कृषि विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के किसी एक्सपर्ट का ध्यान इस बात की तरफ क्यों नहीं गया । इसका प्राविजन इसमें होना चाहिये था कि सांड़ों को हर तीसरे साल इतनी दूर छोड़ दिया जाय ताकि वे अपने पुराने स्थान पर लौट न सकें । अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी नस्ल में सुधार नहीं हो सकेगा । लिहाजा मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दें और इसका जवाब मुझे और सदन को दें कि क्यों इस बात की तरफ किसी एक्सपर्ट का ध्यान नहीं गया । इस किस्म का प्राविजन इस बिल में होना चाहिये था । इस विधेयक में जो सर्वे कराने की बात कही गयी है उसकी मैं सराहना करता हूं । ऐसा करने से ६, ७ साल में हमारी देशी नस्ल उन सांड़ों की नस्ल की ही हो जायगी, लेकिन अगर उनको हम हर तीसरे साल उस जगह से हटायेंगे नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा । हमारे जो सांड़ हैं, वह किस तरीके से गांव में फिरते हैं, आवारा मवेशी की तरह से । कुछ इसके खेत में चर रहे हैं, कुछ उसके खेत में चर रहे हैं । उनके पालन-पोषण की व्यवस्था रक्खी गई है, इसका भी कोई जिक्र नहीं है । इस तरह से वे फसलों का भी नुकसान करते हैं । किसान लोग भी उन्हें मारते पीटते रहे हैं और किसी के जख्म भी कर देते हैं । लिहाजा इसकी भी कोई व्यवस्था इस विधेयक में नहीं की गई है कि किस प्रकार उनका रख-रखाव किया जाय । इसी तरह से मान्यवर, एक बात और है जोकि मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने सांड़ों की वह व्यवस्था कर सकेंगे और जब खराब सांड़ों को वह बधिया कर देंगे जो कि बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है, तो उसके बाद क्या उनके पास इतने सांड़ों की व्यवस्था है कि वे सारे प्रदेश की पूर्ति कर सकें, गांव-गांव में सांड़ दे सकें और जो वाकई उसी नस्ल का सांड़ हो । मैं समझता हूं उसकी व्यवस्था उनके पास नहीं है । तो किस तरीके से इस बात को निभायेंगे ? इसके अलावा जहां तक मेरी राय है, वह यह है कि ज्यादा से ज्यादा आर्टीफिसियल इनसेमीनेशन केन्द्र खोलने चाहिये । मैं समझता हूं कि उसमें खर्च भी कम होगा और अगर उन इनसेमीनेशन केन्द्रों में यौन कराने की व्यवस्था रख दी जाय तो उसमें कोई हर्ज नहीं है । लिहाजा इतने ज्यादा सांड़ों की व्यवस्था करना जोकि बहुत अच्छी नस्ल के हों, अगर वह हमारे कृषकों के पास पहुंचें तो मैं समझता हूं उससे कृषि क्षेत्र को काफी फायदा होगा । इससे थोड़े से और उम्दा सांड़ों के आर्टीफिशियल केन्द्र कायम कर दें तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है और हम देखते रहें कि जिस केन्द्र में जिन सांड़ों का सीमेन आया हो, एक दफा, दो साल के बाद दूसरे सांड़ों का आना चाहिये, ताकि एक तरीके की चेंज बनी रहे । नया-नया ब्लड, नया-नया खून हमारे मवेशियों में आता रहे । उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, उससे बहुत उन्नति हो सकती है हमारे पशुओं की । मान्यवर, मैं इसके अलावा यह और अर्ज करना चाहता हूं कि जो सांड़ आवारा फिर रहे हैं, उनको बधिया कराना बहुत जरूरी है और इस बिल के अन्दर इसका प्रोवीजन भी है । मैं इस बात से सहमति प्रकट करता हूं और जैसाकि मन्त्री जी को भी इल्म है, और उनको इस चीज का एहसास है कि हमारे पशुओं की नस्ल खराब होती है और वह खराब पैदा होते हैं, उनको बधिया कराने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी होनी चाहिये । इसके अलावा एक बात और भी होनी चाहिये कि जब कोई बछड़ा खास उम्र पर पहुंच जाता है तो उससे भी हमारी गायें गर्भिणी हो जाती हैं । तो इस किस्म का भी एक प्रावीजन होना जरूरी था कि किस उम्र के बछड़ों को बधिया करवा दिया जाय कि जब उसका बछड़ा इस आयु का हो तो उसको बधिया कराना आवश्यक होगा वरना वह नहीं करेगा । और इसका नतीजा यह होगा कि वही बछड़े गायों को यौन करते रहेंगे और इस तरीके से हमारे पशुओं का सुधार नहीं हो सकता है ।

इस तरीके से हमारी जो भैंसे हैं, मान्यवर उनके भी दूध देने की क्षमता बहुत कम है । उनके लिये भी हमें उम्दा किस्म के सांड़ मिलने चाहिये ।

आज प्रदेश में भैंसा, सांड़ की बहुत कमी है और किसानों को अपनी भैंसों को गाभिन कराने में बड़ी दिक्कत होती है । जो हल चलाने वाले भैंसे होते हैं उन्हीं से वे अपनी भैंसों को गाभिन करा लेते हैं । अगर उनके लिये उम्दा किस्म के भैंसे, सांड़ तैयार किये जायं तो उनसे

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

बहुत उम्दा किस्म की भैंसे भी तैयार हो सकती हैं, क्योंकि भैंस ही सबसे ज्यादा दूध देती है। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय, ताकि वहां पर इन सब त्रुटियों की ओर विचार किया जा सके।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, पशुधन सुधार विधेयक जो इस सदन में माननीय कृषि मंत्री जी की ओर से पेश हुआ है वह बहुत ही सीधा-सादा विधेयक है और उसमें किसी और संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इस बिल का मकसद यही है कि अच्छे सांड़ पैदा हों और अच्छे बच्चे पैदा हों। हमारे विरोधी दल के भाई ने कहा कि इसमें इस चीज की व्याख्या नहीं की गयी है, इसमें वह चीज नहीं है, इसमें भैंसा भी हो, बकरा भी हो, आदि बातें कहीं हैं, मैं समझता हूं उसकी इसमें जरूरत नहीं है। हम माननीय उग्रसेन जी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि जब सारे सांड़ों को बधिया कर दिया जायगा तो ताकतवर सांड़ होंगे जिससे माननीय उग्रसेन जी का कार्य भी पूरा हो जायेगा।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की बिलकुल जरूरत नहीं है। जो संशोधन आये हैं वे केवल रस्मी तौर पर बहस करने के उद्देश्य से ही आये हैं। पशुधन हमारे किसानों का महाधन है। अगर बैल न हों तो खेती को भी बड़ा नुकसान हो। अगर बैल अच्छे होंगे तो उससे खेती को भी फायदा होगा। इस वक्त गल्ले की वैसे ही कमी है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि वह इस प्रकार के विधेयक को लाई है जिसकी कि बहुत जरूरत थी। इससे हमारे प्रदेश की अन्न की समस्या भी हल हो सकेगी। इस बिल में किसी बहस की जरूरत नहीं है। अतः इसे प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है, इसे पास किया जाय। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक सदन में पेश किया गया है, इसे बहुत पहले पेश कर देना चाहिये था और ऐसा न करके सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। इसलिये अगर इस बिल की आलोचना की जाय तो बहुत जायज बात होगी। मंत्री जी ने कहा कि पशुओं की तादाद बढ़ती जा रही है और अच्छे सांड़ नहीं हैं, उनकी नस्ल सुधार के लिये इस विधेयक का पास होना बहुत आवश्यक है। मेरी जानकारी में दुधारू जानवरों की तादाद घट रही है। यह कुछ नहीं बताया गया कि अब तक पशुपालन विभाग ने नस्ल सुधार योजना में कितना कार्य किया, कितने दुधारू जानवरों को जनता में बांटा, चाहे सबसिडी से या कम पैसा लेकर तथा कितने सांडों को सबसिडी में दिया। माननीय मंत्री जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग के जो झांसी में पशु फार्म और अलीगढ़ में डेयरी फार्म हैं उनका क्या काम है? उनमें कितने लाख रुपये का घाटा और गबन कराया गया और कितना नस्ल सुधार हुआ? वहां कितने ऐसे जानवर हैं जो दुधारू नहीं हैं? इस विभाग का मंत्री जी ने ऐसा जाल फैला दिया है कि बहुत से जिलों में २,२ डी० एल० ओ० हैं और काम कुछ नहीं। हर ब्लाक में ५,५ और ६,६ सेंटर बन गये, लेकिन दवाइयां सब ब्लैक में जाती हैं। इस विभाग के बारे में पूरी छानबीन करके मंत्री जी को अपनी रिपोर्ट यहां रखनी चाहिये थी कि इस विभाग ने कितने सांड़ों का वितरण किया, कितनी अच्छी गाय और भैंस किसानों को दीं, और क्या-क्या काम किया। इस विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा माननीय बैजनाथ सिंह जी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े, तो इस विभाग को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। मेरा सरकार के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊपर चार्ज है कि आज तक इस विभाग ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा है। सेंट्रल गवर्नमेंट नस्ल सुधार योजना में गाय मुफ्त में देती है। हरियाना की बहुत-सी गायें केरल में और दूसरे सूबों में गईं। आपके विभाग ने वहां से कितनी गायों को लिया और कितनी किसानों को दीं? अगर कुछ हुआ भी होगा तो बहुत ही कम हुआ है।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए।)

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यह विधेयक बहुत ही अच्छा है। मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस विभाग की जिम्मेदारियों को समझें और समझावें और काफी सांड़ों की व्यवस्था करें। मंत्री जी ने केवल कह दिया कि रद्दी किस्म के सांड़ों को बधिया कर देंगे। लेकिन कमी को आप कैसे पूरा करेंगे और कहां से अच्छे सांड़ लावेंगे। जिन्हें गांवों में आप छोड़ेंगे उनके खाने का क्या प्रबन्ध होगा? अब चरागाह नहीं रह गये हैं। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि अब लोगों की मेंटालिटी खत्म हो गई है और सांड़ों के लिये कोई कुछ नहीं छोड़ता है। यहां तक रिपोर्ट है कि सरकार के विभाग द्वारा छोड़े हुए सांड़ों को भी लोग बल्लम से मार देते हैं जब वे उनके खेतों में जाकर चरते हैं। वह जमाना अब गया जब सांड़ लोगों के खेतों को खाते थे। इस विधेयक पर हर पहलू से विचार करने की आवश्यकता है। बैजनाथसिंह जी ने कह दिया कि सीधा-सादा विधेयक है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। पशुपालन विभाग के बूते के बाहर यह काम है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर विभाग या पशुपालन विभाग पूरा खयाल नहीं करेगा तब तक जैसे हमारे खाद्य मंत्री जी रोते हैं, यह काम भी पूरा होने वाला नहीं है।

आपने कह दिया कि अपोजीशन के लोग हर बात में केवल बहस के लिये प्रस्ताव ले आते हैं। यह बात नहीं है। मेरा कहना है कि आप १० साल में भी इस काम को पूरा नहीं कर पावेंगे। साथ ही अच्छे सांड़ों की भी बहुत कमी है। यह सब सोचने की जरूरत है। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति में इस विधेयक को पेश कर इस समस्या के हर पहलू पर विचार हो और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इस कार्य को पूरा कराने के लिये कहा जाय। तब जाकर इस विधेयक की मंशा पूरी होगी।

मैं इस विधेयक के लिये एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहेब को धन्यवाद देता हूं, लेकिन यह काम आज से ४,६ साल पहले हो जाना चाहिये था। सरकार ने जो देर की उसके लिये मैं उसकी आलोचना करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को आप प्रवर समिति में भेजें और हर पहले से इसके ऊपर विचार करें।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने विचारतः इस विधेयक का स्वागत किया है। खास तौर पर जिन जोरदार शब्दों में माननीय ऊदल जी ने इसका स्वागत किया। लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि इस विधेयक को अगर थोड़ा और व्यापक बनाया गया होता तो अच्छा था।

एक सदस्य—

कैसे बनाया जायगा?

श्री कल्पनार्थसिंह—

मेरा खयाल ऐसा है कि इस पशुधन सुधार के सिलसिले में जो सरकार का आज दृष्टिकोण है वह तो सराहनीय है ही, साथ ही साथ इसमें कुछ और ऐसी बातों के जोड़ने की आवश्यकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

है जिससे माननीय ऊदल जी को शिकायत न रह जाय, खासतौर से इसमें पशुओं की और दूसरी नस्लें भी ले ली जायं तो अच्छा है । जहां सांड़ों के बारे में कहा गया है वहां दूसरे ऐसे पशुओं के बारे में भी इस तरह की बात आये तो अच्छा हो । मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी आने वाले दिनों में किसी दूसरे बिल पर दूसरे पशुओं के बारे में विचार करेंगे और उचित समझेंगे तो लायेंगे । इस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि सांड़ों को जहां बधिया बनाया जायगा, जहां वे अनुपयुक्त साबित होंगे, फिर कोई पशुधन अधिकारी देख लेगा, इसका कुछ निश्चित विवेचन होना चाहिये था । अगर ऐसा होता तो मुझे यह कहने में सुविधा हो जाती कि भविष्य में पशुओं की नस्ल में काफी सुधार हो जायगा तथा अच्छी नस्लों के पशु मिलने से दूध और खेती तथा दूसरे रोजगारों में तरक्की हो सकेगी ।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज छोटी-छोटी गायों की समस्या भी कम नहीं है । मंत्री जी ने यह सही कहा कि बहुत-सी गायें कम दूध देती हैं या बिलकुल नहीं देतीं और लावारिस घूमती हैं । हमारे इलाके में यह एक बड़ी समस्या है । इससे फसलों का भी नुक्सान होता है । आज मौजूदा युग में, जब कि फसलों की इतनी अहमियत है, इस प्रकार की स्थिति रहना अच्छा नहीं है । ऐसे जो बेकार और लावारिश पशु हैं अगर उनके लिये अलग से कोई स्थान हो जाय तो फसलों को बरबाद होने से बचाया जा सकता है । वैसे यह जो विधेयक पेश किया गया है वह काफी अच्छा है, जो कमियां भी हैं वे आने वाले दिनों में दूर कर दी जायंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है । लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं कि इसको और कुछ दिनों के लिये टाल दिया जाय । ऊदल जी को भी यह शिकायत है कि इसको बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था । मेरा कहना है कि बहुत जल्दी इसको पास किया जाय । मुझे खुशी है, जैसा कि पांडेय जी ने कहा कि दो घंटे में संशोधन वगैरह को पास कर दिया जाय तो अच्छी बात है जरूर पास कर दिया जाय । लेकिन मेरा यह खयाल है और मेरा यह निवेदन है कि सरकार पशुओं की नस्ल के सुधार के मामले में और पशुओं के रख-रखाव के मामले में थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण अपनाव तो ज्यादा अच्छा हो । श्रीमन्, उनकी कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनसे इस प्रकार के पशुओं को ज्यादा नुकसान पहुंचता है । अभी तक पशुओं की बीमारी से उनकी रक्षा करने की कोई अच्छी तालीम नहीं हो पायी है और उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है । हमने गांवों में देखा है कि जो पशुओं के डाक्टर हैं उनके पास पशुओं के इलाज के अच्छे साधन नहीं होते । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सरकार को चाहिये कि वह पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये और उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिये उनकी दवा व इलाज का प्राविजन करें । डाक्टरों को ऐसी प्राविधिक शिक्षा मिलनी चाहिये जिससे वे पशुओं की रक्षा में समर्थ हो सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, इनके मुंह से विधेयक का समर्थन करना अच्छा नहीं लगता । यह तो अब तक बराबर विरोध ही करते रहे हैं और इनका विरोध करना ही अच्छा था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

माननीय अधिष्ठाता जी, इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । माननीय कल्पनाथ सिंह ने कहा कि इस बिल में कुछ सुधार होना चाहिये और इसको इस रूप में बनाना चाहिये जिससे अन्य पशुओं का भी सुधार हो सके । साथ ही उन्होंने कहा कि जो संशोधन आवे सरकार उस पर विचार भी करे । यदि माननीय कल्पनाथसिंह ने इस एजेंडे को पढ़ा होगा, और मेरा विश्वास है कि जरूर पढ़ा होगा, तो इस एजेंडे में खास तौर

से हमारे दल के लोगों ने जो संशोधन रखे हैं, उसमें स्पष्ट है कि "पशुधन में ये ये शब्द और जोड़ दिये जायं।" इसमें बहस की क्या बात है, इसमें तो पशुओं के सुधार की बात कही गयी है जो सरकार के लिये भी लाभजनक होगा, पैसे की भी बचत होगी और पशुओं का भी सुधार होगा। इस बिल में सभी प्रकार के पशुओं के सुधार का समावेश हो, अन्यथा यह बिल अपूर्ण रहेगा और अपूर्ण रहने से कुछ दिनों के बाद सभी पशुओं के सुधार के संबंध में अव्यवस्था पैदा होगी। जनमत यह कहता है कि सारे पशुओं के सुधार के लिये विधेयक लाया जाना चाहिये। लेकिन कल्पनार्थसिंह अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में असमर्थ थे, जैसे कि उधर के बैठने वालों को सही बात कहने में भी संकोच होता है। एक तरफ तो वे कहते हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का स्पष्ट कारण क्या है, और दूसरी तरफ वे खुद कबूल करते हैं और कहते हैं कि इसमें कुछ कमियां हैं अब अगर कमियां हैं तो उनको दूर कैसे किया जायगा, उसका ढांचा कैसे बदला जायगा? इसके लिये तो प्रवर समिति ही एक साधन है जो आपकी इस नियमावली में दिया हुआ है। लेकिन विरोधी दल की तरफ से चूंकि यह बात कही गयी है इसलिये वे इसको स्वीकार नहीं करते। माननीय कल्पनार्थसिंह तो वर्षों तक इधर ही रहे हैं और इधर रहने से उनको इस बात का ज्ञान होगा कि विरोधी दल की सही बात को भी सरकारी दल द्वारा किस तरह से ठुकराया जाता है। साथ ही प्रवर समिति तो वह समिति है जहां पार्टी के आधार पर कोई बात नहीं होती है। सही बातों पर विचार किया जाता है और विधेयकों में उनका समावेश होता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि पशुधन.सुधार पर जब विचार हो तो हम २-३ दिन लगातार उस पर विचार कर सकते हैं, ५ घंटे रोज बैठ सकते हैं और उसे हर तरह से ठीक कर के यहां ला सकते हैं और रिपोर्ट दे सकते है और उसके बाद यह २ दिन में पास किया जा सकता है। ३ दिन की देरी कोई बड़ी देरी नहीं है जबकि सारे सूबे में पशुओं के सुधार की बात पचासों वर्ष से है। यह सरकार १७ साल में इस मांग की पूर्ति नहीं कर सकी तो एक दिन की और देरी होने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इससे सरकार का कोई अहित नहीं होगा। इसलिये यह तर्क असंगत है कि हम देरी लगाना चाहते हैं और साथ नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार का इस काम में साथ दें और जिस रूप में यह बिल आया है उस में थोड़ा और सुधार किया जा सके।

हम लोग सोशलिस्ट विचारधारा के हैं और हम किसी जाति-बिरादरी और धर्म में बिश्वास नहीं करते लेकिन दूसरे लोग हैं कि जो करते हैं। जब हमने इस बिल को गौर से पढ़ा तो इसमें यह कहीं नहीं है कि जब हिन्दुओं में कोई परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति मर जाता है तो यह धर्म समझा जाता है कि एक सांड़ उसके नाम पर दाग कर छोड़ा जाय, पूर्वी जिलों में ऐसा रिवाज है, पच्छिमी जिलों की तो मंत्री जी जानते होंगे। यह ख्याल नहीं किया जाता कि वह अच्छी किस्म का है या बुरी किस्म का है। इस बिल में कहीं यह समावेश नहीं है कि इस तरह से अगर कोई सांड छोड़े तो वह किस किस्म का होगा, किस नस्ल का होगा, अथवा छोड़ें या न छोड़ें इस तरह का कोई प्राविजन इसमें नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसमें इस तरह का समावेश होना चाहिये इसके अतिरिक्त इसमें इस बात का भी समावेश नहीं है कि जो सांड़ बूढ़े हैं या प्रजनन शक्ति के योग्य नहीं हैं उनका क्या होगा। वह कहते हैं कि उनको हम बधिया करा देंगे, ठीक है लेकिन यह १-२ या १०० की बात नहीं है हमारे यहां करीब ५० हजार ऐसे सांड़ हैं, हर गांव पीछे एक दो सांड़ ऐसे जरूर हैं, उनको आप बधिया करा के छोड़ देना चाहते हैं। आज का कानून यह है कि सांड़ घूमते रहेंगे, वह जहां चाहेंगे चरेंगे किसी मवेशीखाने में नहीं ले जाये जा सकते और न उनको कोई मारेगा। तो मंत्री जी बतायें कि ५० हजार सांड़ बधिया करा देंगे तो वह बैल बन जायेंगे लेकिन उन बैलों को कौन खरीदेगा? क्या वह हल में चल सकते हैं, वह ज्यादातर बूढ़े होंगे और क्या वह २० साल बाद बूढ़े किसी काम के रह जायेंगे। उनको कोई खरीदेगा भी नहीं। बुड्ढे गाय, बैल, भैंस को कोई चारा नहीं देता, हजारों रुपये का लोग दूध पी जाते हैं और बूढ़े होने पर उनको कोई चारा नहीं देता तो सांड़ जो बूढ़े होंगे उन्हें कौन देगा। जिनके पास हल में चलने की ताकत नहीं है उनकी फिर जिन्दगी बसर कैसे होगी?

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

इस में कोई प्राविजन नहीं है कि उनकी रक्षा कैसे होगी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपसे कि इस बिल में, श्रीमन्, ये अधिकार दिये हैं कि हम सभी ऐसे सांड़ों को बधिया कर देंगे और उनको देखने के लिए पशु अधिकारी रहेंगे या उसके द्वारा नियुक्त किए गये अधिकारी रहेंगे। इस बिल से कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि वे किस प्रकार के अधिकारी होंगे जो आपके द्वारा नियुक्त होंगे। उनके द्वारा जो नियुक्ति होगी तो छोटे-छोटे पशुचिकित्सालय के कार्यकर्ता होंगे वे उसके लिए उपयुक्त होंगे तो इससे भी कोई अच्छी परम्परा कायम नहीं होगी।

इस बिल में क्या है ? सरकार को क्या हो गया है कि जो भी यह कायदे-कानून बनाती है उनसे सदा जो बड़े-बड़े लोग हैं और बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं उनको किसी न किसी प्रकार राहत देना चाहती है। इस बिल की धारा १५ (१) में साफ दिया हुआ है कि कम्पनियां यदि अपराध करेंगी और वे साबित कर देंगी उसका जो कार्यकर्ता होगा यह साबित करेगा कि हमने अपराध नहीं किया बल्कि हमने रोकने की कोशिश की है तो उसको छोड़ दिया जायगा। एक मामूली किसान को जो आपके कायदे-कानून से परिचित नहीं है उसको परेशान किया जायगा। तो फिर क्या होगा इसमें ? उसमें बदले की भावना होगी, गरीब लोगों को तंग किया जायगा और भ्रष्टाचार फैलेगा और कंपनियों को छूट दे दी जायेगी बशर्ते कि वह साबित कर देंगे। एक तरफ तो कंपनियों को अधिकार दिया गया है कि जो साबित करेंगे उनको छोड़ दिया जायगा लेकिन इसमें व्यक्ति को यह अधिकार आपने कहां दिया है। जब कहीं नहीं है तो जो विधेयक में दिया हुआ है उस पर हमारी शंका है और उसको दूर करना होगा। अपील का भी शायद आप हमें मौका न देंगे। तो इस प्रकार के विधेयक को बनाने के लिये सोचना चाहिये। मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। यह विधेयक अच्छा विधेयक है और आप इसको बढ़ायें। पर इसमें जो और किस्म के प्रश्न हैं उनको इसमें ले लिया जाय। दूसरे जो बधिया करने का सवाल है वह ठीक तो है पर इससे हजारों की तादाद में जो पशु हैं उनकी रक्षा, उनके खाने-पीने का प्रौवीजन इस विधेयक में नहीं है, उसका भी प्रावीजन किया जाय। आप चाहते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, खर्चा जो है वही रहेगा तो यह आपकी नीति गलत होगी। खर्चा आप करेंगे नहीं, और सांड़ों को बधिया करेंगे तो अगर वे बीमार पड़ेंगे तो दवाई कहां से आयेगी ? तीसरी बात इसमें यह भी नहीं दिया है कि ये सांड़ आप देंगे किसको, व्यक्ति विशेष को देंगे या गांव समाज को देंगे ? लेकिन यदि गांव समाज या गांव सभा को देते हैं तो उसकी रक्षा कैसे होगी, कैसे खर्च चलेगा ? पशु चिकित्सालय पर कुछ सांड़ और भैंसें होती हैं उन पर ४००, ५०० रुपये माहवार खर्च पड़ता है उसी प्रकार सारे प्रदेश में गांव सभाओं को जो अच्छा पशु नस्ल देंगे और उसकी रक्षा ठीक ढंग से करेंगे तो आपको इसमें भी धन की अच्छी व्यवस्था करनी होगी। मेरा सुझाव है कि इसको संजीदगी के साथ प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय वहां २ घंटे बहस हो कर इसमें सुधार करके लाया जाय, फिर इस पर यहां विचार करके दो दिन बाद पास कर लिया जाय। ऐसा करने पर ही पशुधन का असली सुधार हो सकेगा, वहां नहीं हो सकेगा।

*श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वागत करता हूं कि माननीय मंत्री पशुधन के ऊपर यह विधेयक लाये हैं। विरोधी दल चाहे कैसा भी बिल हो उसका विरोध अवश्य करेगा और इस विधेयक में भी उसने यह संशोधन पेश किया है कि उसे प्रवर समिति के समक्ष पेश किया जाय। हमारा देश कृषि-प्रधान देश है और यहां पशुधन का बहुत बड़ा मूल्य होता है। इसीलिये पशुधन का सुधारना नितांत आवश्यक है। इसलिये इस विधेयक में लाया गया है कि सांड़ों की नस्ल को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुधारना आवश्यक है । इसके लिये अच्छे सांड़ों की आवश्यकता है और जो अच्छे न हों उनको बधिया करके जुताई के काम में लाया जाय। यह कहा गया कि बहुत से सांड़ बधिया कर दिये जायेंगे तो उनके खाने की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि खेतों में बहुत से बुड्ढे सांड़ काम नहीं कर सकेंगे। वहां उनको मारा जाता है । उनसे कोई लाभ नहीं होता है । मेरा कहना है कि इसीलिये उनका बधिया होना आवश्यक है । जो सांड़ इस तरह से घूमते रहते हैं, छूटे रहते हैं उनके खाने और रखने की व्यवस्था की जाय तो बहुत ही सुन्दर होगा। जो सांड़ घूमते हैं वे खेतों को चरते हैं। लिहाजा किसान उनको मारते हैं, क्योंकि वे बड़ा नुक्सान करते हैं । तो जहां सांड़ों की व्यवस्था की बात है वहां दूसरे जानवर भी नुक्सान करते हैं उनके लिये भी व्यवस्था करनी होगी। जगह-जगह पर हमने गौशालायें खोली हैं । फिर भी उनमें जानवर नहीं भेजे जाते हैं । उनमें जो जानवर होते भी हैं उनको अगर सुधारा जाय तो उनसे अच्छी नस्ल पैदा हो सकती है । खेती में बगैर अच्छे पशुधन के न पैदावार बढ़ाई जा सकती है और न खेती की उन्नति ही की जा सकती है । हम देखते हैं कि जहां सांड़ों के लिये व्यवस्था करना है वहां जैसा कि हमारे साथी ने कहा है कि और भी पशु हैं जिनमें सुधार करना आवश्यक है । जैसे भैंसें हैं, अगर उनकी नस्ल अच्छी होगी तो दूध की पैदावार अच्छी होगी। गायों की नस्ल को भी सुधारना होगा। उसके लिये भी हमको अच्छे सांड़ मंगाने होंगे । इस दृष्टि से मैं देखता हूं कि जो विधेयक पेश किया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है । इस विधेयक का हमको मनन करना चाहिये और टालने के लिये प्रवर समिति का बहाना नहीं लेना चाहिये। इससे काम नहीं चलेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, पशु धन सुधार का जो बिल आया है और अपोजीशन ने उसे प्रवर समिति में भेजने के लिये जो राय दी है उसका मैं समर्थन करता हूं। पशुधन सुधार के बारे में मुझे कटु अनुभव है। अभी पिछली दफा जिला परिषद् में ऐसी चर्चा हुई थी कि ऐसे पशुओं का क्या किया जाय। जिला परिषद् अध्यक्ष की राय थी कि गोसदन में भेजा जाय लेकिन आपको ताज्जुब होगा उनको इस बात से कि एक जानवर पर गोसदन में सरकार १५ रुपये साल भर में खर्च करती है यानी २० आने माहवार। तो फिर भगवान ही बेड़ा पार करेगा। उससे अच्छा तो मैं यही समझता हूं कि जो दूसरे भाई फौरन ही काम तमाम कर देते हैं, वे अच्छे हैं, बनिस्बत उनके जो घुला-घुला कर मारते हैं । पांडेय जी ने कहा कि बूढ़े सांड़ को बधिया कर दिया, फिर क्या होगा ? यही होगा कि गोसदन में आप भेज दें जिसमें सरकार २० आने माहवार एक जानवर पर खर्च करती है ।

बलरामपुर में छोटी-मोटी खेती का काम मेरा होता है । मेरी गाय और भैंस वहां हैं । इसी दो महीने के बीच हमारे अच्छे बैल और भैंसें मरी हैं । डाक्टर साहब से बार-बार प्रार्थना की कि उनको देखिये क्या मर्ज है, हम खर्च करेंगे जो कुछ पैसा लगेगा लेकिन डाक्टर मुंह छिपाते रहे, या तो उनको कोई जानकारी नहीं है अथवा काम नहीं करना चाहते। हमने बधिया करने की बात सोची। कई मर्तबा कहने के बाद स्टाकमैन आया । दूसरे दिन लौट गया और कहा कि बधिया करना हम नहीं जानते। पिछले साल ८७ बकरियां थीं । २२ बकरों को स्टाकमैन ने बधिया किया, सब मर गये, एक नहीं बचा क्योंकि कीड़े पड़ गये थे। मजबूरन हमको कुछ जानवर छोड़ देने पड़े अपने यहां पालने के लिये। गाय, भैंस कुछ रखनी पड़ रही हैं। अगर बैल न रखें तो खेती कैसे हो ? लेकिन अस्पताल, पशुधन अधिकारी और स्टाकमैन बेकार साबित हो रहे हैं। इसी बलरामपुर के किनारे एक गौशाला मारवाड़ियों की है जिसमें हजारों रुपये की मदद सरकार ने की है उसमें बहुत से जानवर हैं। इसी बीच में बहुत से कीमती जानवर मरे हैं लेकिन कोई इलाज नहीं हो सका।

अभी हमारे भाई ऊदल जी ने कहा था कि यह पहले आना चाहिये था। यह पहले आया होता तो अच्छे बैल और बछड़े होते और पिछले इलेक्शन में काम आये होते। थोड़ी

[श्री नवरंगसिंह]

देर हो गई। अब अगले इलेक्शन में काम करेंगे। हमारे कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा न हो कि "ईश्वर से भेंट न हो और दलिद्र से बैर हो"। जो हमारे पास हैं वह बधिया हो जायं और सरकार से मदद न हो। कर्जा कब तक चलेगा बीच में अगर नहीं मिला तो मामला ठप्प हो जायगा। इसलिये कानून सीमित हो और जहां प्रबंध कर सकें वहीं जहमत फरमायें तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो गली-गली लोग घूमेंगे और फिर कमाई तो होगी ही। जब सब जगह है तो यहां भी खाता खुलेगा।

हम यह राय रखते हैं कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय, जहां फिर से इस पर विचार विनिमय हो और जितना किया जाय वह ठोस कदम उठाकर किया जाय जिससे बजाय लाभ के हानि न हो। जहां तक पशुधन की बात है असली सुधार उस समय होगा जब गांव-गांव में चारे का इंतजाम होगा, चरागाह होंगे और गायें, भैंसे तथा अन्य जानवर होंगे। जब हमारे पास चरागाह नहीं होंगे तो जानवर नहीं होंगे और जब जानवर नहीं होंगे तो यह सांड़ क्या करेंगे? भगवान जाने वही बात हो सकती है कि वह इलेक्शन के ही काम आयें। पहली बात तो यह है कि हमें चारे का इंतजाम करना चाहिये। हमारे यहां ट्रांस राप्ती एरिया में जानवर पेड़ की पत्तियां खा रहे हैं। न सरकार इंतजाम कर पा रही है और न हम ही कर पाते हैं। अनाज तो बड़ी मुश्किल से, सेर आध सेर का मिल भी जाता है लेकिन चारा नहीं मिल पा रहा है। अच्छी कीमत के बैल मर रहे हैं। गिरकर फौरन जान दे देते हैं। चारा घरों में नहीं। ऐसी हालत में मूल सुधार चारे का होना चाहिये था। अगर चारा नहीं है तो अच्छे से अच्छे सांड़ बेकार हो जायेंगे और जब पशु ही नहीं होंगे तो कृत्रिम गर्भाधान किस का होगा, और पशु कहां रहेंगे? तो सरकार को भगवान सुबुद्धि दे और वह इसे वापस करे, सोचे और दूसरा विधेयक पेश करे। हम भी खेतिहर हैं, हमारी पुश्तें गुजरी हैं खेती करते, आज भी करते हैं। हम खेती के लिये पशुधन की आवश्यकता मानते हैं उसके साथ-साथ दूध मिले, बछड़े मिलें तो अच्छा है लेकिन यह नहीं चाहते कि पशुधन में तो सुधार का प्रयत्न हो और खेती की उन्नति के स्थान पर अवनति हो।

*श्री बसन्तसिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा था और इस विधेयक के संबंध में जो बातें प्रस्तुत की थीं सरकार की तरफ से उनका समुचित समाधान नहीं किया गया। सरकार की तरफ से जो वक्ता बोले उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो बिलकुल असम्बद्ध थीं। उनका उद्देश्य केवल समय का नष्ट करना ही हो सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि इस समय क्या कहूं, क्योंकि मंत्री जी ने यदि उन बातों का जो मैंने शुरू में कही थीं कुछ कहा होता तो पता चलता कि उनका मस्तिष्क प्रवर समिति में इसके जाने की आवश्यकता के संबंध में क्या है। वह आ जाता तो अच्छा था।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

व्यवस्था का प्रश्न। क्या इस पर अब बहस नहीं होगी?

श्री अधिष्ठाता--

इस विधेयक पर विचार करने के लिये केवल २ घंटे का समय था। अब थोड़ा-सा समय शेष रह गया है इसलिये प्रस्तावक महोदय सभी वक्ताओं का उत्तर देने के लिये बोल रहे हैं।

श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

ढाई बजे तक यह है?

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, लेकिन २० के करीब संशोधन हैं उनपर भी विचार होना है।

श्री बसन्तसिंह—

सरकार की तरफ से एक सदस्य ने कहा कि बैल न हो तो खेती नहीं होगी। मैंने तो यह बात नहीं कही थी कि बैलों को नष्ट कर दिया जाय।

श्री उग्रसेन—

आप कागजी बैलों के लिये कह रहे हैं या असली के लिये ? (हंसी)

श्री बसन्तसिंह—

मैंने तो यह कहा था कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। दूसरी बात यह कही गयी थी कि जब सांड़ बधिया कर दिये जायेंगे तो खेती के काम में लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको खेती के बारे में जानकारी नहीं है। खेती का काम करने के लिये बैलों को जब बधिया किया जाता है तब ट्रेनिंग दी जाती है। जो सांड़ छूट गये और जिन पर जुआ नहीं रखा गया होगा उसको वे कैसे खेती के काम में लगायेंगे। अगर कोई अधिकारी ऐसी बात कहता तो मुझे आश्चर्य न होता, किन्तु एक सदस्य इस प्रकार कहें इससे मुझे आश्चर्य हुआ। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरी बातों का समुचित उत्तर देते। बाधा यह है कि जितना हम सोच रहे हैं उतने सांड़ हम दे भी पायेंगे या नहीं। आज जो घटिया किस्म के सांड़ या दूसरे अच्छे किस्म के सांड़ काम कर रहे हैं उनके स्थान पर कितने सांड़ों की आवश्यकता होगी क्या इसका अनुमान लगाया गया या नहीं ? और फिर जब तक एक क्षेत्र में कोई व्यवस्था वहां की जरूरत को पूरा करने के लिये सक्षम नहीं हो जाते हैं तब तक वह उसे लागू नहीं करेंगे। नस्ल सुधार का काम बहुत उपयोगी काम है। वह होना चाहिये, लेकिन किन-किन तरीकों से वह हो सकता है, उन सभी पर विचार जब तक न कर लिया जाय तब तक जल्दबाजी में हम कोई कदम न उठायें। अक्सर देखा जाता है कि विधेयक प्रस्तुत हुआ, जल्दबाजी में पास हो गया और फिर दो महीने बाद उसका संशोधन आ गया तो इसका कारण यह है कि हम पहले ही सोच समझ कर नहीं चलते। सरकार के दिमाग में कोई चीज आती है, उसे वह अपने दृष्टिकोण से सोचती है, लेकिन दूसरों के जो अनुभव होते हैं, जो विरोधी दलों के अनुभव होते हैं उनसे वह फायदा नहीं उठाती। उनका फायदा तभी उठाया जा सकता है जबकि प्रवर समिति में यह जाय, क्योंकि जब हम सदन में बैठते हैं तो प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है सरकार के सामने कि जिस विधेयक को उसने प्रस्तुत कर दिया उसे उसको पास कराना है। अगर माननीय मंत्री जी के सामने अच्छी बातें भी और ही हों तो भी वह यही सोचते हैं कि हमको तो इसको पास कराना है लेकिन प्रवर समिति में दलविशेष का कोई प्रश्न नहीं होता है। वहां जो अच्छी बात होती है वह मान ली जाती है। इसीलिये मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा था और पशुओं के सुधार का काम कम महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें क्या रखा है, इसको जल्दी पास कर देना चाहिये। महज बिल के पास कर देने से कोई समस्या सुधरती नहीं है। समस्या तो तब सुलझेगी जब ठीक तरह से बैठकर उस पर सोचा-विचारा जाय और उसके लिये रास्ता निकाला जाय तथा सक्षम आदमियों के हाथ में इस काम को दिया जाय। जैसा कि अभी कहा गया कि जो चिकित्सक रखे गये वह बिलकुल नकारा साबित हुए। सरकार ने शफाखाने खोल दिये, आदमी बैठा दिये लेकिन वह कुछ जानते नहीं। पशुओं की बीमारी के बारे में उनका ज्ञान बिलकुल शून्य है। इसके स्टेटिस्टिकल डाटा अगर निकलवाये जायं कि कितने मरीज पशुओं में से कितने इनके द्वारा ठीक हुए तो यह बात जो मैंने अभी कही सत्य सिद्ध हो सकती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आज हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसके लिये वह हाथ जिनमें योजनायें देने जा रहे हैं उनको सक्षम कर दें। महज कागजी चीज चलने से या हमारे यह मुकर्रर कर देने से

[श्री बसन्तसिंह]

कोई लाभ नहीं होगा और स्थिति वैसी ही होगी जैसी कि और योजनाओं में हम देख चुके हैं। इसके पीछे भावना अच्छी है, उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन किस तरह से उनको पूरा किया जाय इस पर विचार करने की आवश्यकता है और इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको प्रवर समिति में भेज दें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सभापति जी, प्रस्तुत विधेयक पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूं क्योंकि उन्होंने विधेयक के मूल उद्देश्य का समर्थन ही किया है। मुझे सिर्फ इस बात से जरूर आश्चर्य हुआ कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को पूरी तरह से देखा नहीं है और अगर देखा है तो विरोध की दृष्टि से वह इसका विरोध कर रहे हैं या प्रवर समिति के लिये प्रस्ताव किया है। अगर वह खंड १ का उपखंड ३ पढ़ें तो उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम पूरे प्रदेश में एक साथ इस विधेयक को लागू करेंगे और जितने भी अनुपयुक्त सांड़ हैं उन सबको बधिया कर देंगे ऐसा नहीं है। बधिया करने के लिये भी इस विधेयक में एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर बताया गया है, धारा ६ में किस तरह के सांड़ों को बधिया किया जायगा, ऐसा नहीं है कि किसी का सांड़ अच्छी नस्ल का है। वह इसलिये कि एक आदमी उसको पाल रहा है या वह सांड़ वैसे ही घूम रहा है तो उसको जबर्दस्ती बधिया किया जायगा ऐसा कहीं नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि किस तर के सांड़ बधिया किये जायेंगे। जो अनुपयुक्त होंगे, जिनके अन्दर दोष पाया जायगा, जिनको सांसर्गिक बीमारी होगी या जिनमें प्रजनन शक्ति नहीं होगी ऐसे सांड़ों को बधिया किया जायगा। अगर हमारे प्रगतिशील किसान अच्छे सांड़ पालते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वे इस काम में अगुवा समझे जायेंगे। मुझे रामसुन्दर जी पांडेय की इस बात को सुनकर आश्चर्य हुआ कि अगर ५० हजार साड़ों को बधिया किया जायगा तो उनकी जगह पर सांड़ कहां से आयेंगे। अगर वह उस विधेयक की पहली धारा को पढ़ लेते तो उनको मालूम हो जाता कि सरकार धीरे-धीरे जिस क्षेत्र में इस अधिनियम को लागू करेगी वहां सरकार पहले देख लेगी कि कितने सांड़ों की व्यवस्था करनी है। हमारे मित्र ने बायलाजिकल फैक्टर की बात कही कि किस क्षेत्र में कौन से सांड़ उपयुक्त होंगे। जहां पर जिस तरह के सांड़ उपयुक्त होंगे वहां पर उसी तरह के सांड़ रखे जायेंगे। हमारे पशुपालन विभाग में अच्छे विशेषज्ञ हैं। उनको मालूम है कि किस क्षेत्र में किस नस्ल के सांड़ उपयुक्त हो सकते हैं और किस नस्ल के अनुपयुक्त हो सकते हैं। फिर इस तरह की बात कहना मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं है। हमारा पशुपालन विभाग आज भी पशु सुधार के लिये और पशुओं की नस्ल में तरक्की करने के लिये बहुत बड़ा कार्य कर रहा है।

ऊदल जी ने कहा कि यहां पर पूरा नकशा बताना चाहिये कि पशुपालन विभाग क्या कार्य करता है? मैं उनसे निवेदन करूं कि अगर वह हमारी वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ लेते, जो बजट के अवसर पर वितरित की गई थी, तो उनको पूरी जानकारी हो जाती। पशुपालन और कृषि विभाग से एक पत्रिका भी निकलती है अगर वह उसको देख लेते तो उनको कृषि और पशुपालन की प्रगति का ज्ञान भी हो जाता और उनको यह शिकायत करने का मौका न मिलता। इस विधेयक के संबंध में जितनी बातें कही गईं हैं उनमें कुछ ऐसी हैं जो इस विधेयक की परिधि के अन्दर आती हैं लेकिन कुछ ऐसी कही गईं जो बाहर की बातें हैं। नवरंग लाल जी ने शिकायत की कि बलरामपुर के निकट उनका एक फार्म है और वह भी पशुपालन का काम करते हैं। उनके पशु बीमार हुए और डाक्टर बीमारी नहीं बता सका और पशु मर गये। यह बात ठीक है कि पशुओं का इलाज होना चाहिये। यह शिकायत उचित हो सकती है। अगर वह हमको लिखकर देते तो हम जांच करा लेते। उसमें अगर बैटरीनरी सर्जन की उपेक्षा पाई जाती तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी। कुछ ऐसी बातें कही गईं जिनका संबंध इस विधेयक से नहीं था। चारे के विषय में, पशुपालन विभाग चारे कि विकास के

लिये काम कर रहा है। पशुओं को अच्छा चारा मिले यह प्रयास जारी है। पहली, दूसरी और तीसरी योजना में इस दिशा में प्रयत्न जारी है। इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है कि पशु नस्ल में सुधार हो जिससे अच्छी नस्ल के सांड़ मिलें और अच्छे गाय और बैल मिलें जो भार वहन कर सकें। ऐसी गाय मिले जो अधिक दूध दे सकें। आज १, २ छटांक दूध देने वाली गायें हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। तो ऐसे पशुओं को बढ़ाने से हमारा कोई हित नहीं हो सकता, प्रदेश की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा। मैं बसंतसिंह जी के उन विचारों से जो उन्होंने पशुओं की नस्ल की उन्नति के लिये व्यक्त किये हैं, सहमत हूं, लेकिन जब वह एक तरह इस बिल के विलम्ब से आने की बात कहते हैं तो फिर इसको प्रवर समिति भेजने की बात से मैं सहमत नहीं हो पाता इसलिये कि उसमें कुछ समय और लग जायगा। जो सुझाव आये हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे पास करेगा।

श्री अधिष्ठाता--

बसंतसिंह जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बसंतसिंह--

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन में प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि अब २५ मिनट का समय बचा है, इसलिये जिस संशोधन को आप जरूरी समझें उसी को रखने का कष्ट करें।

खण्ड--२

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में-- परिभाषायें

(क) "अनुमोदित सांड़" का तात्पर्य धारा ६ के अधीन प्रमाणित और दागे गये सांड़ से है ;

(ख) "सांड़" का तात्पर्य गाय या भैंस के ऐसे नर संतति (Male progeny) से है जो बधिया न किया गया हो और जिसकी अवस्था दो वर्ष से कम न हो ;

(ग) सांड़ के सम्बन्ध में "बधिया करना" का तात्पर्य उसे अपनी जाति की प्रजनन शक्ति से वंचित करना है ;

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत पशुपालन अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश भी हैं ;

(ङ) सांड़ के संबंध में "पालने" का तात्पर्य सांड़ का स्वामी होने से अथवा तत्समय उस पर कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखने से है ;

(च) "पशुधन अधिकारी" का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन किसी क्षेत्र के संबंध में पशुधन अधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से है ; और

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, चन्द्रबली जी का बड़ा मासूम-सा संशोधन है। उसे सरकार को मान लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मुझे यह स्वीकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड--३

अनुमोदित सांड़ पालने का निषेध

३--इस अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसा सांड़ नहीं पालेगा जो अनुमोदित सांड़ न हो ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४--६

सांड़ों की उपयुक्त नस्लों या वर्गों की घोषणा

४--(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र के लिये उपयुक्त सांड़ों की नस्लों और वर्गों की घोषणा कर सकती है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति जारी करते समय सरकार, उस क्षेत्र से भी नस्लों और वर्गों के उपलभ्य सांड़ों की सन्तति से प्राप्त होने वाले दुग्ध की मात्रा और उनकी उपयुक्तता तथा ऐसी नस्ल और वर्ग के सांड़ों की जिन्हें उस क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित करने का प्रस्ताव हो, पर्याप्त संख्या में उपलम्यता और ऐसे अन्य विषयों पर, जिन्हें वह संगत समझे, विचार करेगी ।

(३) उपधारा (१) के अधीन घोषणा करने के पूर्व सरकार गजट म प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रकाशित करायेगी जिसमें वह सम्बद्ध क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित किये जाने वाले प्रस्तावित सांड़ों के वर्गों और नस्लों को निर्दिष्ट करेगी और प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्रारम्भिक विज्ञप्ति में अनुमत समय के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी

५--पशुधन अधिकारी, लिखित आज्ञा द्वारा, किसी व्यक्ति से जो अनुमोदित सांड़ पालता हो, निरीक्षण के लिये सांड़ को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और तदुपरान्त वह व्यक्ति उसे निरीक्षण के लिये ऐसे दिनांक पर और ऐसे समय तथा स्थान पर प्रस्तुत करेगा जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जायें :

निरीक्षण के लिये सांड़ों को प्रस्तुत करना

प्रतिबन्ध यह है कि निरीक्षण उसी ग्राम अथवा नगर में होगा जिसमें सांड़ पालने वाला व्यक्ति सामान्यतया रहता हो।

६--यदि सांड़ का निरीक्षण करने पर, पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि सांड़ प्रजनन प्रयोजनों के काम में लाये जाने योग्य है, और--

सांड़ों को प्रमाणित करना और दागना

(क) वह दोषपूर्ण या निम्न संरूप (conformation) का नहीं है; या

(ख) असाध्य प्रकार के ऐसे सांसर्गिक (contagious) या सांक्रमिक (Infactious) रोग से या किसी ऐसे अन्य रोग से पीड़ित नहीं है जिससे कि सांड़ प्रजनन प्रयोजनों के लिये अनुपयुक्त हो जाय; और

(ग) उक्त क्षेत्र के संबंध में धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति कर दिये जाने की दशा में वह ऐसी नस्ल (Breed) या वर्ग का नहीं है जो उक्त क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित न किया गया हो--

तो वह उस सांड़ को अनुमोदित सांड़ के रूप में प्रमाणित करेगा और तदर्थ नियत चिन्ह से उसे दगवायेगा।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ४ से ६ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७--९

७--(१) यदि निरीक्षण करने पर पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि कोई सांड़ धारा ६ के अधीन प्रमाणित किये जाने या दागे जाने के उपयुक्त नहीं है तो वह लिखित आज्ञा द्वारा, सांड़ पालने वाले व्यक्ति को यह निदेश देगा कि--

उन सांड़ों का बधिया किया जाना जो अनुमोदन के लिए अनुपयुक्त हों

(१) उक्त धारा के खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाली अयोग्यता की दशा में वह सांड़ को ऐसी अवधि में बधिया करा ले जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय;

(२) उक्त धारा के खंड (ग) के अन्तर्गत आनेवाली किन्तु खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत न आने वाली अयोग्यता की दशामें, उसे या तो निषिद्ध क्षेत्र से दूर हटा दे या ऐसी अवधि के भीतर बधिया करा ले जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय।

(२) [क] उपधारा (१) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी को और ऐसी रीति से अपील कर सकता है जो नियत की जाय और अपील कर दी गयी आज्ञा अन्तिम तथा बन्धनकारी होगी :

[श्री अधिष्ठाता]

प्रतिबन्ध यह है कि उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि अपीलीय प्राधिकारी, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त अवधि के पश्चात् अपील ग्रहण करना उचित न समझे ।

[ख] वह प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील विचाराधीन हो ऐसी अन्तरिम आज्ञा दे सकता है जो वह उचित और इष्कर समझे ।

(३) बधिया करने का कार्य पशुधन अधिकारी करेगा या करायेगा, जब तक कि सांड़ का स्वामी या उसे पालने वाला अन्य व्यक्ति आज्ञा का अनुपालन करने के लिये स्वयं अपना प्रबन्ध करने की इच्छा प्रकट न करे ।

(४) यदि उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा अंतिम हो जाय किन्तु अनुमत समय के भीतर उसका अनुपालन न किया जाय, तो पशुधन अधिकारी धारा १३ के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सांड़ को अभिगृहीत और उसे बधिया करा सकता है ।

स्पष्टीकरण---इस धारा में सांड़ के संबंध में निषिद्ध क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके संबंध में धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति कर दी गयी हो और जिसके लिये ऐसा सांड़ उपयुक्त घोषित न किया गया हो ।

अस्वामिक सांड़ों का बधिया किया जाना और उनकी अभिरक्षा

८---(१) यदि पशुधन अधिकारी को नियत रीति से जांच करने के पश्चात् यह प्रतीत हो कि सांड़ किसी ज्ञात व्यक्ति द्वारा पाला नहीं गया है, तो वह उसे अभिग्रहीत करायेगा और उनका निरीक्षण करेगा ।

(२) यदि उक्त निरीक्षण करने पर उसे यह प्रतीत हो कि सांड़, अनुमोदित सांड़ के रूप में प्रमाणित किये जाने और दागे जाने के लिये उपयुक्त नहीं है तो वह उसे बधिया करायेगा ।

(३) पशुधन अधिकारी, किसी व्यक्ति के सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में सांड़ के संबंध में अपना स्वत्व स्थापित करने के अधिकार के अधीन रहते हुए, सांड़ को किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में ऐसी रीति से या ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर दे सकता है जो नियत किये जांय ।

अनुपयुक्त होने पर अनुमोदित सांड़ों का बधिया किया जाना

९---यदि पशुधन अधिकारी को किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि अनुमोदित सांड़ को असाध्य प्रकार का सांसर्गिक या संक्रामक रोग हो गया है, या वह अनुमोदित सांड़ के रूप में काम करने के लिये अन्यथा अनुपयुक्त हो गया है तो वह उक्त सांड़ के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही कर सकता है मानो वह अननुमोदित सांड़ हो और ऐसी कार्यवाही पर धारा ५, ६ और ७ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) के भाग (२) की पंक्ति (२) में शब्द " न आने की.....दशा में" के पश्चात् निम्न जोड़ दिया जावे :

"उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा समुचित सांड़ की व्यवस्था कर देने के पश्चात्" ।

श्रीमन्, यह बड़ा मामूली-सा संशोधन है और इस उद्देश्य से लाया गया है कि कहीं ऐसा न हो कि विभाग विज्ञप्ति जारी कर दे और गांव वालों के लिये उचित व्यवस्था न हो सके । उसे रोकने के लिये की यह संशोधन लाया गया है । मुझे आशा है कि सरकार इसको मान लेगी ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया था कि जहां यह अधिनियम लागू होगा, वहां इस बात को देखना पड़ेगा कि हम अच्छी नस्ल के सांड़ को उस क्षेत्र में दे सकते हैं या नहीं, तभी यह अधिनियम लागू होगा। उसके साथ-साथ आर्टीफिशियल सेन्टर भी वहां खोलने होंगे। यह सारी व्यवस्था है और इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिनियम लागू करने का अभिप्राय ही यह होता है कि सरकार को उन सब बातों की तरफ देखना पड़ेगा जिनकी तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री उग्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी का यह कथन, जोकि उन्होंने माननीय राजेन्द्रसिंह के संशोधन पर कहा है, उपयुक्त नहीं है। माननीय सदस्य के संशोधन का समावेश विधेयक में होना ही चाहिये वरना ला आफ कोर्ट में, अदालतों में इसका एक का अनेक अर्थ लगा लिया जावेगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी ने तो कह दिया है कि इसकी व्यवस्था नियम में कर दी जावेगी।

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री जी ने पहले फरमाया कि व्यवस्था हो चुकी है और अब बतला रहे हैं कि सरकार नियम बनाती है, उनमें व्यवस्था करेंगे। तो पहली उनकी बात सही है या दूसरी ?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि इसकी व्यवस्था नियम में कर दी जावेगी। माननीय राजेन्द्रसिंह जी का संशोधन था और मंत्री जी उसका आशय समझते हैं और कहते हैं कि नियम में उसकी व्यवस्था हो जावेगी।

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री जी अगर यह आश्वासन दे दें तो हम मान जायेंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी सदन में यह आश्वासन देंगे कि सरकार नियमों में उसकी व्यवस्था कर देगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मुझे इस बात को को सुनकर बड़ा आश्चर्य है कि कैसे माननीय राजेन्द्रसिंह इस बात को मान जाते हैं कि हम वहां के सांड़ों को बधिया कर देंगे और वहां अच्छे नस्ल के सांड़ नहीं होने देंगे। हमारा मतलब यह है कि हम पशुओं के नस्ल में सुधार कर रहे हैं। हमारी मंशा वहां नुकसान पहुंचाने की नहीं है। वहां तो हम व्यवस्था करेंगे, चाहे वहां आर्टिफिशल इनसेमिनेशन सेन्टर खोलें या पशुपालन विभाग से व्यवस्था करायें, या जनता को विवश करें कि वह अच्छे नस्ल के सांड़ पाले।

श्री उग्रसेन--

मंत्री जी सांड़ों की क्या व्यवस्था करते हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े अस्पताल खोलते जा रहे हैं, मगर ४०० अस्पतालों में डाक्टरों तक का प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) के भाग (२) की पंक्ति (२) में शब्द "न आने की .... दशा में" के पश्चात् निम्न जोड़ दिया जाये--

"उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा समुचित सांड़ की व्यवस्था कर देने के पश्चात्"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्रसिंह--

मेरा संशोधन यह है कि खंड ७ के उपखंड (४) की पंक्ति (३) का निम्न निकाल दिया जावे--

"धारा १३ के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।"

यह बहुत अच्छा संशोधन है, मगर माननीय मंत्री जी अपनी हठधर्मी के कारण, मैं जानता हूं, मानेंगे नहीं। वे तो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न इसे समझते हैं। मान्यवर, मूल उद्देश्य तो सांड़ को बधिया कराने का है और जब वह कार्य पूरा हो जाता है तो धारा १३ के अधीन सजा देने का जो प्रोसीजर है इसको आप क्यों अपनाते हैं। इस संशोधन को मान लीजिये और इस सेंटेंस को निकाल दीजिये, आपका उद्देश्य तो पूरा हो ही जाता है।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (४) की पंक्ति (३) का निम्न निकाल दिया जाये--

"धारा १३ के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ७, ८ और ९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खण्ड--१०

पशुधन अधिकारी का प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार

१०---इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये पशुधन अधिकारी को और ऐसे व्यक्ति को, जिससे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता देने की अपेक्षा करे, यह अधिकार होगा कि वह किसी भी उचित समय पर,

(क) सांड़ का निरीक्षण करे; और

(ख) यदि कोई शर्तें नियत की जायें तो ऐसी शर्तों के अधीन किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करें जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि सांड़ पाला जा रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है--"खंड १० की पंक्ति २ में कामा ","
और शब्द "जिससे" के बीच में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं, "जो तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी से निम्न श्रेणी का न होगा और"

अधिष्ठाता महोदय, चूंकि इस विधेयक में हम कुछ कर्मचारियों को यह अधिकार दे रहे हैं वह किसी घर में जाकर देख सकेगा। इन अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक में या नियमों में इस बात का प्राविधान कर दें कि तृतीय श्रेणी से नीचे का कर्मचारी अन्दर न जा सके।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

अधिष्ठाता महोदय, यह जो निरीक्षण करने का काम है। यह बिलकुल टेकनीकल काम है। अतः जो भी उसके लिये जायगा वह निश्चय ही डाक्टर होगा या वेटेरीनरी अफसर होगा, उससे कम वाले का काम नहीं है। संशोधन को स्वीकार करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

श्री जगदीशप्रसाद--

मैं संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड--११

रजिस्टरों का रखा जाना

११--पशुधन अधिकारी ऐसे रजिस्टरों को रखेगा या रखवायेगा जिनमें सांड़ों के निरीक्षण, बधिया किये जाने, प्रमाणीकरण और दागे जाने के विवरण तथा ऐसी अन्य सूचनायें दी जायेंगी जो नियत की जायें।

श्री राजेन्द्रसिंह--

अधिष्ठाता महोदय, खंड ११ की पंक्ति (१) में से निम्न शब्द निकाल दिया जाये--
"या रखवायेगा।"

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसमें जो शब्द "रखेगा" रखा है उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसको जानकारी रखनी चाहिये और इसके आगे आने वाला "रखायेगा" शब्द से यह मतलब हो कि जो वेटेरेनरी डाक्टर लोकल होगा उससे रिकार्ड रखायेगा, तब तो वह रहना चाहिये, परन्तु अगर कोई प्राइवेट फार्म वाला किसान प्राइवेटली कोई सांड़ अपने फार्म पर रखता है तो उसके मैनेजर या मालिक को इसके लिये बाध्य न किया जाना चाहिये कि वह अपने यहां के सांड़ों का पूरा रेकार्ड रखे। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि "या रखवायेगा" ये शब्द निकाल दिये जाय।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मैं इस संशोधन को तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन माननीय सदस्य ने जैसा बतलाया है, नियमों में इसका प्राविधान कर दिया जायगा।

(श्री बांकेलाल का नाम पुकारने पर)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मैंने निश्चय कर लिया है और प्रण किया है कि जब तक आप अधिष्ठाता रहेंगे, मैं कत्तई नहीं बोलूंगा ।

श्री अधिष्ठाता---

आपके इस निश्चय पर मुझे दुःख है ।

श्री उग्रसेन---

जो कुछ अभी माननीय राजेन्द्रसिंह जी ने कहा, क्या मैं समझूं कि नियमों में इसका प्राविधान कर दिया जायगा ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय राजेन्द्रसिंह जी आप अपने इस संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्रसिंह---

क्योंकि माननीय मंत्री जी ने यह बात स्वीकार कर ली है कि वे निश्चित रूप से नियमों में इसका प्राविधान कर देंगे कि प्राइवेट फार्म वालों को या किसी प्रधान को सांड़ों के रखने का रजिस्टर रखना आवश्यक न होगा, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

मैं तो पहले ही निवेदन किया कि मैं संशोधन को तो स्वीकार नहीं करता हूं ।

(सदन की अनमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड—१२

अनधिकृत चिन्हांकन के लिये शास्ति

१२---यदि कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के इस अधिनियम के अधीन नियत किसी चिन्ह से अथवा नियत चिन्ह सदृश्य किसी चिन्ह से, जिसका अभिप्राय धोखा देना हो अथवा जिससे यह विश्वास करने का कारण हो कि उस सदृश्य चिन्ह द्वारा धोखा दिया जायगा, किसी सांड़ को दागता है अथवा दगवाता है तो उसे कारावास का दंड दिया जायगा जो तीन मास तक हो सकता है या अर्थ दंड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों दिये जा सकते हैं ।

श्री राजेन्द्रसिंह---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के वर्तमान प्राविधान को निकाल कर उसके स्थान पर निम्न रख दिया जावे ।

"यदि कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के इस अधिनियम के अधीन नियत किसी चिन्ह से अथवा नियत चिन्ह के सदृश्य किसी चिन्ह से किसी सांड़ को दागता है अथवा दगवाता है, तो वह

सांड़ जब्त करके बधिया करके विभाग को नीलाम करने का अधिकार होगा तथा नीलाम द्वारा प्राप्त धनराशि विभागीय आय में सम्मिलित होगी ।"

श्रीमन्, संक्षेप में मुझे केवल इतना ही कहना है कि इस समय वर्तमान रूप में सेक्शन १२ जो है उसमें यह कहा गया है कि 'यदि कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के इस अधिनियम के अधीन नियत किसी चिन्ह से अथवा नियत चिन्ह सदृश्य किसी चिन्ह से, जिसका अभिप्राय धोखा देना हो अथवा जिससे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस सदृश्य चिन्ह द्वारा धोखा दिया जायगा किसी सांड़ को दागता है अथवा दगवाता है तो उसे कारावास का दंड दिया जायगा जो तीन मास तक हो सकता है या अर्थ दंड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों दिये जा सकते हैं ।"

तो श्रीमन्, यह कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि किसी को इसके लिये आर्थिक दंड व कारावास का दंड दिया जाय । माननीय मंत्री को भविष्य को दृष्टि में रखते हुये केवल इतना ही बतला देता हूं कि इससे उनके विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, किसानों पर अत्याचार बढ़ेगा और इससे पशुधन में विशेष रूप से कोई सुधार होने वाला नहीं है । पशुधन के सुधार के लिये ही मैंने यह संशोधन रखा है कि इस तरह का कोई गलत बैल या सांड़ हो तो उसे जब्त कर लिया जाय और उसे नीलाम कर दिया जाय । और उसकी धनराशि विभाग में जमा होगी आय के रूप में । इस से पशुधन सुधार का उद्देश्य पूरा हो जाता है लेकिन इससे किसान की परेशानी बढ़ती है और भ्रष्टाचार की अधिक गुंजायश हो जायगी । मंत्री जी इस को मान लें इससे किसानों की परेशानी दूर होगी और भ्रष्टाचार भी नहीं बढ़ेगा ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मैं इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं करता । उनको भय है कि अगर यह संशोधन नहीं होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है उस से भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा बनिस्बत इसके कि जो मूल खंड में यहां दिया गया है.....

श्री अधिष्ठाता--

समय कम है आप अधिक भाषण न करें ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १२ के वर्तमान प्राविधान को निकाल कर और उसके स्थान पर निम्न रख दिया जावे ।

"यदि कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के इस अधिनियम के अधीन नियत किसी चिन्ह से अथवा नियत चिन्ह के सदृश्य किसी चिन्ह से किसी सांड़ को दागता है अथवा दगवाता है, तो वह सांड़ जब्त कर के बधिया कर के विभाग को नीलाम करने का अधिकार होगा तथा नीलाम द्वारा प्राप्त धनराश विभागीय आय में सम्मिलित होगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

खण्ड—१३

इस अधिनियम के उपबन्धों, आदि का उल्लंघन करने के लिये शास्ति

१३—इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या दी गयी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अर्थ दंड दिया जायगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन, खंड १३ की पंक्ति ३ में "एक सौ रुपये" के स्थान पर "पच्चीस रुपये" कर दिये जायं ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

स्वीकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १३ की पंक्ति ३ में "एक सौ रुपये" के स्थान पर "पच्चीस रुपये" कर दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड—१४

अपराधों का संज्ञान

१४—जब तक कि पशुधन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत न किया जाय तब तक कोई भी न्यायलय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड—१५

कम्पनियों द्वारा अपराध

१५—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी, तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दंड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध करदे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह दंड का भागी नहीं होगा ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराधी कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या

उसकी मौनानुकूलता (connivance) से हुआ है, अथवा यह कि अपराध उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दंड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १६

सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

१६—इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या दी गयी किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के लिये राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत नहीं किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १७

नियम बनाने का अधिकार

१७—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) पशुधन अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी अर्हतायें;

(ख) चिन्ह जिससे और रीति जिसके अनुसार सांड़ को अनुमोदित सांड़ के रूप में दागा जायगा ;

(ग) प्राधिकारी जिसे और रीति जिसके अनुसार धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन अपील की जा सकती है;

(घ) रीति जिसके अनुसार और शर्तें तथा प्रतिबन्ध जिन पर सांड़ धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में दिया जा सकता है ;

(ङ) शर्तें, जिनका पालन करने पर धारा १० के अधीन किसी स्थान में प्रवेश किया जा सकता है ;

(च) पशुधन अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और उनमें दर्ज की जाने वाली सूचना ;

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३

(जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में पशुधन के सुधार की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षक, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

*श्री उग्रसेन—

मैं माननीय मंत्री जी का विरोध करता हूं और एक बात यह कहना चाहता हूं कि २ घंटे में पूरा विधेयक देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि इसमें कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानमती ने कुन्बा जोड़ा वाली कहावत चरितार्थ है और मंत्री जी अपनी हठवादिता पर अड़े रहे और हमारे माननीय सदस्यों ने जो अपने सुझाव दिये उनमें से एक को भी नहीं माना गया है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस विधेयक को ले जायें और फिर से इसको ठीक करें। न्यूजीलैंड और कैनाडा के कानून का अध्ययन करके यदि वह विधेयक बना होता तो आपका विधेयक एक व्यापक होता और सीमित न होता। हेस्टी लैजिस्लेशन आप बनाते हैं तो जब वे हाई कोर्ट के सामने जाता है तो माना नहीं जाता। इसलिये विधेयक समुचित दायरे में हो। इसको व्यापक बनाने के लिये दायरा ठीक ढंग से होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्रीमन्, मैं श्री उग्रसेन जी के विचारों से सहमत नहीं हूं। मुझे पता नहीं कि वे इस विधेयक को किस शक्ल में व्यापक बनाना चाहते हैं। हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं। यह एक व्यापक विधेयक है। समझ में नहीं आता है कि क्यों माननीय उग्रसेन जी भ्रम में पड़े हुये हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वे अपने दिल और दिमाग से भ्रम को हटा दें।

(इस समय २ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४†

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

हमारे प्रदेश में चीनी उद्योग काफी तेजी से बढ़ा है जिसके फलस्वरूप काफी मात्रा में शीरा बनता है और ज्यों ज्यों प्रदेश के अन्दर औद्योगीकरण होता जा रहा है, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज लग रही हैं जिनमें अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। मुकेसिस से ही अल्कोहल बनता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी शीरा विधेयक पर बोल रहे हैं जब कि मेरे ऐजेन्डे में शीरा विधेयक नहीं है, शरीर नियंत्रण विधेयक है।

श्री उपाध्यक्ष—

गलती से छप गया होगा। शीरा नियंत्रण विधेयक ही है।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैं कह रहा था कि बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो अल्कोहल इस्तेमाल करती हैं और बहुत सी शीरा इस्तेमाल करती हैं। पावर अल्कोहल बनाने वाली डिस्टिलरीज को तो वह जाता ही था पर दूसरे किसी उद्योग को देने के लिये हमारे पास अधिकार नहीं था, लेकिन अब दूसरी इंडस्ट्रीज में भी दिया जा सकेगा।

इसी तरह से हमारा बहुत सा शीरा खराब जाता था। फैक्ट्रीज के अन्दर शीरे में पानी मिल जाने से अल्कोहल नहीं बन सकता था। अब यह कोशिश की गयी है कि सरकार के पास यह अधिकार आ जाय कि हम पूरे शीरे पर नियंत्रण कर सकें और सही बटवारा कर सकें डिस्टिलरीज व दूसरे उद्योगों को और उसके जरिये हम फैक्टरीज को मजबूर कर सकेंगे कि वे शीरे को रखने के लिये ठीक ढंग से इंतजाम करें।

सन् १९४७ से यह कानून हमारे सामने है। कुछ रिट पेटीशंस माननीय हाई कोर्ट के सामने हुए और उनमें कुछ फैसले हुए और यह फैसला हुआ कि हमारे कुछ अधिकार संविधान के अनुच्छेद १४ को तोड़ते हैं। उसकी रोशनी में १९५६ में संशोधन किया गया। ला डिपार्टमेंट की राय यह है कि उस अमेंडमेंट के हो जाने के बाद भी यह चीज नाकाफी है। अब हम कुछ

†३ मार्च, १९६४ को कार्यवाही में छपा है।

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

और सुधार करना चाहते हैं। इन सब चीजों की रोशनी में यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है और मुझे आशा है कि इससे प्रदेश का लाभ होगा और देश का भी होगा और हम शीरे का ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन में प्रस्तुत कर दे।

अभी मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह ऐक्ट यू० पी० कंट्रोल, मोलेसेज ऐक्ट अफ, १९४७ का बहुत पहले से है। लेकिन रिट पैटीशंस में, जो ऐक्ट बना है उसमें बहुत दोष है और बार-बार जजेज के इंटरफियरेंस की वजह से जिस तरह से वह कार्य रूप में लाया जाता था वह दोषपूर्ण था। १९५६ में भी अमेंडमेंट किये। लेकिन ला डिपार्टमेंट उनको ठीक नहीं समझता है। इसलिये हमारा सुझाव यह है कि अभी जल्दी न की जाय। आपने देखा कि सेल्स टैक्स ऐक्ट १५,१६ दफा अमेंड हुआ फिर भी उसमें संशोधन किये गये। इसी तरह से आप आज ऐक्ट बनाने जा रहे हैं फिर भी वह दोषपूर्ण है तो आपको जल्दी नहीं करनी चाहिये। आपको अच्छी तरह से सोच समझ कर लाना चाहिये।

आपने जो विधेयक रखा है उससे आपका वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा कि अल्कोहल अच्छी तरह से प्राप्त कर लेंगे या अन्य इंडस्ट्रीज जो और चीजें बन रही हैं उनके लिये शीरा पा लेंगे। जिस मात्रा में आपको मिलना चाहिये था या मिलता था उतना भी नहीं मिल सकेगा। कारण आपकी नौकरशाही भ्रष्टाचारी है। इस विधेयक में सारे अधिकार नौकरशाही को दे दिये हैं बल्कि यहां तक प्राविजन किया है कि फैक्टरीज इंस्पेक्टरों को एकोमोडेशन दें। यह कहां तक ठीक है? इंस्पेक्टर्स अलग रह सकते हैं। जैसे अन्य आफिसर अलग रहते हैं। लेकिन यहां पर उनको मजबूर करेंगे। इसी तरह बहुत सी अन्य त्रुटियां भी हैं। आपने एडवायजरी कमेटी के लिये कहीं भी यह संकेत नहीं किया है कि किस तरह से इसके मेम्बर होंगे। आपने सारे का सारा काम गवर्नमेंट के ऊपर रखा है जिससे गवर्नमेंट के सदस्य ही उसमें रहेंगे। इसी तरह से लीगल मशीनरी में आपने कंट्रोलर को एक मात्र अधिकार दे रखा है और जितने भी नियम बने हैं उनमें पूरा अधिकार सरकारी अधिकारियों को ही दिया है। इसके लिये अपील का स्थान नहीं रखा है। एक अदालत के पास अपील होगी और जो उसका निर्णय होगा उसको अंतिम समझा जायगा। माननीय मंत्री ने कहा था कि अगर हम इस कानून को बना देंगे तो हम को ज्यादा से ज्यादा शीरा उपलब्ध हो जायगा। हम समझते हैं कि आप ज्यादा नियंत्रण करेंगे तो शीरा आपके कंट्रोल में बहुत कम आवेगा। आपने एक जगह ऐसा भी रखा है जहां पर शीरे के ऐडल्टरेशन के लिये कहा गया है कि आप प्रिज्यूम कर लेंगे और मौका भी नहीं देंगे लोगों को साबित करने के लिये कि मंच की गलती है या नापने वाले की। अधिकारी भी गलत देख सकते हैं, उसे भी आप नहीं मानेंगे और यंत्र की कमजोरियों को भी आप नहीं मानेंगे। इन सब कारणों से मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जिस नियत से आप इस विधेयक को ला रहे हैं वह पूरी हो सके उसके लिये जहां आपने १९४७ और १९५६ में दो बार इस विधेयक को वापस लेकर इस पर विचार किया है और इसे लाये वहां इस बार फिर इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिये ताकि दोषों को निकाल करके यह विधेयक जनहित में बन सके।

श्री उग्रसेन—

(श्री कृष्णानन्द का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, जो लोग समर्थन में बोलना चाहते हैं उनको बोल लेने दीजिये। क्या कृष्णानन्द जी मंत्री जी की तरफ से जवाब दे रहे हैं? अगर है तो कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब तो मंत्री जी देंगे। कृष्णानन्द राय जी को बोलने दीजिये।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शीरे के संरक्षण और नियंत्रण का विधेयक आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इस विधेयक को जिन कारणों पर प्रस्तुत किया है उसके ठीक दूसरे कारणों से मैं इसका स्वागत करता हूं। मंत्री जी सुनकर और इस विधेयक को पढ़कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि शायद मंत्री जी को यह पता नहीं है कि इस प्रदेश के कुछ ऐसे भी भाग है जहां शीरा गरीब लोगों का खाद्य पदार्थ है। वे केवल शराब बनाने के लिये शीरा प्राप्त हो जाय इसी को दृष्टि में रख कर इस विधेयक को लाये हैं। श्रीमन्, मुझे दुख है कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां कि एक बहुत बड़ी गरीब जनसंख्या का खाद्य पदार्थ शीरा है। आज नहीं अनेकों वर्षों से वह उनका खाद्य पदार्थ चला आ रहा है। यदि आप पूर्वी जनपद में चलें तो आप देखें कि शीरा जो स्टेशनों पर माल-गाड़ियों में से चू जाता है उसको चाटने के लिये बच्चों की घुड़दौड़ स्टेशनों पर हुआ करती है। श्रीमन्, इसलिये मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी शीरे पर नियंत्रण करने जा रहे हैं और इसके मूल्य और वितरण सम्बन्धी बातों को नियंत्रण करने का विचार कर रहे हैं तो गरीबों के इस खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में भी विचार करें जिससे सब शीरा केवल अलकोहल और शराब बनाने में न जाकर उनको भी मिल सके।

अगर आप फैक्ट्रियों के पास चलें जायं तो आप देखेंगे कि शीरा खाली टंकियों में छोड़ दिया जाता है और दुनिया भर के गिद्ध कौवे और कुत्ते गिर कर मर जाते हैं। उसी शीरे को बाद में टिनों में भर कर बाजारों में चारों तरफ बेंच दिया जाता है। माननीय मंत्री जी इस शीरे के मंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। यह मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी जनपदों में जितनी भी हैजे वगैरह की बीमारियां होती हैं वे इसी शीरे के कारण होती हैं। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि इस विधेयक के माध्यम से वह इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि फैक्टरी वाले जो बहुत ही गलत ढंग से खुले टैंकों में उसको छोड़ देते थे और हर प्रकार की अनहाइजिनिक कंडीशंस में वह पड़ा रहता था, उसके संरक्षण की व्यवस्था वह इसमें कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो यह पेनल क्लाज रखा है वह बहुत ही हल्का क्लाज है। इसमें यह कहा गया है कि जो कम्पनी इस विधेयक की बातों को नहीं मानेगी या इसके विरुद्ध करेगी उसके ऊपर १०० रु० पेनाल्टी का संकेत है और उस पर भी एक एक्स लेनेटरी क्लाज दे दिया गया है जिसमें यह कह दिया गया है कि यदि कम्पनी या उसके जिम्मेदार कार्यकर्ता यह साबित कर दें कि उन्होंने उचित आदेश इस विधेयक के अनुसार दे दिये हैं तो वह इससे मुक्त हो जायेंगे। इससे यह होगा कि जब विधेयक बन गया तो कोई भी मैनेजर या मालिक पहला काम यह करेगा कि आपके विधेयक के अनुसार आदेश आर्डर बुक में कर देगा कि इस प्रकार का प्रबंध होना चाहिये, ऐसे-ऐसे टैंक वगैरह होने चाहिये जिससे कि पेनल क्लाज से वह बच सके। मैं समझता हूं यह जो एक्सप्लेनेटरी क्लाज है यह इर्रेलिवेंट भी है, क्योंकि वैसे भी कामन ला में अगर कोई आदमी यह सिद्ध कर दे कि वह निर्दोष है तो वह छूट जाता है, लेकिन जब विधेयक में ही इस बात का इशारा कर देते हैं कि यदि फैक्टरी का मैनेजर यह साबित कर दे कि उसने आदेश दे दिया तब फिर वह चाहे जितनी भी गैरजिम्मेदारी करे, उससे मुक्त होने का रास्ता उसे मिल जाता है। तो एक तरह से यह विधेयक ही उसे संकेत कर देता है कि इस तरह से वह पैनल क्लाज से मुक्त हो जाय।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी इसको देखने के लिए केवल आबकारी इंस्पेक्टरों को ही तैनात किये हुए हैं। आबकारी इंस्पेक्टर शराब में इंटरेस्टेड होता है और वह केवल यह देखेगा कि शीरा शराब की भट्ठी में जाने लायक रहे और उसमें तो किसी भी प्रकार का शीरा प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन खाने के काम में यह भी आता है तो इसको देखने के लिए मैं माननीय मंत्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

से निवेदन करूंगा, मेडिकल विभाग भी आपके पास ही है, आप सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को तैनात करें जिससे कि वह अच्छी प्रकार इसके संरक्षण की व्यवस्था की देखरेख कर सकें और देखें कि हाइजिनिक कंडीशंस में यह संरक्षित किया जाता है या नहीं, क्योंकि हम गरीब इसका प्रयोग खाने में भी करते हैं ।

श्रीमन्, इस विधेयक में इस प्रकार का भी प्रबंध माननीय मंत्री जी कर दें कि ५० प्रतिशत शुगर का एलीमेंट जिसमें हो उसको फर्स्ट कैटेगरी का शीरा मान लिया जाय । जब शीरा बनता है तो आरम्भ में उसमें शुगर का एलीमेंट ज्यादा होता है और बाद में कम होता जाता है । तो जो प्रथम कोटि का शीरा हो उसके लिए ज्यादा अच्छे टैंकर आप बनवायें और सैनिटरी इंस्पेक्टर उसके लिये मुकर्रर करें जो यह देखें कि हाइजिनिक कंडीशंस में यह रखे जायं और हाइजिनिक कंडीशंस में टिनों में सील करके बाहर भेजे जायं । और जो सेकेंड कैटेगरी का शीरा हो उसको तो अलकोहल फैक्टरी में भेजना होता है, उसको चाहे जिस तरह से रखें । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

*श्री उग्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इस उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है जिसको कि व्यापक अधिकार हो परिधि बढ़ाने का, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, शीरा हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा उद्योग है और दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह ऐसी सरकार के हाथ पड़ गया है, ऐसे लोगों के हाथ पड़ गया है कि वह शायद इस उद्योग का कचूमर निकाल रहे हैं । मैं समझता हूं कि पता नहीं मंत्री जी को मालूम है या नहीं कि यह शीरे का उद्योग हमारे प्रदेश का एक बड़ा उद्योग है । एक बार महामहिम राजेन्द्र बाबू हमारे यहां गोरखपुर में गये थे और चरण सिंह जी ने हमको भी मौका दिया था कि हम भी अपने विचार प्रकट करें । मैंने अपने भाषण में कहा था कि पूर्वी जिलों में चीनी मिलों से शीरा बहुत पैदा होता है जिससे रबर बनाया जाता है । उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है तो मैंने कहा कि इससे सेन्थेटिक रबर बनाया जाता है, मगर इसका उपयोग अभी उस तरफ नहीं हो रहा है । यहां के व्यापारी समझते हैं कि शीरे का जितना बड़ा उद्योग हमारे यहां है, उत्तर प्रदेश शीरे का बड़ा भारी उद्योग सारे भारतवर्ष में है । जिस क्षेत्र से मैं आता हूं बरहज बाजार से वहां पर शीरे के उद्योग में लगभग ४० लाख आदमी लगे हुये हैं । ६ लाख तो उसमें कर्मचारी हैं ।

हमारे भारतवर्ष में इस व्यापार का सब से बड़ा केन्द्र बरहज बाजार, हाथरस, अलीगढ़ कासगंज, बरेली हैं, ये ऐसे केन्द्र हैं जहां पर रिजेक्टेड शीरे का उपयोग बड़ी भारी मात्रा में किया जाता है । पहले यह शीरा पूर्वी पाकिस्तान जाता था, लेकिन हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बटवारे से जहां और नुकसान हुये एक यह भी नुकसान हुआ कि इन लोगों का व्यापार छिन गया । जो छोटे छोटे व्यापारी थे वे सब मारे गये । इन लोगों को लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ । इधर बहुत लिखा पढ़ी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । उसके बाद सरकार ने कहा कि कानून बनायेंगे और सन् १९४७ में कानून बनाया गया । उस कानून के बमूजिब अब काम हो रहा है । कहा गया कि त्रिपुरा भेजिये । आज त्रिपुरा जाता है, मनिपुर, आसाम, राजस्थान और पंजाब को यह शीरा भेजा जाता है । अब सरकार अपने अलकोहल के लिये और शराब के लिये लेती है । जहां तक मालूम है औसतन ४० लाख क्विंटल प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में आता है । जो इनकी डिस्टिलरी की कैपेसिटी है, जो क्षमता है वह २५ लाख क्विन्टल के हैं और १४ लाख क्विन्टल का मिल मालिक टाटा, बिड़ला, सेक्सरिया अपना इंतजाम करते हैं जिसके लिये सरकार ने उनको अधिकार दे रखा है । यह भी सरकार ने उनसे कह दिया है कि हटाने की भी आप ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था करें। इनके यहां भी ऐसी हालत है कि मिलमालिक उतना नहीं खाते हैं जितना कि मैनेजिंग एजेंसी वाले खा जाते हैं। तो वे भी अपने मामा, चाचा, नाना व भतीजे को दे देते हैं। ४० लाख का सम्बन्ध बनिया लोगों से है। वे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं वे लोग बेचारे कहां जायेंगे। जिनको रिजेक्टेड शीरे का व्यापार मिला था उनका क्या होगा। अगर हमारे भाषण से सरकार को इस विधेयक की गम्भीरता मालूम न हो तो फिर इस विधेयक के उद्देश्य को पढ़ लिया जाय। उनके घर के पास हाथरस पड़ता है। उनको तो वहां की हालत ज्यादा मालूम होनी चाहिये, लेकिन फिर भी पढ़कर इसको बतला देता हूं। यूनाइटेड प्राविन्सेज मोलसेज कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४७ को शीरे के उत्पादन मूल्य और उसके वितरण को नियंत्रित करने के लिये अधिनियमित किया गया था। पिछले वर्षों में इस ऐक्ट के कार्यान्वयन में विशेषकर मितव्ययी दरों पर आसवनियों को शीरे की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के मामले में कठिनाइयां अनुभव हुई। इसके अतिरिक्त राज्य में उत्पादित शीरे की सम्पूर्ण मात्रा को बचाने और उसका परीक्षण करने और इस राज्य के परम औद्योगिक विकास के लिये आसवनियों का तथा अन्य औद्योगिक प्रयोजनों के लिये उसका सम्यक् वितरण सुनिश्चित करने के लिये यह इष्टकर समझा गया कि कतिपय उपबन्ध बनाये जायं। शीरे की संरक्षण, सम्भरण और सम्यक् वितरण करने के लिये यह व्यवस्था की गई है। तो इन चार बातों की व्यवस्था करनी है और उसके लिये ५,७ धारायें पूरे विधेयक में रख दी गयी हैं। यह पर्याप्त न होंगी और इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी हमारे सुझाव ले लें और ७ दिन या १५ दिन के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। उसमें अच्छी प्रकार से इस पर विचार हो सकेगा। मंत्री जी पुराने जमाने के सोशलिस्ट हैं। इसमें सरकार शीरे का श्रेणीकरण और नियंत्रण मिल मालिकों के हित में कर रही है। मजीठिया साहब ने २६ लाख रुपया लिया हुआ है और उसे वापस करने का इरादा नहीं है। ऐसे लोगों को हम कैसे अपना शीरा दे दें? मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं बिहार सरकार का गजट, जो २० जुलाई, १९६१ का है, आपके सामने रखता हूं। इस सम्बन्ध में बिहार सरकार ने पहला कदम उठाया है। उसका मूल्य तो मिल मालिक ले लेते हैं, सरकार को कुछ नहीं मिलता यह अंग्रेजी में है (व्यवधान) भाई कृष्णानन्द जी ने मुझे एक बात की याद दिला दी। सिसरो अपने गुरू को जब जेल में छुड़ाने गये तो उसने कहा कि यह ठीक है कि यहां कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हमारा संविधान तो देख रहा है। तो यह सिद्धांत की बात है। खैर, उस गजट में लिखा है :

"The Govt. shall fix from time to time the rate of administrative charge per maund or quintal of molasses relased for sale. This rate shall be notified in the Official Gazette. Such administrative charge shall be exclusive of the price payable to sugar factory. Every sugar factory shall deposit the amount of administrative charge payable to Government on molasses released to it for sale and produce the treasury challan showing such payment to the Excise Officer posted to the sugar factory before actual delivery of the released molasses to the purchaser."

बिहार की सरकार ने हुक्म दिया कि दामों के अलावा एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज होगा और शायद उन्होंने १६ नये पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से उसे लगाया। वह पहले सरकारी खजाने में जमा करने के बाद ही शीरा कोई उठा सकता है। मेरा प्रस्ताव है कि यहां वह एक रुपया प्रति क्विन्टल लिया जाय। इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी और जो शीरा बर्बाद हो जाता है वह बचेगा। हमारे अली जहीर साहब कहते हैं कि कोई भूखों नहीं मरता। उनका कुत्ता तो दूध रोटी खाता है न। हमारे यहां चार आदमी शीरा खा कर ही मर गये। पूर्वी जिले वालों को तो वह भी खाने को नहीं मिलता। तो हमें बिहार सरकार की तरह से यहां भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगाना चाहिये। मुझे सूचना है कि सरकार उत्तर प्रदेश के बाहर डिलवरी देती है। आसाम को भी देती है। तो क्या आसाम सरकार हमें उसके बदले में चाय दे देती है। हमारे यहां जो आदमी इसमें लगे हैं उनके सब घर गिर गये, कारखाने गिर गये। आसाम सरकार कहती है कि आप हमें शीरा कम दे सकते हैं, लेकिन हम शायद उसके बदले में कुछ नहीं दे सकते। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि यदि मंत्री जी सही माने में यह विधेयक लाना चाहते हैं और उससे कोई लाभ की बात सोचते हों, तो उससे कोई खास लाभ होने वाला

[श्री उग्रसेन]

नहीं है। एक बात और है जो कि मैं इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो मजदूर लोग इसके सम्बन्ध में काम करना चाहते हैं, शीरे की इंडस्ट्री में, उनके भी रखरखाव का कोई प्रबंध नहीं है। सरकार का आशय है कि उसको पानी की तरह से गड़े में बहा दे। सरकार का कोई भी उस पर नियंत्रण नहीं है। तो सरकार उन लोगों के लिए भी कुछ प्रबंध करे, कुछ कानून बनावे। तो सरकार को उनके सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था इस विधेयक में लानी चाहिये ताकि उनका भी श्रवण हो जाय। जो शीरा उद्योग में मजदूर काम करते हैं उनका भी कोई प्रबंध हो जाय। एक बात श्रीमन्, मैं और कहना चाहता हूं और वह हमारे पूर्वी जिलों की है, वहां पर लोग तम्बाकू के साथ शीरे का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अगर इस शीरे को वहां भेजने का प्रबंध किया जाये तो वहां से कुछ चीजें अपने प्रदेश के लिये मंगाई जा सकती हैं। मैंने जब इस विधेयक को पढ़ा तो १ से लेकर १८ तक, उसमें तमाम खामियां मिलीं। मैं अब आपका ज्यादा समय न लेकर साफ-साफ बता देना चाहता हूं एक तो खंड ७ क्लाज (१) के विषय में मेरा सुझाव है कि अपमिश्रित शीरे को हटाने के बजाय उसका संग्रहण किया जाय। दूसरा खंड ८(१) के विषय में मेरा सुझाव है कि शीरे की बिक्री और उसका संभरण प्राइवेट के लिये भी दिया जाय। खंड १० (१) के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो रुपया प्रति क्विन्टल चार्ज करके सरकारी खजाने में जमा करने के बाद ही व्यापारी को उक्त मिश्रित शीरा उठाने की आज्ञा मिले।

तो इस विधेयक में शुरू से आखिर तक, भूमिका से अन्त तक खामियां हैं। यह चूंकि उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, तो इस पर सहकारी मंत्री जी को बहुत ध्यान देना चाहिये। अगर यह पास हो जायेगा तो इससे फायदा किसको होगा? पूंजीपति ही इससे फायदा उठा पायेंगे। जरा आप सोचें तो सही, २ रुपये मन गन्ना आप लेते हैं और यह लोग ढाई रुपये मन गन्ने की खोई बेचते हैं। शीरे में भी खूब नफा कमा रहे हैं। चम्पारन का केस तो मान्यवर, आपको पता होगा। कितना बड़ा स्कैन्डल शीरे में हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय जहां पर ठंढे दिल से हम इस पर विचार कर सकें और अपने सुझाव दे सकें। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव प्रवर समिति का प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, विरोधी दल तो अपना यह कर्तव्य समझता है कि कोई भी विधेयक आये वह उसका विरोध करे। कितना ही अच्छा और जनहित का विधेयक क्यों न हो, इनको तो विरोध करना ही है। मुझे माननीय उग्रसेन जी के प्रति अटूट श्रद्धा है और ऐसे लोग इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं तो बड़ा दुख होता है। यह तो एक मामूली सा विधेयक है, इसे तो आधे घंटे में पास कर देना चाहिये। जो छोटी छोटी इंडस्ट्री वाले हैं उनके लाभ के लिये ही यह विधेयक लाया गया है। जो अधिक मुनाफे कमाते हैं वह न कमा सकें, मैं इससे सहमत हूं और वही इस विधेयक का मकसद भी है। सभी माननीय सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने उचित सुझाव दें। किन्तु इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की जरूरत बिलकुल नहीं है। मैं माननीय नेता, श्री उग्रसेन जी, से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें और जो सुझाव उनके पास हों उन्हें वे देने की कृपा करें। यदि उचित सुझाव होंगे तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मंत्री जी उनको अवश्य ही मान लेंगे। यह सरकार बहुत सोच-विचार कर विधेयक को सदन में प्रस्तुत करती है। अगर कोई सही बात आपकी तरफ से कही जायेगी तो मंत्री जी उसे जरूर स्वीकार कर लेंगे। अगर कहीं किसान का या मजदूर का अहित होता हो तो उसमें मंत्री जी को जरूर संशोधन कर देना चाहिये। ठेकेदारी और अफसरों की रिश्वत बन्द हो। हमारी सरकार इस पर विशेष ध्यान रखती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रस्ताव को वापस लें और विधेयक को पास होने दें।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री हरिनाथ जी द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, इस विधेयक को देखने से ऐसा लगा कि हम बड़े-बड़े लोगों के लिये, पूंजीपतियों के लिये, कुछ सुविधायें देना चाहते हैं। नाम तो है इसका शीरा नियंत्रण विधेयक, लेकिन वास्तव में है यह अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला विधेयक। जो लोग शीरे की चोरबाजारी करते हैं उनको प्रोत्साहन देने वाला विधेयक मैं इसे कह सकता हूं। आज कल जब हम मद्यसार को घृणा की दृष्टि से देखते हैं उसे और उन्नत करने के लिये जो प्रयत्न किया जा रहा है वह ऐसा अटपटा सा लगता है कि हमारी समझ में नहीं आता। एलकोहल बनाने के लिये सरकार को ऐसा विधेयक लाने की जरूरत क्यों पड़ी? एलकोहल बनता है, बनता रहा है और बनता रहेगा, लेकिन सरकार को शायद मद्यसार की स्वयं की आवश्यकता है जिसे पीकर वह मस्त हो जावें और सरकार का काम बड़ी आसानी से चला सकें। इसलिये वह अपने लिये रिजर्व करना चाहती है, अच्छी कोटि का लेना चाहती है। डिस्टीलरीज पहले भी थीं, अब भी हैं, इनके लिये हम ऐसा विधेयक बनावें, यह मेरी समझ में नहीं आता है। जनता के स्वास्थ्य के साथ इसका कितना सम्बन्ध है, यह आप स्वयं जानते होंगे। यह आप जरूर कह सकते हैं कि हम कुछ दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं और जनता के स्वास्थ्य से इसका सम्बन्ध हो सकता है, लेकिन जो एलकोहल बनता है उसका अगर आप सही तरीके से क्वालिटी और क्वान्टीटी निश्चित कर दें तो किसी प्रकार से भी हीन एलकोहल आप को प्राप्त नहीं होगा और जनता का स्वास्थ्य नहीं गिरेगा।

हमारे प्रदेश का किसान और मजदूर शीरे को शरबत की शकल में और तम्बाकू में इस्तेमाल करता है। जिस दिन से यह शीरा नियंत्रण विधेयक आया उस दिन से शीरे के दाम दुगुने और तिगुने बढ़ गये हैं। जो आदमी शकर, राब या गुड़ नहीं इस्तेमाल कर सकता था उस के साथ आपने बड़ा अन्याय किया है। विधेयक की कमियों को पूरा करने के लिये इसका प्रवर समिति में जाना बहुत आवश्यक है और इससे काश्तकार, मद्यपानक और सरकार का भी फ़ायदा होगा।

हम इसके द्वारा पूरे शीरे पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप को नियंत्रण करना है तो पूरे तौर से कीजिये, वरना निश्चित रूप से छोड़ दीजिये। इसमें लिखा है कि आप शक्कर का कारखाना उसे मानेंगे जहां २० आदमी काम करते हों या १२ महीने में २० आदमियों ने काम किया हो। अगर कोई कारखानेदार २५ या २२ आदमी रखता है और रजिस्टर में १९ दिखाता है तो आप क्या ऐक्शन लेंगे? दूसरी बात यह है कि हाथ की मशीनें लगा कर शीरा बनावें तो उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा। वह शीरा कहीं भी जा सकता है और मिलमालिक भी कुछ पैसा कमा सकता है। उसके ऊपर आप का कोई नियंत्रण नहीं है।

इसमें आप ने रखा है कि एक समिति बनाई जायगी राज्य को परामर्श देने के लिये। समिति ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन संगठित की जायगी जो नियत किये जावेंगे। कितना पोल है इसमें, यानी सारा अधिकार अपने हाथ में सरकार ले रही है। हाउस से सरकार कोई भी अनुज्ञा नहीं ले रही है। उस में कुछ तो अपने को प्रतिबन्धित कीजिये। ऐरे-गैरे नत्थूखैरे को आप उसमें भर दें, यही आप की इच्छा मालूम होती है। इसमें देना चाहिये था कि समिति में शराब पीनेवाले या शीरे का काम करने वाले लोग रखे जावेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप उन लोगों को इसमें रखेंगे जिनको शीरे के काम की कोई भी जानकारी नहीं है और जिन्हें खाली भत्ता देना है और उनका नाम उत्तर प्रदेश में बढ़वाना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

हो सकता है कि फूड एडवाइजरी कमेटी की तरह से यह भी हो, सारे के सारे मिनिस्टर उसमें हों। आप उसे केबीनेट ऐज ऐ होल भी तो रख सकते थे, लेकिन दुनिया को धोखा देने के लिये और जनता को बेवकूफ बनाने के लिये ही ऐसी धारायें रखी जाती हैं और मैं इनका विरोध करता हूं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह प्रवर समिति में जाय और वहां यह बात भी तय हो कि इस कमेटी में ये ये लोग होंगे। सरकार की अब यह नीति हो गई है कि अधिक से अधिक अधिकार अपने हाथ में लेकर चाहे जो कुछ करे। जनता का उससे भला हो या नहीं, इसकी इन्हें कोई चिन्ता नहीं है।

धारा ४ में है कि किसी को भी शीरा नियंत्रक नियुक्त कर सकते हैं। इसमें कौन सी परेशानी थी कि आप इसमें नाम देते कि चीनी अधिकारी को ही बना देंगे? मुझे लगता है कि कोई मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जिसे आप कुर्सी नहीं दिला सके उसे ही शीरा नियंत्रक बनाकर कुर्सी देना चाहते हैं। मैंने कमेटियों के चुनाव में देखा कि जो मिनिस्टर नहीं हो सके उन्हें वहां एकोमोडेट किया गया, नये नये विभाग खोल दिये। ऐसे ही हो सकता है शीरा नियंत्रक भी अलगूराय जी शास्त्री बनाये जावें।

आज उत्तर प्रदेश को शक्कर की जरूरत है। अच्छे शीरे में ४० प्रतिशत तक शक्कर का होना जरूरी है, तभी वह अच्छा शीरा माना जायगा। शक्कर के दाम बहुत बढ़े हुये हैं। जिस समय शक्कर पर कंट्रोल लगाने का सवाल आया था हमने चेतावनी दी थी कि शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं और आप ने कंट्रोल किया। उस समय शकर के दाम १ रुपया १७ न० पै० प्रति किलोग्राम था, लेकिन आज आप देखें कि सरकार आज १-३२ रु० प्रति किलोग्राम ले रही है। ऐसी स्थिति में शीरे को बाहर जाने देने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक शकर बनायी जानी चाहिये। देहाती लोग शकर कम खाते हैं और शीरे को इस्तेमाल में लाते हैं और गरमी में किसान उसका शरबत बना कर पीता है। उत्तर प्रदेश के लिये यह अच्छी बात नहीं है कि यहां शकर महंगी बिके। फिर जब कि हमें विदेशी मुद्रा भी कमाना है, हमें शकर को कम खर्च करना चाहिये।

धारा १३ में बताया गया है कि संज्ञान (कागनीजेंस) किसी आफिसर के ही द्वारा होगा। एक्साइज आफिसर या अन्य शीरा अधिकारी ही संज्ञान करेगा तभी मुकदमा दायर हो सकता है। यह भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली चीज है। आज भी शुगर फैक्ट्रीज में एक्साइज आफिसर्स रहते हैं। वे बड़ा वारा न्यारा करते हैं। इतना कमाते हैं कि कोई मैनेजमेंट भी क्या कमायेगा। अन्डर वेट होता है और इंस्पेक्टर नहीं पकड़ता है। जब इस प्रकार की धांधली अब भी फैक्ट्रीज में चल रही है तो फिर शीरा आफिसर या एक्साइज इंसपेक्टर कितनी गड़बड़ी कर सकेगा, यह सोचा जा सकता है। वह निरीक्षण भी कर सकता है इसलिये कुत्ता, चूहा चाहे जो मर जाय वह ले देकर सर्टिफाई कर देगा कि इसमें कुछ भी चीज दूषित नहीं है। क्योंकि हरा नोट तो उसकी जेब में चला जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के बजाय तो एक्साइज इंसपेक्टर बन जाना अधिक उपयुक्त है। कुछ भी तो काम करना नहीं, बस पास करते जाओ माल को और रकम जेबों में भरते जाओ। पुलिस का इंस्पेक्टर भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। इसलिये कागनीजेंस का अधिकार पब्लिक को भी देना चाहिये कि वह भी संज्ञान करके मुकदमा दायर कर सके। नहीं तो इंसपेक्टर साहब को रकम मिल जायगी और वह कागनीजेंस ही नहीं लेगा। चाहे हम कितने ही क्यों न चिल्लायें, असेम्बली में कितना ही शोर न मचायें, यहां से पूछा जायगा तो नीचे से रिपोर्ट आ जायगा कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह गलत है। इससे विधेयक का जो तात्पर्य है सब समाप्त हो जायगा। इसलिये जनता को संज्ञान करने की शक्ति देनी चाहिये।

इसी तरीके से इसमें नियमों के बनाने की भी बड़ी भारी आवश्यकता है। इस विधेयक के पृष्ठ ६ के नंबर ३ पर सदन में नियम बना कर प्रस्तुत करने के बारे में कहा गया है, लेकिन साथ में यह भी दिया हुआ है कि अगर नियम न बने हों तो उस के अधीन की गयी कार्यवाही

अवैध न होगी, लेकिन देखा यह गया है कि नियमों के बनाने में ३, ३, ४, ४ साल लग जाते हैं। मैं समझता हूं कि नियमों के बनाने के तरीके में जरूर संशोधन होना चाहिये। एक बिल १९६० में पास हुआ, अधिनियम बन गया, उस पर कार्यवाही होने लगी और सन् १९६४ में जा कर नियम बन रहे हैं। तीन, चार साल बाद उस की तरफ सरकार का ध्यान गया कि इसके लिये नियम होने चाहिये। इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करता हूं कि वे नियमों को जल्दी बनवाने की तकलीफ गवारा करें और इसके लिये, अपने डिपार्टमेंट को सचेत करें। हम लोगों के खास श्रेणी के आवास की व्यवस्था के लिये एक विधेयक को पास हुए साल भर से अधिक हो गया, लेकिन आज तक उसके नियम नहीं बन सके। जब हम लोगों के साथ यह हो सकता है तो जनता के साथ क्यों नहीं होगा? इसलिये इन शब्दों के साथ आप के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इन सब बातों पर कार्यवाही करने के लिये और फिर से विचार करने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जिससे सारी बातों पर विचार विमर्श किया जा सके जिससे एक अच्छा खासा विधेयक जनता के हित में बन सके और जिससे जनता की आकांक्षा पूरी हो सके और हम लोगों को भी राहत मिल सके।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने कहा—मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस को प्रवर समिति में भेजा जाय। इस वक्त जब हमारे सामने गल्ले की कमी की समस्या है, हम लोग यहां शराबखोरी की बात पर आ गये हैं। इसके ऊपर मैं एक शेर अर्ज कर देना चाहता हूं—

"किससे महरूम मैं किस्मत से शौक कीजिये, हमने चाहा था कि मर जायं, तो वह भी न हुआ।"

शराब तो शराब ही है, आज गल्ले की जरूरत है, लेकिन यहां हम लोग आबकारी पर व माननीय मंत्री जी इस विधेयक पर ध्यान दे रहे हैं।

"जिन्दगी बेचैनियों का नाम है, और कुछ नहीं,
ऐश व राहत तो खामे खयाल है, और कुछ नहीं,
देखने की ही तो सुबह शाम है, और कुछ नहीं,
मौत ही बस इसका अंजाम है, और कुछ नहीं।"

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस संशोधन पर हुए विवाद में भाग लिया है, मैं उन सब का आभारी हूं और उन्होंने और भी ऐसी चीजें बतलायी हैं जिन पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये। वह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, यह उचित नहीं है, और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। श्री कृष्णानन्द राय जी बजाय इसके यह समझते हैं कि हमने इस संशोधन का विरोध किया है, उन्होंने इस संशोधन पर बल दिया है और वह बल इस प्रकार से दिया है कि उन्होंने बतलाया कि गरीब जनता भी इनको अपने काम में लाती है। लेकिन इस विधेयक में यह नहीं बतलाया गया है कि कितने शीरे का अल्कोहल बनेगा और कितना शीरा उन गरीब व्यक्तियों को दिया जायगा जिनका जीवन इसके ऊपर निर्भर करता है। श्री हरीसिंह का केवल यही कहना था कि विरोधी दल का काम केवल यही रह गया है कि कोई भी विधेयक हो उसे वह प्रवर समिति में ही भेजने की बात कहता है। लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि बहुत से विधेयक ऐसे होते हैं जिनको सरकारी दल के लोग अपने आप ही प्रवर समिति में भेज देते हैं। अभी आप के सामने नगर-पालिका विधेयक है जो कल आने वाला है। कृषि उत्पादन मंडी विधेयक है और मंत्रिगण भी इस बात को महसूस करते हैं जब कि कई कोर्ट्स में रिट दाखिल होने पर खिलाफ फैसला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

किया है और स्ट्रिक्चर तक पास किया और यह कुछ खामियों की रहने की वजह से ही हुआ है। इस तरह से जो दोष बताये गये हैं बिल में उनको देखते हुये कहीं पर भी इस में कोई ऐसा नियंत्रण नहीं रखा गया है इन अफसरों पर और आप उन के हाथ की कठपुतली बन गये हैं, वह भगवान बन जाते हैं। जो कुछ वह करते हैं उस के चेकिंग का कोई तरीका नहीं रखा गया है। जो इंसपेक्टर होते हैं वह थोड़े दिन में ही माल.माल हो जाते हैं और उसका कारण यह है कि आप के कानून ऐसे बनते हैं कि उन पर आप कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, वह बिलकुल खुदमुखतार होते हैं और जैसा चाहें करते हैं।

दूसरे क्या आप समझते हैं कि इस बिल के आने के बाद आप कंट्रोल कर सकेंगे? निश्चय ही आप नहीं कर सकेंगे। आपने इसमें २० की संख्या रखी है वह १९ मजदूर रख देंगे और आप के कंट्रोल के बाहर हो जायंगे या २५ रख लेंगे और दिखलायेंगे १९ और बाकी को कह देंगे कि वह चपरासी वगैरह हैं।

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि बहुत सा शीरा बह जाता है, लेकिन जो मालिक होते हैं वह हर एटम और मालिक्यूल को बचाते हैं, लेकिन आप का नियंत्रण होगा तो वह बचा नहीं सकेंगे और वह उस को दूसरे रूप में बचायेंगे और इंसपेक्टर को पैसा देकर सौ क्विन्टल की जगह २ क्विन्टल ही लिखायेंगे और दूसरे ढंग से बचायेंगे। इसलिये मंत्री जी विचार करें और बिल को प्रवर समिति में जाने दें चाहे वह वहां थोड़े समय के लिये ही जाय और वहां विचार करके अच्छे रूप में फिर सदन के सामने आये।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री हरीशकुमार जी ने कुछ बातें सदन के सामने पेश कीं। मैं तो पहले इतना ही कहना पसन्द करूंगा कि मुझे श्री हरीश कुमार जी के साथ बड़ी हमदर्दी है इसलिये कि जो कानून पेश है उसके चाहे वह अलफाज न समझें, लेकिन इधर उधर की बातें जो मन में आयें वह कह कर अपनी तबियत खुश कर लें कि इससे मिल मालिक का लाभ होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा और आबकारी इंसपेक्टर यह करेगा वह करेगा। अगर उन्होंने इसके खंडों को पढ़ा होता तो शायद वह ऐसी बात न करते। जहां तक कागनिजेंस की बात है उन्होंने कहा कि उसमें लिखा है कि इंसपेक्टर कागनिजेंस ले सकेगा। उन्हें यह समझना चाहिये कि इसके ऊपर के अधिकारी भी तो कागनिजेंस लेंगे, जिलाधीश भी लेंगे और सी० एम० भी लेंगे। इसमें यह कहां लिखा है कि आबकारी इंसपेक्टर जो चाहे करेगा या चाहेगा तो लेगा नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा। मुझे अफसोस है कि इस तरह के रिमार्क बिना पढ़े और समझे किये गये, यह कोई कांस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने फरमाई कि शीरे में ४० प्रतिशत चीनी रह जाती है और उससे शराब और अलकोहल क्यों बनाया जाय और उस चीनी को खाने के लिये क्यों न निकाला जाय। मुझे हमदर्दी है उन के साथ, वह यह नहीं जानते कि ४० प्रतिशत में से १ छटांक चीनी भी नहीं निकल सकती, अभी तक कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ है। अगर यह मुमकिन होता तो कोई वजह नहीं थी कि मिलमालिक आज तक उसमें से चीनी न निकालते। अगर माननीय हरीशकुमार जी कोई सुझाव देते तो बहुत अच्छा था। कौन ऐसा मिलमालिक होगा जो अपना शीरा ५० और ६७ नये पैसे प्रति मन के हिसाब से बेच देता। और उसमें से चीनी न निकालता मिल का शीरा अधिक दाम पर नहीं बेचा जा सकता है। खंडसारी का शीरा कुछ अधिक दाम पर बिक सकता है, लेकिन जो मिल का शीरा है वह एल्कोहल बनाने के लिये इन्डस्ट्रीज को देंगे। जब हम इन्डस्ट्रीज को देंगे तो जो कीमतें नियत कर दी हैं उस पर ही देंगे।

श्री उग्रसेन जी ने फरमाया कि शीरा खाने के काम में आता है। इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शीरा जो खाने के काम में आता है वह खंडसारी उद्योग से निकलता है। मिल के उद्योग से जो शीरा होता है उसमें कैमिकल्स मिल जाते हैं तो उस को खा नहीं

सकते। और यदि कोई खाने के शीरे में एडल्ट्रेशन कर रहा है तो वह गलत कर रहा है। उसे हमें रोकना चाहिये। खाने के लिए अगर यह चीज उपयुक्त होती तो हम लोग अवश्य इस की चर्चा करते, लेकिन हम तो मिल के शीरे को कन्ट्रोल करने की बात कर रहे हैं। माननीय उग्रसेन जी ने चिन्ता व्यक्त की है। इसके बारे में मैं अर्ज कर दूं कि पिछले सीजन में १ करोड मन के करीब शीरा बना मिलों के अन्दर जब कि डिस्टीलरीज १ १/२ करोड़ मन शीरा कन्ज्यूम कर सकती हैं। यह बिल तो हम इसलिये ला रहे हैं कि हमारी जो शुगर इन्डस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो निःसन्देह हमारी शीरे की मात्रा भी बढ़ेगी। हमें इस समय अधिकार नहीं है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधों को शीरा दे सकें। जो माननीय सदस्यों ने फरमाया ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोग ले जायें और उससे फायदा उठायें और जो गरीब उद्योगों में लगे हुए हैं उनका फायदा न हो। यही मंशा है सरकार की जिसकी वजह से यह बिल लाया जा रहा है। आज हमारे पास बहुत सी दरख्वास्तें आयी हैं कि हम को शीरा दिलवा दीजिए। खंडसारी शीरे की कीमत तो ज्यादा है पर फैक्टरी से बनने वाला शीरा ६६, ५० और ४० न० पै० में मिल सकता है। हम मजबूर थे कि उन को परमिट नहीं दे सकते थे चूंकि हमें इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। अतः इस कानून के बन जाने के बाद सरकार को अधिकार हो जाता है कि इन्स्ट्रीज व अल्कोहल बनाने के लिये हम शीरा दे सकेंगे। आप की बरेली में एक रबर फैक्टरी है। उसमें १० मिलियन गैलन का खर्चा है रबर बनाने में। इस तरह से बहुत सी ऐसी इन्डस्ट्रीज जो अल्कोहल के ऊपर बेस हैं। हमें उन्हें शीरा देना चाहिए, लेकिन हम नहीं दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अल्कोहल की जो इन्डस्ट्रीज हैं उनमें हम इस्तेमाल कर सकें और जो छोटे छोटे उद्योग लेना चाहते हैं उन को दे सकेंगे। इसलिये इस बिल में उसका इन्तजाम किया गया है। हाई कोर्ट ने इस प्वाइन्ट को लेकर यह रिट मंजूर किया था कि हमारी पावर इन्डेफिनिट थी, इसलिये हम इसके अन्दर सरकार के अधिकारों को महदूद कर रहे हैं, इन डिस्टिलरीज और जो दूसरी इन्डस्ट्रीज हैं उन को इक्वीटेबली देंगे। माननीय सदस्य इत्मीनान रखें कि मिल मालिक इससे फायदा नहीं उठा सकेगा, बल्कि उसे परेशानी होगी जो मालिक बेजा फायदा उठाने के लिये अब तक जो शीरे में पानी मिला देता था वह नहीं कर सकेगा और जो फायदा वह इस तरह से उठा लेता था वह नहीं उठा सकेगा। फिर पानी मिला शीरा वह बेच नहीं सकेगा, वह तम्बाकू बनाने के काम में आ जायगा। जो हमारी मंशा है वह इस विधेयक से पूरी होगी। प्रवर समिति में अब इसे भेजने की आवश्यकता नहीं है। किसी और इश्यू पर अब रिट पेटीशन भी नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन में प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास उग्रसेन जी ने आज डेढ़ बजे कुछ संशोधन भेजे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरी आपत्ति है। ३६ घंटे पहले नहीं भेजे हैं। उनको खारिज कर दिया जाय।

श्री उग्रसेन—

सदन बन्द हो गया था। यकायक खुला तो कल ही परामर्श दात्री समिति ने तीन-तीन विधेयक आज के लिये रखे। संसदीय विभाग ने कोई सूचना नहीं दी। डेढ़ बजे से पहले ही दे दिये थे उस समय रामायण राय जी कुर्सी पर सुशोभित थे। फिर हमारे सुझाव ऐसे हैं जिनसे सरकार को लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इस विधेयक का नोटिस काफी अर्से पहले ही हो गया था, २८ जुलाई को यह एजेंडे पर था।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जो संशोधन उग्रसेन जी ने पेश किये हैं उन पर काफी चर्चा पहले संशोधन के सिलसिले में ही हो चुकी है। अब समय नष्ट करने से क्या फायदा होगा?

श्री उपाध्यक्ष—

ये संशोधन टाइम बार्ड हैं। इसलिये अस्वीकार किये जाते हैं।

श्री उग्रसेन—

आप सर्वशक्तिमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कायदे की बात तो की ही जायगी।

खण्ड २—१०

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "नियंत्रक" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन नियुक्त शीरा नियंत्रक से है;

यू० पी० ऐक्ट, संख्या ४, १९१०

(ख) "आसवनी" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट, १९१० के उपबन्धों के अधीन चालक (power) ेय (potable) या औद्योगिक मद्यसार बनाने के लिये लाइसेन्स-प्राप्त भूगृहादि से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ४, १९१०

(ग) "आबकारी अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट, १९१० में excise officer का दिया गया है;

(घ) "शीरा" का तात्पर्य गन्ना या गुड़ से निर्वात पात्र (vacuum pan) द्वारा शक्कर बनाने की अन्तिम अवस्था में निकलने वाले गाढ़े, गहरे रंग के लसदार तरल द्रव्य से है, जब उस तरल द्रव्य या उसके किसी रूप अथवा मिश्रण में शक्कर हो;

(ङ) शक्कर के कारखाने के संबंध में "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका उक्त कारखाने के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत कारखाने का प्रबन्ध अभिकर्त्ता (मैनेजिंग एजेन्ट) भी है;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(छ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है; और

(ज) "शक्कर के कारखाने" अथवा "कारखाने" का तात्पर्य उसकी प्रसीमाओं (precincts) सहित किसी ऐसे भू-गृहादि से है, जहां बीस या उससे अधिक कर्मी (worker) काम कर रहे हों या पिछले बहरा महीनों में किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विद्युत-शक्ति की सहायता से निर्वात पात्रों (vacuum pans) द्वारा शक्कर के उत्पादन से संबंधित निर्माण-प्रक्रिया की जा रही हो या साधारणतया की जाती हो।

परामर्श समिति का संघटन

३—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, शीरे के संग्रहण, सम्भरण, श्रेणीकरण तथा मूल्य-नियंत्रण से सम्बद्ध मामलों पर परामर्श देने के लिये एक परामर्श समिति संघटित कर सकती है।

(२) समिति में उतने व्यक्ति होंगे और वह ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन संघटित की जायगी जो नियत किये जायें।

शीरा नियंत्रक की नियुक्ति

४—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन शीरा नियंत्रक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये किसी व्यक्ति को शीरा नियंत्रक नियुक्त कर सकती है।

शीरे का संरक्षण

५—शक्कर के कारखाने का प्रत्येक अध्यासी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा—

(क) कारखाने में उत्पादित शीरे के निरापद संरक्षण के लिये कारखाने के गृहादि के भीतर आच्छादित स्थान;

(ख) चूने, रिसने, ऊपर से बह निकलने या अन्य ऐसी दुर्घटना से जिससे कारखाने में संगृहीत शीरे के गुण को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो, रक्षा के पर्याप्त पूर्वोपाय;

(ग) शीरे के साथ पानी के मिश्रण या ताजे शीरे के साथ पुराने बिगड़े हुए शीरे के मिश्रण को रोकने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध; और

(घ) शीरे को उठाने-धरने की, जिसके अन्तर्गत शीरे के नमूने लेना, उसे पम्प करना और टंकी वैगनों, टंकी लारियों तथा अन्य पात्रों में भरना भी है, पर्याप्त सुविधायें।

अपमिश्रण से संरक्षण

६—(१) शक्कर के कारखाने का कोई अध्यासी अपने द्वारा उत्पादित या स्टाक में किसी शीरे का अपमिश्रण न तो करेगा न करने देगा।

(२) शक्कर के किसी कारखाने की किसी संग्रह टंकी में ऐसे शीरे का होना जिसमें शक्कर की मात्रा [लेन और इगनान के आयतन-मिति विधि (Lane and Egnon's volumetric method) द्वारा अवधारित कुल अपचायक शक्कर (reducing sugar) के रूप में व्यक्त] चालीस प्रतिशत से कम हो, यह प्रकल्पना करने के लिये पर्याप्त होगा कि कारखाने के अध्यासी ने शीरे का अपमिश्रण किया है या करने दिया है।

अपमिश्रित शीरे का हटाया जाना

७—(१) नियंत्रक, शुद्ध शीरे का समुचित संग्रहण और संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शक्कर के कारखाने के अध्यासी से कारखाने के भू-गृहादि से किसी अपमिश्रित शीरे को, नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली उचित अवधि के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी अनुमत समय के भीतर उक्त अपेक्षा की पूर्ति करेगा।

(२) धारा ६ की उपधारा (२) में उल्लिखित शीरा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपमिश्रित शीरा समझा जायगा ।

शीरे की बिक्री और उसका संभरण

८—(१) नियंत्रक, आज्ञा द्वारा, शक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी से, शीरे की उतनी मात्रा ऐसे व्यक्ति को, जो आज्ञा में निर्दिष्ट हो, नियत रीति से बेचने और सम्भरित करने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी, किसी संविदा के होते हुए भी, उस आज्ञा का पालन करेगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा—

(क) ऐसे ही व्यक्ति को शीरा संभरित करने की अपेक्षा करेगी जिसे उसकी अपेक्षा अपनी आसवनी के लिये या औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिए हो;

(ख) स्टाक की या वर्ष में उत्पादित किये जाने वाले शीरे की संपूर्ण मात्रा के लिए या उसके किसी भाग के लिए हो सकती है, किन्तु शक्कर के प्रत्येक कारखाने से सम्भरित किये जाने वाले शीरे का उस वर्ष में कारखाने के शीरे के कुल अनुमानित उत्पादन से अनुपात राज्य भर में एक ही होगा, सिवाय उस दशा के जब नियंत्रक की राय में, निम्नलिखित में से किसी कारण से अन्तर आवश्यक हो:

(१) ऐसे क्षेत्र के भीतर, जिसमें शक्कर के कारखाने से उचित मूल्य पर शीरा ले जाया जा सके, आसवनियों की आवश्यकता;

(२) उक्त क्षेत्र के भीतर औद्योगिक विकास के अन्य प्रयोजनों के लिये आवश्यकता; और

(३) क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की उपलभ्यता ।

(३) नियंत्रक, उपधारा (१) के अधीन आज्ञा में, किसी भूल या लोप को ठीक करने के लिये या उपधारा (२) के खंड (ख) में उल्लिखित कारणों में से किसी में बाद में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न अपेक्षा की पूर्ति के लिये, ऐसे परिष्कार कर सकता है, जो आवश्यक हों ।

अपील

९—(१) धारा ८ की उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा से सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को नियत रीति से अपील कर सकता है और राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार की आज्ञा अन्तिम होगी ।

शीरे के अधिकतम मूल्य

१०—(१) शक्कर के कारखाने का अध्यासी ऐसे शीरे को, जिसके सम्बन्ध में धारा ८ के अधीन आज्ञा दी गयी हो, उस मूल्य पर बेचेगा जो अनुसूची में नियत मूल्य से अधिक न हो ।

(२) यदि शीरे के संग्रहण व्यय में या उसे टंकी वैगनों में भरने या उसके पार्श्वायन (Shunting) के व्यय में किसी परिवर्तन के कारण या शीरे के मूल्यों को भारत सरकार द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों (यदि कोई हों) के अनुरूप करने के लिये अनुसूची में किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसा संशोधन कर सकती है ।

स्पष्टीकरण--रेलवे टंकी वैगनों, टैंक लारियों या अन्य पात्रों में भरने में होने वाले सभी आनुषंगिक व्यय और रेलवे टंकी वैगनों के पार्श्वायन व्यय (Shunting charges) भी मूल्य में सम्मिलित है।

श्री उग्रसेन--

मैं आपको दिखा सकता हूं कि माननीय खेर साहब इस कुर्सी पर सुशोभित थे तो हमने ऐन वक्त पर संशोधन दिये थे और उन्होंने उनको स्वीकार किया था। हमें संशोधन देने का अधिकार है और आपको भी अधिकार है कि आप उनको स्वीकार करें या रिजेक्ट कर दें। आपने मंत्री जी से पूछ लिया और उन्होंने मना कर दिया। इसलिये आपने रिजेक्ट कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसी बात नहीं है। दूसरे पक्ष को तैयार करना है। अगर उसको एतराज है तो मुश्किल हो जायगी।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, बी० एस-सी० (ए० जी०) का इम्तहान नहीं है। आपको क्या चिन्ता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी का हक है। मैं कायदे के खिलाफ कैसे मान लूं।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, जिस हल्के तरीके से मंत्री जी ने विरोध किया उसके माने यह हैं कि वह हमको मौका देना चाहते थे और माननीय कृष्णानन्द राय जी तो मजाक करके चले गये। हमारे यह सुझाव हैं कि अपमिश्रित शीरे का संग्रहण गवर्नमेंट खुद करें। दूसरा यह कि प्रति क्विंटल एक रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करने के बाद शीरे का मूल्य देकर उठाया जा सके। तीसरा सुझाव यह है कि मिश्रित शीरे को ट्रेड के लिये व्यापारियों को दिया जाय। इसमें श्रीमन्, जनतंत्रीय सरकार का ही लाभ है। हमारे लोग शीरे का नाम चाट-चाट कर मर रहे हैं। आप के बगल में हाथरस है वहां के लोग क्या कहेंगे ? हम नहीं चाहते हैं कि हमारा नाम अखबारों में छपे। हमारे सुझावों को मंत्री जी मान लें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ से लेकर १० तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

उपबन्धों का उल्लंघन

११--(१) जो व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं या जारी किये गये निदेशों का उलंघन करे अथवा किसी ऐसे मामले के बारे में, जिसके सम्बन्ध में उससे इस अधिनियम या नियमों, आज्ञाओं या निदेशों के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की गयी हो, जानबूझ कर कोई मिथ्या विवरण दे या मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करे वह सिद्ध दोष पाये जाने पर दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थ दंड से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों से दंडनीय होगा और, निरन्तर उल्लंघन होते रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ दंड से दंडनीय होगा जो इस प्रकार प्रथम सिद्ध दोष पाये जाने के पश्चात् के प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें ऐसा उल्लंघन जारी रहे, एक सौ रुपये तक हो सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन दंडनीय अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि कोई ऐसा शीरा, जिसके विषय में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि उसके सम्बन्ध में अपराध किया गया है, राज्य सरकार के हक में जब्त कर लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड--१२

कम्पनियों अपराध द्वारा

१२--(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति भी जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, अपराध करने का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दंड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दंड का भागी न होगा जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्ध-अभिकर्त्ता, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ अथवा यह कि अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ तो वह निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्ध-अभिकर्त्ता, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए--

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है, और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड१२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १३-१५

अपराध संज्ञान

१३--(१) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान (congnizance) तब तक न करेगा, जब तक कि आबकारी निरीक्षक या उससे उच्च श्रेणी का आबकारी अधिकारी लिखित रूप में उस अपराध के संघटक तथ्यों की सूचना न दे ।

(२) कोई भी न्यायालय, जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार न करेगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अर्थ में संज्ञेय और जमानत योग्य (cognizable and bailable) होगा। ऐक्ट संख्या ५, १८९८

प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण का अधिकार

१४—(१) कोई पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक (सब-इन्सपेक्टर) से निम्न श्रेणी का न हो या उप-निरीक्षक (आबकारी) की या उससे उच्च श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी—

(क) किसी समय किसी भू-गृहादि में, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई ऐसा शीरा, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया गया है या किया जाने वाला है, रखा या छिपाया गया है, प्रवेश कर सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है;

(ख) ऐसे शीरे या किसी बक्स, पैकेट, पात्र, बंडल या आच्छादन का जिसमें ऐसा शीरा हो और ऐसे शीरे के व्यापार से संबंधित किन्हीं पुस्तिकाओं, लेखों, लेख्यों या विवरण-पत्रों का अभिग्रहण कर सकता है; और

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, निरुद्ध कर सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(२) इस धारा के अधीन ली गयी सभी तलाशियां कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के उपबन्धों के अनुसार होंगी। ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(३) कोई पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक से निम्नश्रेणी का न हो या आबकारी निरीक्षक की या उससे उच्च श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी किसी ऐसे अपराध का अनुसंधान कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हो और जो ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किया गया हो जिसमें उक्त अधिकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो।

(४) कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अनुसंधान के संबंध में उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग थाने का प्रभारी अधिकारी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अध्याय १४ के उपबन्धों के अधीन संज्ञेय अपराध के संबंध में कर सकता है। ऐक्ट संख्या ५, १८९८

अभिग्रहण की सूचना देना

१५—(१) धारा १४ के अधीन अभिगृहीत किसी शीरे या किन्हीं वस्तुओं के बारे में सूचना, ऐसे अभिग्रहण के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र क्षेत्राधिकारयुक्त मैजिस्ट्रेट को दी जायगी, जो ऐसी जांच (यदि कोई हो), जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् उनकी अभिरक्षा के लिये ऐसे निदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

(२) यदि ऐसे अभिग्रहण के दिनांक से छः मास के भीतर कोई अभियोग न चलाया जाय, तो मैजिस्ट्रेट उस शीरे या उन वस्तुओं को उन व्यक्तियों के हक में, जिनसे अभिगृहीत की गयी थीं, छोड़ने की आज्ञा दे सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १३, १४ और १५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६–२२

अपराधों के संबंध में समझौता करने का अधिकार

१६––नियंत्रक किसी व्यक्ति से, जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किये जाने का युक्तियुक्त संदेह हो, ऐसे किये गये अपराध के लिये समझौते के रूप में पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकता है और ऐसी प्रत्येक दशा में, जब इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिगृहीत की गयी हो, नियंत्रक द्वारा अनुमानित उसके मूल्य का भुगतान किये जाने पर उस सम्पत्ति को छोड़ सकता है। नियंत्रक को, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या मूल्य अथवा दोनों का भुगतान किये जाने पर अभियुक्त को, यदि वह हिरासत में हो, उन्मुक्त कर दिया जायगा और अभिगृहीत सम्पत्ति छोड़ दी जायगी और उस व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही न की जायगी।

लेखे रखना और विवरणियां प्रस्तुत करना आदि

१७––प्रत्येक शक्कर कारखाने का अध्यासी और ऐसा व्यक्ति जिसे उक्त अध्यासी द्वारा शीरा सम्भरित किया जाय इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह––

(क) ऐसे रजिस्टर, अभिलेख, लेख उपकरण और प्रतिकर्मी द्रव्य (reagents) रखे जो नियत किये जायें;

(ख) शीरे के उत्पादन और निस्तारण के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों को और उन दिनांकों तक, ऐसी रीति से वे सभी ऐसी सूचनाएं दे और विवरणियां प्रस्तुत करे जो नियन्त्रक आज्ञा द्वारा नियत करे;

(ग) आबकारी अधिकारी द्वारा, जो उप निरीक्षक (आबकारी) से निम्न श्रेणी का न हो, मांग किये जाने पर ऐसे रजिस्टर, अभिलेख, लेख्य, उपकरण तथा रासायनिक प्रतिकर्मी द्रव्य प्रस्तुत करे, जिन्हें रखने की अपेक्षा उससे अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के उपबन्धों के अधीन की गयी हो।

कारखानों में तैनात निरीक्षकों के लिए आवास

१८––शक्कर के प्रत्येक कारखाने का अध्यासी, इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों, दी गयी आज्ञाओं तथा जारी किये गये निदेशों के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियंत्रक द्वारा शक्कर के कारखाने में तैनात किये गये आबकारी अधिकारी के लिए शक्कर के कारखाने की प्रसीमाओं के भीतर, ऐसे किराये का भुगतान करने पर और ऐसी शर्तों पर, जो नियत की जायें, आवास-स्थान की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होगा।

अधिकारों का प्रतिनिधान

१९––नियन्त्रक, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, यह निदेश दे सकता है कि धारा ८ को छोड़ कर, इस अधिनियम के या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई अधिकार ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन (यदि कोई हों), जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायें, उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोज्य होगा।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण

२०––इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार या किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

आज्ञाओं की तामील

२१––(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दी गयी आज्ञा:––

(क) उस दशा में जब वह सामान्य प्रकार की या व्यक्तियों के वर्ग को प्रभावित करने वाली आज्ञा हो, गजट में विज्ञप्ति की जायेगी; और

(ख) उस दशा में जब वह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, उस व्यक्ति पर निम्नलिखित प्रकार से तामील की जायगी—

(१) डाक प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा या उसे उक्त व्यक्ति को देकर या उसके समक्ष प्रस्तुत करके; या

(२) यदि यह इस प्रकार से दी या प्रस्तुत की न जा सकती हो तो, उसे भूगृहादि के जिसमें वह व्यक्ति रहता हो वाह्य द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपका कर, और उसकी इस प्रकार की तामील का एक विवरण तैयार करके जिस पर उस स्थान पर रहने वाले दो व्यक्तियों का साक्ष्य हो।

नियम बनाने का अधिकार

२२—(१) राज्य सरकार गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) परामर्श समिति का संघटन, उसके सदस्य चुने जाने की रीति, उनका कार्यकाल, उन्हें देय भत्ते, यदि कोई हों, रीति जिसके अनुसार परामर्श समिति अपना परामर्श देगी और उसके कार्य-संचालन की प्रक्रिया ;

(ख) परामर्श समिति के सदस्यों को हटाने से संबंधित प्रक्रिया ;

(ग) शक्कर के कारखानों द्वारा शीरे के संरक्षण और उसके संग्रहण से संबंधित शर्तें ;

(घ) शीरे के श्रेणीकरण और नमूने लेने के सम्बन्ध में विशिष्टयां और परीक्षण, जिसमें उसकी मात्रा तथा गुण की जांच भी सम्मिलित है;

(ङ) शीरे की बिक्री और उसके सम्भरण की रीति;

(च) राज्य सरकार को अपील का आकार और अपील करने की रीति तथा उसके निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(छ) अपराधों में समझौता करने की प्रक्रिया ;

(ज) शक्कर के कारखानों के अध्यासियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर, अभिलेख, लेखे, उपकरण तथा प्रतिकर्मी द्रव्य ;

(झ) किराया और शर्तें, जिन पर शक्कर के कारखाने की प्रसीमाओं के भीतर आबकारी अधिकारी के लिए आवास की व्यवस्था की जायगी;

(ञ) शीरे के उत्पादन, वितरण और उपयोग के सम्बन्ध में सूचना या आंकड़े एकत्र करना;

(ट) इस अधिनियम के अधीन जब्त किये गये शीरे और वस्तुओं का निस्तारण; तथा

(ठ) कोई अन्य विषय जो नियत किये जाने हों या नियत किये जा सकें।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, वे गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे

परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान-मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १६ से लेकर २२ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २३ तथा अनुसूची

२३--यूनाइटेड प्राविसेंज मोलासेज (कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ निरस्त किया जाता है । यू० पी० ऐक्ट संख्या २३, १९४७ का निरसन

अनुसूची
(धारा १० देखिये)

श्रेणी	शीरे में शक्कर की कुल मात्रा प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त)	बढ़ाने के तथा पार्श्वायन के व्यय सहित प्रति क्विंटल शीरे का अधिकतम मूल्य
प्रथम ..	५० प्रतिशत तथा उसके ऊपर ..	६७ नये पैसे ।
द्वितीय ..	४७ प्रतिशत से ४९.९९ प्रतिशत तक	५९ नये पैसे ।
तृतीय ..	४४ प्रतिशत से ४६.९९ प्रतिशत तक	५१ नये पैसे ।
चतुर्थ .	४० प्रतिशत से ४३.९९ प्रतिशत तक	४३ नये पैसे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों द्वारा उत्पादित शीरे के संग्रहण, सम्भरण, श्रेणीकरण और मूल्य-नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

देश के औद्योगिक विकास के हित में, शीरे का संरक्षण और आसवनियों को तथा औद्योगिक विकास के प्रयोजनों के लिए इसकी अपेक्षा करने वाले अन्य व्यक्तियों को उचित मूल्यों पर इसका साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों द्वारा उत्पादित शीरे के संग्रहण, सम्भरण श्रेणीकरण और मूल्य-नियंत्रण की व्यवस्था की जाये :

अतएव भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, १९६४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। और प्रसार

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दाऊदयाल खन्ना--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं और इसके संबंध में मैं केवल एक मिनट ही लूंगा। हमने और हमारे साथियों ने जो कुछ उचित समझते थे सुझाव दिये और मंत्री जी ने उसके लिये कोई स्पष्ट आश्वासन भी नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इधर और उधर के बहुत से सदस्य इस मत के हैं क्योंकि नरसिंहनारायण पांडेय को शिर हिलाते हुये देख रहा हूं, भले ही वह उधर बैठ गये हों यह तो विधि की बिडम्बना है, लेकिन वह भी हमारे मत के हैं कि इसमें कुछ खामियां रह गयी हैं। यह विधेयक महत्वपूर्ण है और यह तो है नहीं कि जैसे बिक्री-कर वगैरह अन्य विधेयकों में १७-१७ संशोधन सरकार लायी है इसमें भी कोई रिट हाईकोर्ट में महीने दो महीने में फिर हो जायगा और वह इसमें दूसरा अमेंडमेंट लायेगी, इसलिये मैं इस राय का हूं कि यह विधेयक बहुत व्यापक होना चाहिये था।

माननीय मंत्री जी हमें भुलावे में डालना चाहते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम सोशलिस्ट ह। हम कभी यह नहीं कर सकते कि पब्लिक सेक्टर में जो कल कारखाने हैं उनको यह शीरा न जाये। हमारी बहुत दिनों से यह मांग है और रामायण राय और नरसिंह नारायण पांडेय सभी चाहते हैं कि जितनी चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में आज हैं उनको मुर्दघट्टों पर पहुंचा देना चाहिये। मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मण तो खोज लाऊंगा, लेकिन मैं यह जानता हूं कि जितनी चीनी मिलें हैं वह इस काबिल हो गयी हैं कि स्क्रैप हो कर बाजार में बिक जायं। ये शोषण की मशीनें हो गयी हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश के गरीबों का कचूमर निकाल दिया है। इनके कुत्ते आज डेढ़ सौ दो सौ रुपया रोज खर्च कराते हैं, हलुवा पूरी खाते हैं और किसानों को खाने को अन्न नहीं मिलता। हम विधायकों की तनख्वाह दो सौ से तीन सौ हो गयी तो बड़ी चिल्लाहट मची, लेकिन इनके कुत्ते दो सौ तीन सौ रुपया महीना व्यय करते हैं। हमारे यहां के मिल मालिक दुनिया भर की खाक छानते हैं, मजे उड़ाते हैं। मुझे मालूम है कि देवरिया में मिल मालिक दुनिया में मजे उड़ाते घूमते हैं, कभी देवरिया आ जाते हैं अपना इन्तजाम देखने के लिये।

शीरा जहां से निकलता है वहां उत्पादन होता है। यह तो बीच की प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री है। दो तरह के कारखाने हैं। एक तो मुख्य वस्तुओं का कारखाना जैसे गन्ने का कारखाना, रुई का कारखाना और दूसरी उनकी सपोर्टिंग यानी बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री है। तो शीरा एक बाई प्रोडक्ट है। वह चीनी का बाई प्रोडक्ट है। मंत्री जी भी सोशलिस्ट हैं। वह शीरा की इंडस्ट्री को भी पब्लिक सेक्टर में लावें, लेकिन मैं जानता हूं कि शीरे पर नियंत्रण यह सरकार इसलिये भी नहीं कर पा रही है कि जो चीनी वाले मिल मालिक हैं वह प्राइवेट सेक्टर के हैं और यह पब्लिक सेक्टर की शीरे की इंडस्ट्री है। सच बात तो यह है कि जब तक चीनी मिलें पब्लिक सेक्टर में नहीं हो जावेंगी तब तक यह सरकार निष्फल अपने प्रयास में रहेगी और

[श्री उग्रसेन]

सरकार सिन्थेटिक रबर को अलकोहल नहीं दे सकेगी क्योंकि दुनिया के कैपिटलिस्ट लोगों के इतिहास को ज्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ा है और इसलिये थोड़ा मंत्री जी पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रोंगटा जो बहजोरिया जी को परमिट दिलायेंगे अगर उनका वश चलेगा, नारंग, खेतान पडरौना का अपने रिश्तेदार को देगा घुरहू को नहीं देगा, मैं असेम्बली में सवाल दूंगा कि कितने ऐसे परमिट हैं जो मिल मालिकों के पास हैं और कितने हम जैसे लोगों के पास हैं। इस ओर मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी समय तो साढ़े चार बजे तक का है। तो थोड़ा मौका दीजिये। जरा गौर फरमायें माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य भी, धारा ७ निकाल लें---उसमें ७ (१) इस प्रकार है---"नियंत्रक, शुद्ध शीरे का समुचित संग्रहण और संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शक्कर के कारखाने के अध्यासी से कारखाने के भू-गृहादि से किसी अपमिश्रित शीरे को, नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली उचित अवधि के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकता है"..। इसमें होता क्या है कि इनके अफसरान कह देते हैं कि जल्दी खाली करो और नहीं तो रिलीज कर देते हैं। तो रांगों जी, जांगो जी जायेंगे तो तब तो कह देंगे कि रिलीज्ड और घुरहू जायंगे तो कह देंगे कि भाई बड़ा गड़बड़ है, एक्साइज कमिश्नर बड़ा सख्त है, मिनिस्टर बड़ा सख्त है। इसलिए यह जो 'अपेक्षा करता है' लिखा है इसको मंत्री जी, अगर आप पब्लिक सेक्टर के हामी हैं तो इसको हटाइए और मान लीजिये कि यह सब पब्लिक सेक्टर में जाय। यह चीनी जो है इस का जन जीवन से बड़ा सम्बन्ध है, जन जीवन इस पर आधारित है, इसको पब्लिक सेक्टर में आप लाइए अगर आप सचमुच में समाजवादी बनना चाहते हैं। तीन-तीन समाजवाद आपके देखे। भुवनेश्वर का समाजवाद, अबाडी का समाजवाद और जयपुर का समाजवाद। अबाडी के समाजवाद और जयपुर के समाजवाद में तो फिर भी कुछ गनीमत थी, लेकिन भुवनेश्र ने तो सब पर पानी फेर दिया, बिलकुल बंटाधार कर दिया। कहा, हम चीनी मिलें नहीं लेंगे, कपड़ा मिलें नहीं लेंगे, लोहे के, सीमेंट के कारखाने नहीं लेंगे, बर्मा शेल और वैक्युअम कालटेक्स वगैरह को नहीं लेंगे। लेगें क्या? धनकुट्टी की मशीनों का राष्ट्रीयकरण करेंगे।

गोविन्द सहाय जी का एक स्कूल चलता है समाजवाद का और एक मेरा भी चलता है। पहले आप गोविन्द सहाय जी के स्कूल में समाजवाद पढ़ लें। क्या यह धनकुट्टी की मशीनें लेने से आप भुवनेश्वर का समाजवाद कायम कर लेंगे? आप यह सब प्रबन्ध अपने हाथ में लें और उस प्रबन्ध से जो कुछ बचे उसका उपयोग ग्रामीण उद्योगधंधों में करें जिसकी चर्चा बापू किया करते थे और जिसके लिए सर्वोदय का कार्यक्रम रखा था। इसमें दो रायें नहीं हैं, मंत्री जी स्वयं जानते हैं, बरेली में भी, मुरादाबाद में भी यह उद्योग हैं और आप हमारे साथ चलिये हर रेलवे स्टेशनों पर पूर्वी जिलों में जहां शीरे के टिन पड़े रहते हैं, वहां आपको वस्तुस्थिति का बोध हो जायेगा। यही मैं कहना चाहता था। मंत्री जी के दिमाग में यह बात न रहे कि हम प्राइवेट सेक्टर के हामी हैं। हम सब पब्लिक सेक्टर के हामी हैं। पब्लिक सेक्टर में इसका प्रबन्ध करें और शीरा जो अच्छा निकले वह सिन्थेटिक रबर फैक्टरी जो बरेली की है उसको दें। बी० आर० मोहन जो गोमती का शुद्ध पानी डायर मेकिन में पिलाते हैं उनको क्यों आपने छूट दे रखी है? एक दिन गुप्ता जी से किसी ने कहा कि बी० आर० मोहन बड़ा चन्दा देते हैं, तो गुप्ता जी ने कहा कि गोमती का पानी ही तो मिलाते हैं, क्या बेजा करते हैं। तो उनको तो आपने छोड़ दिया कि त्रिपुरा में, मणिपुर में गोमती का पानी पिलावें। उसको लेने की हिम्मत नहीं है क्योंकि फिर चन्दा कौन देगा? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमारे जो ठोस सुझाव हैं उनको आप मानें। चाहे हमारे संशोधन आपने रिजेक्ट कर दिये हों तो भी अल्ला मियां अगर कहीं हों तो आपका भला करें और मान लिये हों, तब भी भला करें।

श्री दाऊदयाल खन्ना---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी तफसील के साथ अर्ज कर चुका हूं। एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं। माननीय उग्रसेन ने फरमाया रिजेक्टेड शीरा इस्तेमाल करते हैं मिल मालिकों के

रिश्तेदार। उन्हीं को वह मिलता है। तो हो सकता है, यह बात सही हो, क्योंकि परमिट तो दिया नहीं जाता है। जो रिलीज हो जाता है उसको चाहे कोई बेचे। उसी को पाबन्द करने के लिये तो यह चीज है। अब हम उस शीरे को छोटा उद्योग चलाने वालों को दे सकेंगे। पहले नहीं दे सकते थे। उसी का तो अधिकार ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कौनियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३†

*शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कौनियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय। आंख के महत्व के विषय में मुझे विशेष नहीं कहना है। हम सब लोग यदि कोई अन्धा हो जाय, तो उसके कष्ट को अच्छी तरह से जानते हैं और अनुमान कर सकते हैं। आज हमारे प्रदेश में काफी बड़ी संख्या अंधों की है और उसमें भी एक बड़ी प्रतिशत लगभग आधी ऐसी है जो कौनिया में शिकायत हो जाने के कारण आज दृष्टि से वंचित है। ऐसे व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान ने प्रगति करके अब यह संभव कर दिया है कि कौनिया बदल दी जायं और ऐसे लोगों को फिर से दृष्टि प्राप्त हो जाय। इसीलिये आपके सन्मुख यह विधेयक लाकर यह अधिकार प्राप्त किया गया है कि जो कौनिया आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है वह आसानी से प्राप्त होने पर अन्धे मनुष्यों को दृष्टि देने के लिये उपलब्ध हो जाय। कौनिया ऐसी वस्तु है जो जीवित मनुष्य के अन्दर की चीज है। वह मनुष्य की मृत्यु हो जाने के २, ३ घंटे के बाद खराब हो जाती है। इसीलिये आज बड़ी दिक्कत होती है कि जिस समय मनुष्य की मृत्यु हो जाय उसके बाद कैसे कौनिया प्राप्त की जाय और कोई बन्धन भी न हो और कौनिया मिल जाय जिससे वह इस्तेमाल की जा सके यानी कौनिया २ घंटे के अन्दर निकाल ली जाय तो वह २, ३ रोज तक रखी जा सकती है और फिर उसको इस्तेमाल कर ली जाय। अभी तक होता यह है कि जो लोग बाहर से इस कार्य को सीखकर आये, जब वह अपने मुल्क में किसी के कौनिया ग्राफ्टिंग करना चाहते थे तो उनको बहुधा बाहर के मुल्कों से मंगाना पड़ता था तब यहां लगाई जाती थीं। अथवा अभी तक ऐसा भी होता था कि जो जानने वाले लोग थे, बहुत से मेडिकल प्रोफेशन के लोग या बाहर घूमे हुये लोग वे अपनी मृत्यु के बाद वह वसीयत कर देते थे कि हमारी कौनिया दे दी जाय।

आज इस विधेयक के द्वारा बहुत से ऐसे व्यक्ति जो हमारे अस्पतालों के अन्दर रहते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है, समाज जिनका वारिस है, आज उन व्यक्तियों का हम कौनिया प्राप्त कर सकेंगे और हममें से कोई व्यक्ति यदि अपनी कौनिया देना चाहे तो उनसे भी डाक्टर कौनिया ले सकेंगे। इसमें बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इस पर काफी विचार हो चका है। संयुक्त प्रवर समिति इस पर विचार कर चुकी है। परिषद् में इस पर विचार हुआ। यह ऐसा कदम है जिसके द्वारा हम थोड़ी बहुत सेवा कर सकेंगे उन अन्धों की जिनको दृष्टि लाभ होगा और वे फिर दृष्टि प्राप्त कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि सदन इसकी स्वीकृति प्रदान करेगा।

*श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने रखा है कौनियल ग्राफ्टिंग का यह बहुत इन्नोसेंट विधेयक है और माननीय मंत्री जी ने भी इसको बहुत मासूमियत के साथ सदन के सामने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† १४ अप्रैल, १९६४ को कार्यवाही में छपा है।

[श्री अवधेशकुमार सिनहा]

रखा है । जो विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट है उससे मुझे ऐसा मालूम होता है कि एक नेत्र विहीन व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति की आंख मृत्यु होने के कुछ समय के अन्दर निकाल ली जाय, तो उसको रोशनी मिल सकेगी । यह बहुत सुन्दर बिल है । परन्तु शंका इस बात की होती है कि यह होगा कैसे ? केवल कानून बना देने से यह नहीं होगा । कानून का जिस प्रकार दुरुपयोग होता है वह हर व्यक्ति जानता है । इस विधेयक का संबंध हिन्दू धर्म से, समाज से और उसकी संस्कृति से है । जैसा मंत्री जी ने कहा कि मृतक के शरीर से अगर दो, तीन घंटे के अन्दर नेत्र निकाल लिये जायं तो उनकी ज्योति बनी रहती है, लेकिन हिन्दू धर्म में अगर कोई व्यक्ति अपनी वसीयत भी कर दे तो मरने के बाद उसके शरीर पर उसके पुत्र का अधिकार होता है । कैसे उसके नेत्र लिये जा सकेंगे ? मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन मंत्री जी से इतना जरूर जानना चाहूंगा कि वह नियम जिसका हमारी संस्कृति से संबंध है उसके लिये जब तक जनमत न बना लिया जाय तब तक खाली विधेयक पास कर देने से उसका मंशा पूरा होगा नहीं । आप देखें कि लाश पर झगड़े होते हैं । बुद्ध, कबीर आदि की लाश पर झगड़े हुये तो यहां पर कौन आपको आंख निकालने देगा ? अगर कानून के जरिये आंख निकालने की बात हुई तो संभव है कि सर्जन महोदय से भी झगड़ा हो जाय । बड़े आदमी जबर्दस्ती भी करना चाहेंगे, वे अपनी आंख के लिये गरीब आदमी को मरवा भी सकते हैं, तो इतना होते हुये भी मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन जो मेरी शंकायें हैं कि इस पर क्या जनमत तैयार किया गया है इस पर मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करें ।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, सदन के समक्ष माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़े ही पुनीत उद्देश्य से एक बड़े महत्व का बिल रखा है । इस बिल के पास हो जाने के बाद जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, लगभग ७५ प्रतिशत ऐसे रोगी जो कौनिया में किसी गड़बड़ी के कारण अंधे हो चुके हैं, अच्छे किये जा सकेंगे । जहां तक इस विधेयक की प्रकृति का संबंध है, यह एक सोशल लेजिस्लेशन है । एक सामाजिक बिल होने के नाते आप स्वयं देखें कि जिस व्यक्ति से आंख ली जायगी उसकी अपनी इच्छा, उसके उत्तराधिकारियों की इच्छा पर ही इस बात को छोड़ दिया गया है कि वह चाहें तो अपनी आंख दें या न दें । इसमें बहुत जोर नहीं दिया गया है । यह लिखा है कि :--

"यदि किसी व्यक्ति ने लिखित रूप में किसी समय अथवा मौखिक रूप में अपनी अन्तिम बीमारी के दौरान में दो या अधिक गवाहों के सामने यह इच्छा व्यक्त की हो कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके नेत्रों का उपयोग चिकित्सकीय या अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये किया जाय तो वह व्यक्ति जिसके कब्जे में, वैधतः उसका शव हो, उक्त प्रयोजनों के लिये शव से नेत्रों को निकालने का प्राधिकार दे सकता है, जब तक कि उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि उक्त प्रार्थना बाद में वापस ले ली गयी थी ।"

अतः मान्यवर मृत व्यक्तियों की आंखों के निकाले जाने के संबंध में जो इस विधेयक में व्यवस्था की गई है उसमें कम्प्लीकेशन नहीं है । जानबूझकर डाक्टर साहब अपने विचार व्यक्त कर रहे थे । तथा सचमुच उन्होंने जो शंका व्यक्त की थी वह अपनी जगह पर महत्व की शंका है । डाक्टर साहब स्वयं देखेंगे कि इस बिल में कोई वैधता नहीं है । यह बिल हमारी शैल्य चिकित्सा के इतिहास में एक नये इतिहास का सृजन करता है । इसलिये मैं आपके माध्यम से डाक्टर साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण बिल है । उन्होंने स्वयं भी अभी यह कहा कि यह एक बहुत ही मासूम, और पवित्र बिल है । तो यह एक ऐसा बिल जो कि अन्धों को आंख देने जा रहा है, इस बिल के संबंध में वे अपनी शंका का निराकरण कर, मुझे आशा है, मेरा सहयोग करेंगे ताकि यह बिल जितना जल्दी हो सके, पास हो सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे साथी श्री रामायणराय जी ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा बिल है। इस बिल को लाने का मन्शा यह है कि कौर्निया हासिल किया जा सके। इस वक्त तक पोजीशन यह थी कि माता, चेचक आदि की बीमारियों से आंख खराब हो जाती थी और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इसके अलावा और कुछ बातों से आंख खराब हो जाती है। आजकल हमारी इन्डस्ट्रीज के अन्दर काम करने वालों की भी आंखें खराब हो जाती हैं जहां पर कि आक्सीजन से टांका लगाया जाता है और जिससे कि चमकदार चिनगारी निकलती रहती है। इससे कौर्निया चला जाता है। इसके अलावा जो ढलाई का काम है वहां पर काम करने वालों की आंखें खराब हो जाती हैं। उन सबका इलाज इस तरीके से हो सकता है कि किसी भी आदमी को, जिसको मरे हुये ४ घंटे से ज्यादा न हुआ हो, उसका कौर्निया निकाल लिया जाय और जिसकी आंख खराब हो गई है, उसको आंख में लगा दिया जाय तो कुछ दिन में उसकी आंख बिलकुल ठीक हो जाती है। आज जब साइन्स ने हमें यह मौका दिया है कि ब्लड बैंक बना सकें तो इसी तरह से इस बिल के जरिये से एक आई बैंक बनाने की बात है। किन्तु आजकल कुछ लोग इसमें एतराज करते हैं। कुछ मजहबी बातें भी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जिसकी आंख मरने पर निकाल ली जाती है वह अगले जन्म में भी अन्धा पैदा होगा। अगर आप इस बिल को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें काम करने की बुनियाद लोगों को रजामन्द करना है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि लेशमात्र भी जबरदस्ती की जाय। अगर कोई व्यक्ति मरता है और उसकी लाश पर जिस व्यक्ति का अधिकार है, और वह कौर्निया निकालने में एतराज करता है, तो ऐसा नहीं किया जायेगा। यह इतना बड़ा परसुएबिल बिल है। ज्यों-ज्यों लोग देखेंगे कि आंखे देने से दूसरे अन्धे लोगों को आंखें मिल सकती है त्यों त्यों हमें कामयाबी मिलती जायेगी और इसका स्कोप वाइड होता चला जायेगा। आज हिन्दुस्तान के अन्दर इतने सर्जन भी नहीं हैं कि वे हर जगह ग्राफ्टिंग का काम कर सकें और हर जगह आंख निकाल सकें। इसलिये अभी यह आशा भी इस बिल से नहीं की जा सकती कि कोई बहुत बड़ी तादाद में हमें आंखें मिल जायेंगी। अभी इनको एक महदूद दायरे में ही रखा गया है। अस्पतालों में और जो भी लावारिस सड़कों पर लाश मिलेगी जिसको क्लेम करने वाला कोई नहीं होगा, उनकी कौर्निया को निकाला जा सकेगा। आज इतना ही इसका स्कोप है। इसके अन्दर यह भी है कि जो लावारिस लाश हो, अगर दो घंटे तक उसका क्लेम करने वाला कोई न हो तो डाक्टर को यह अधिकार होगा कि वह कौर्निया निकाल सके।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां आई० पी० सी० के सेक्शन २९७ के अन्तर्गत यह कानून है कि किसी भी आदमी की लाश को डिसफिगर नहीं किया जायेगा। अगर किसी डाक्टर ने किसी लावारिस लाश की कौर्निया निकाल लीं तो १० आदमी खड़े होकर डाक्टर से कह सकते हैं कि उसने २९७ के खिलाफ कार्यवाही की है और उसे कोतवाली में लेजाकर बन्द करा सकते हैं। मगर इस बिल में उस सेक्शन का ध्यान रखते हुये उससे बचने के लिये प्रोटेक्शन दिया गया है।

अगर इस बिल को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आयेगी जो रह गयी हो। इसमें तो यहां तक है कि कन्सेन्ट देने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति यह कहेगा कि हम उसकी कौर्निया नहीं लेने देंगे, तो उसकी कौर्निया नहीं निकाली जायेगी। इस समय इस बिल का मंशा ही केवल यह है कि इसका जनता में अधिक से अधिक प्रचार हो और लोग वालियन्ट्रीली इसको दें। जिस तरह से ब्लड बैंक हमारे यहां चल रहा है उसी तरह से एक आई बैंक की भी स्थापना की जा सके। इस तरह से हम जिनकी आंखे खो गयी हैं, उनको दोबारा आंखें दे सकेंगे। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, इसमें किसी भी लावारिस लाश के लिये जो दो घंटे का समय मांगा गया है वह मेरी समझ में नहीं आया कि उसकी क्या जरूरत है, क्यों आप दो घंटे का समय देना चाहते हैं। इसको

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

स्पष्ट कर दीजिये कि अगर वह लावारिस है तो फिर दो घंटे इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं है ।

*डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, जैसा कि अभी डाक्टर जय गोपाल जी और रामायण राय जी ने फरमाया वास्तव में यह एक सोशल लेजिस्लेशन की ओर पहला कदम है । जनमत बनाना इसका मुख्य काम है और इसमें हम और आप बहुत सहायक हो सकते हैं जिनका जनता के साथ संपर्क है । हम उसके बारे में प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रचार तो इसका तब होगा जब कोई कौनिया ग्राफ्टेड मरीज जनता के सामने जाकर यह बता सकेगा कि वह अन्धा हो गया था और उसकी वह बीमारी दूर होने के कारण वह कौनिया ग्राफ्टिंग है । अब वह देख सकता है । यह चीज उस दूसरे ही व्यक्ति से मिल सकती है जिसका जीवन समाप्त हो गया है । इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिये, किसी किस्म की जोर-जबरदस्ती नहीं है । यहां तक इसमें रखा गया है कि अगर कोई लिख कर भी दे दे, लेकिन उसके वारिस कहें कि हम नहीं देंगे तो नहीं ली जायगी । इसके अलावा वारिसों की लिस्ट जो रखी गयी है वह भी बहुत लम्बी रखी गयी है । विधेयक में इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में मर जाय तो उसकी आंख तुरन्त निकाल ली जाय, न इसमें इस प्रकार की कोई बात है कि कोई आदमी जहर खा कर मर गया है और जिसका पोस्ट मार्टम होना है उसकी आंख निकाली जायगी । यह तो उन व्यक्तियों की आंखें ली जायंगी जो अपनी रजामन्दी से देना चाहें या जिनका कोई पूछने वाला न हो, कोई वारिस न हो । अस्पताल में रोगी रहते हैं, डाक्टर यह जानता है कि इतने दिनों से यह मरीज यहां रह रहा था, लेकिन कोई भी इसको पूछने वाला या देखने वाला नहीं आया उसको लावारिस माना जायगा ।

जहां तक समय की बात है । समय बढ़ा देने से सब आशय जो इस बिल से है वही नष्ट हो जायगा । हमने इसको चाहा था कि समय बढ़ जाय, लेकिन डाक्टर जय गोपाल, डाक्टर मेहरा और डाक्टर गैरोला, जिन्होंने इस बिल को बनाने में बड़ी सहायता दी, उन्होंने यही निश्चय किया कि दो घंटे से अधिक का समय नहीं होना चाहिये । उस समय के बाद वह नष्ट हो जाती है तथा उसके बारे में बहुत-सी बातों को जाना जा सकता है । अगर किसी का कोई लड़का भी है, लेकिन अगर वह उसको देखने के लिये हफ्तों नहीं जाता है तो वह लावारिस तो हो ही गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, इस हाउस का समय आधा घंटा ही रह गया है प्रदेश के ४-५ हजार शिक्षक कौंसिल हाउस के सामने आये हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगें राष्ट्रीयकरण और मंहगाई को बढ़ाने की है, समान काम के लिये समान वेतन वह चाहते हैं । हम लोगों के गुरुजन उनमें हैं । इसमें लाखों विद्यार्थियों और अध्यापकों का प्रश्न है । आधा घंटा उसके लिये दे दें । मंत्री जी का शिक्षा संस्थाओं से भी संबंध है ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले इस बिल को तो पास हो जाने दीजिये । यह बिल पास हो जाने के बाद कोई काम नहीं है । आप बैठें ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि इस समय इस संबंध में बहुत कहने की कोई गुंजायश नजर नहीं आ रही है । जो माननीय सदस्यों ने शंकायें की हैं, वे शंकायें भी इस वक्त उठती नहीं है । मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार का जोर नहीं है और यह मैं जरूर कहूंगा कि यह हमारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत ही कमजोर कानून है और अभी इसको हम कमजोर ही रखना चाहते हैं जब तक कि जनमत इसके पक्ष में न हो और कोई व्यक्ति सामने आकर कहने के लिये तैयार न हो। और मैं समझता हूं कि संसार में सब जगह इसी तरह के कानून व नियम हैं। इसीलिये हमारे साथी इसको स्वीकार करेंगे और इसको पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कौनियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २--७

२--जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-- परिभाषाएं

(१) "अनुमोदित संस्था" का तात्पर्य अस्पताल या ऐसी चिकित्सा शिक्षण संस्था या चिकित्सा अन्वेषण केन्द्र से है जिसे राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनुमोदित करे;

(२) मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में "निकट सम्बन्धी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका सम्बन्ध मृतक से पत्नी, पति, माता-पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन के रूप में हो या जो मृतक के स्वीय विधि के अनुसार उसका उत्तराधिकारी हो;

(३) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(४) "मान्यता प्राप्त" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, मान्यता प्राप्त से है;

(५) "निबद्ध चिकित्सक" का तात्पर्य यू० पी० मेडिकल ऐक्ट, १९१७ के उपबन्धों के अधीन निबद्ध चिकित्सक से है; और यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९१७

(६) "लावारिस शव" का तात्पर्य उस मृत व्यक्ति के शव से है जिसका कोई निकट सम्बन्धी न हो या जिसके शव के लिए दावा उसके किसी निकट सम्बन्धी द्वारा मृत्यु के दो घंटे के भीतर न किया गया हो।

मृत व्यक्ति के नेत्रों का निकाला जाना

३--(१) यदि किसी व्यक्ति ने लिखित रूप में किसी समय अथवा मौखिक रूप में अपनी अन्तिम बीमारी के दौरान में दो या अधिक गवाहों के सामने यह इच्छा व्यक्त की हो कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके नेत्रों का उपयोग चिकित्सकीय या अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये किया जाय तो वह व्यक्ति जिसके कब्जे में, वैधतः उसका शव हो, उक्त प्रयोजनों के लिए शव से नेत्रों को निकालने का प्राधिकार दे सकता है, जब तक कि उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि उक्त प्रार्थना बाद में वापस ले ली गयी थी।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह व्यक्ति जिसके कब्जे में बैधतः मृत व्यक्ति का शव हो, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये शव से नेत्रों को निकालने का प्राधिकार दे सकता है, जब तक उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि--

(क) मृतक ने अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने नेत्रों के इस प्रकार निकाले जाने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त की थी और उसने वह आपत्ति वापस नहीं ली थी, या

(ख) मृतक के किसी निकट सम्बन्धी ने मृतक के नेत्रों के इस प्रकार निकाले जाने पर आपत्ति की है ।

(३) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये मृतजात (still born) बच्चे के नेत्र उसके यथास्थिति, माता–पिता अथवा माता या पिता की सहमति से निकाले जा सकते हैं।

(४) किसी मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन दिया गया प्राधिकार शव से नेत्रों को निकालने और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा, किन्तु इस प्रकार नेत्र निकालने का कार्य, किसी अनुमोदित संस्था में काम करने वाले मान्यता प्राप्त निबद्ध चिकित्सक व्यवसायी द्वारा ही किया जायगा जिसने शव की व्यक्तिगत परीक्षा कर के अपना यह समाधान कर लिया हो कि वह निष्प्राण हो गया है ।

प्राधिकार कब नहीं दिया जायगा

४––धारा ३ के अधीन नेत्रों को निकालने का प्राधिकार न दिया जायगा :––

(क) यदि ऐसा प्राधिकार देने के लिए अधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि तत्समय प्रचलित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार शव का मरणान्वेषण (inquest) किया जा सकता है;

(ख) उस व्यक्ति द्वारा, जिसे अन्य व्यक्ति ने मृत व्यक्ति के शव को केवल उसे गाड़ने (interment) या उसका दाहकर्म करने के प्रयोजन के लिए सौंपा हो ।

लावारिस शव के संबंध में प्राधिकार

५––अनुमोदित संस्था में पड़े हुए लावारिस शव की दशा में इस अधिनियम के अधीन नेत्रों को निकालने का प्राधिकार उस व्यक्ति द्वारा जिसके नियंत्रण या प्रबंध में ऐसी संस्था हो, या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से दिया जा सकता है जो नियत की जाय ।

राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार

६––(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

अपवाद

७––(१) इस अधिनियम के उपर्युक्त उपबन्धों की कोई बात, मृत व्यक्ति के शव या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी ऐसी कार्यवाही को अवैध करने वाली न मानी जायगी जो वैध होती यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता ।

ऐक्ट ४५, १८६०

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नेत्रों को निकालने के लिये दिया गया कोई अधिकार, इंडियन पीनल कोड की धारा २९७ के उपबन्धों का उल्लंघन न समझा जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

चिकित्सकीय तथा अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए मृत व्यक्तियों के नेत्रों का उपयोग करने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारंभ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह अधिनियम तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

अब इस समय मुझे केवल उन साथियों को धन्यवाद देना है जिन्होंने इस विचार विमर्श में हिस्सा लिया और जिन्होंने इस विधेयक के निर्माण के समय ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में काय करके इसको पारित कराया।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
४ अगस्त, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३३ पर)

सर्वदलीय खाद्य समित के सदस्यों की सूची

१—मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
२—कृषि मंत्री	"
३—खाद्य मंत्री	"
४—श्री शारदा भक्त सिंह,	एम० एल० ए०
५—श्री बलवान सिंह	"
६—डा० ए० जे० फरीदी	एम० एल० सी०
७—श्री उग्रसेन	एम० एल० ए०
८—डा० जेड० ए० अहमद	"
९—श्री भानु प्रताप सिंह	"
१०—श्री भगवान सहाय	"
११—श्री फूल सिंह	"
१२—श्री गेंदा सिंह	"
१३—श्री नवलकिशोर	"
१४—श्री शिवराज सिंह	"
१५—कृषि उत्पादन आयुक्त	"
१६—वित्त सचिव	समिति के सचिव
१७—मुख्य सचिव	समिति के संयुक्त सचिव
१८—खाद्य सचिव	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३८ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६४ के दूसरे मंगलवार के लिये श्री जगन्नाथ राव के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में उल्लिखित सूची

जौनपुर जिले के रामनगर, रामपुर, मड़ियाहूं, बरसठी विकास क्षेत्रों में जहां जहां नलकूप लगे हैं उन ग्रामों के नाम निम्नांकित हैं :—

रामनगर ब्लाक—

१—जमालपुर, २—रायपुर, ३—औरा, ४—गहलाई, ५—कसियांव, ६—रामनगर, ७—नौकरा, ८—सैदपुर, ९—बराई खुर्द, १०—नेवादा (नेवड़िया), ११—धरमपुर, १२—सराय विक्रम ।

रामपुर ब्लाक—

१—अकरा, २—खेमापुर, ३—धनुआ (रामपुर) ४—रघुनाथ पुर, ५—दुबेपुर, (परमालपुर), ६—पटाखे किरतराय, ७—सरायडीह, ८—हरिहरपुर, ९—अहियार, १०—सुरेरी, ११—भदखीन, १२—जगदीशपुर, १३—बेहुआ, १४—सिधबन, १५—आशापुर, १६—सहनपुर, १७—बल्लीपुर, १८—कोटगांव, १९—ठावर, २०—हथेरा, २१—धनेथू, २२—पचवल, २३—बम्नीडीह ।

मड़ियाहूं ब्लाक—

१—सेवराचक (सरायकालीनदास) २—शीतलगंज ३—बासुदेव पट्टी (अहिरौली) ४—जोगापुर ।

बरसठी ब्लाक—

१—सहादतपुर २—खरगपुर ३—कोलाहलपुर ४—गौरापट्टी ५—दीनापुर ६—भदरांव ७—सहावपुर ८—चतुर्भुजपुर ९—जमुनीपुर १०—पीपरांव ११—गोपालपुर १२—परशुआ १३—कटवार (काशीपुर) १४—खोयरी १५—बसहरा १६—खुआंव १७—बारीगांव १८—भैंसा १९—बनकट २०—निगोह २१—मनउर २२—सोनाई २३—बसोव २४—पोखरां ।

गिरधारीलाल,
सिंचाई मंत्री

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—९८ एल० ए०—१९६४—८६० ।